प्रोफिथियपन्मीका कोर्स।

भारतीय शासनपद्धति



प्रथम भाग।

पंडित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयीद्वारा

सङ्कलित और सम्पादित।

प्रकाशक

दि इण्डियन नेशनल पब्लिशर्स, लिमिटेड,

नं० १५९ ओ बहुबाज़ार स्ट्रीट

कलकत्ता।

[द्वितीयावृत्ति] सं० १९८० वि० [मूल्य नौ आने।

कलकत्ता, १६५ सी० मछुआबाजार स्ट्रीट,
इण्डियन नेशनल प्रेसमें
अम्बिकाप्रसाद वाजपेयीद्वारा मुद्रित।

प्रथम संस्करणकी भूमिका ।



इस पुस्तकमें लेखकके मौलिक विचारोंका अभाव है, तथापि यह संग्रह मौलिक है और इसमें जो बातें लिखी गयी हैं, उनमें नवीनताकी न्यूनता नहीं है और न वे उपेक्षा करने योग्य ही हैं। किस रीतिसे भारतका शासन होता है और किस अधिकारीको कितने और कैसे अधिकार प्राप्त हैं यही इसमें बताया गया है। नियमोंका कहातक पालन होता है और इस पद्धतिमें कैसे और कितने सुधारोंका प्रयोजन है इसपर कुछ भी नहीं कहा गया है।

यह पुस्तक विशेषकर उन पाठकोंके लिये ही लिखी गयी है, जो समाचारपत्र पढ़ते हैं, पर इससे विद्यार्थी भी लाभ उठा सकते हैं और जो भारतकी शासनपद्धतिके विषयमें कुछ भी नहीं जानते, वे भी उसका बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिखनेमें सर कोर्टने इलबर्टके "गवर्नमेंट आव इण्डिया", श्रीयुक्त रंगस्वामी आयंगरके "इण्डियन कान्स्टिटयू-शन" और अध्यापक कालेके "इण्डियन ऐडमिनिस्ट्रेशन" ग्रन्थसे विशेष सहायता ली गयी है। इनके सिवा अन्य पुस्तकोंका भी यत्किञ्चित् उपयोग किया गया है। इन सबके लेखकोंका मैं कृतज्ञ हूं।

कलकत्ता,
मि० ज्येष्ठ शु० ५ सं० १९७२  अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी।

द्वितीय संस्करणकी भूमिका।

आठ वर्षमें संसारमें बड़े उलट पुलट हो गये और भारतकी शासनपद्धति भी उससे बचने नहीं पायी। १६१६ के गवर्नमेंट आव इण्डिया ऐक्टके अनुसार यहांकी शासनपद्धतिमें जो परिवर्त्तन हुए हैं, उनका यथास्थान इस पुस्तकमें उल्लेख किया गया है। परन्तु प्रथम भागमें ऐसी बातें बहुत कम हैं, तो भी उनकी उपेक्षा नहीं की गयी है और पुस्तकको सामयिक बनानेकी ओर विशेष ध्यान रखा गया है।

कलकत्ता
शुद्ध ज्येष्ठ कृष्णाष्टमी
संवत् १६८० वि०

अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी।

विषयसूची

प्रथम अध्याय।

पृष्ठ

द्वितीय अध्याय।

तृतीय अध्याय।

चतुर्थ अध्याय।

पंचम अध्याय।

षष्ट अध्याय।

सप्तम अध्याय।



भारतीय शासन-पद्धति।



प्रथम अध्याय।



उपोद्घात।

हमारे देशमें यूरोपियनोंका पहले पहल आना व्यापार वाणिज्यके कारण ही हुआ था। कई हजार वर्ष पहले अरबवाले हमारे देशकी चीजें यूरोप ले जाते थे। हिन्दुस्थानके व्यापारसे मालामाल होनेके लिये सिकन्दरने इस देशपर आक्रमण किया था। अरबोंसे भी पहले टायर और साइडनके फिनिशियन लोगोंके और उनके बाद यूरोपके जेनोआ, वेनिस आदि राज्योंके हाथमें यूरोपको भारतीय वस्तुएं पहुंचानेका काम रहा। पोर्चुगालवालोंके उच्चके बृहस्पति आये, तो वास्को डी गामाने सन् १४९८ में अफ्रिकाके गुडहोप नामके अन्तरीपकी परिक्रमा करके भारत आनेका मार्ग ढूंढ निकाला। पोर्चुगालका सितारा जल्दी ही डूबा और स्पेनवालोंकी बढ़ती हुई। पर इङ्गलैण्डसे स्पेनका साम्प्रदायिक झगड़ा छिड़ा,

भारतमें विदेशी।

जिससे समस्त यूरोप प्रोटेस्टैण्ट और कैथोलिक सम्प्रदायोंमें बट गया। स्पेनने इङ्गलैण्डपर आक्रमण करनेको अपना जहाजी बेडा भेजा, पर सन् १५८८में इङ्गलैण्डने इसको तहसनहस कर डाला। १६ वीं ईसवी शताब्दीमें हालैण्ड भी स्पेनकी पराधीनताकी बेडी तोड चुका था। इससे स्पेनके हाथसे पूर्वका व्यापार छीननेके लिये वह इङ्गलैण्डका साथी हुआ। इसपर स्पेन और हालैण्डकी घमासान लड़ाइया हुईं, जिनमें स्पेनको नीचा देखना पडा। अङ्गरेज व्यापारियोंने भारतमें व्यापार करनेके लिये इसी समयसे उद्योग प्रारम्भ किया, पर वे सफलमनोरथ न हुए।

ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी स्थापना।

सन् १५८३ में सीरिया (शाम) और ईरानकी राहसे चार अङ्गरेज हिन्दुस्थान आये थे। इनमें एक तो साधू हो गया, दूसरा मर गया और तीसरेने अकबर बादशाहकी नौकरी कर ली थी। पर फिच नामक चौथा अङ्गरेज १५९१ में इङ्गलैण्ड पहुचा और इसने अपने प्रवासके विषयमें एक पुस्तक लिखी। स्टीवेन्स नामक अङ्गरेज पोर्चुगालियोंके साथ लिसबनसे गोआ आया और इसने अपना जो भ्रमणवृत्तान्त लिखा, वह बडे चावसे पढा गया। अब अङ्गरेजोंकी भारत आनेकी इच्छा अधिक बलवती हुई। पर इन्होंने सोचा कि थोडी पूंजी लेकर जाना और अपने धनजनकी रक्षाका प्रबन्ध न करना बडी भारी भूल है। इसलिये इङ्गलण्डके कुछ धनी महाजनोंने

अपनी रानी एलिज़ाबेथसे प्रार्थना की कि हमें हिन्दुस्थानसे व्यापार करनेका इजारा देकर उत्तेजन दीजिये। अङ्गरेज इस प्रकार अगर मगरमें पड़े ही थे कि डच लोगोंने साहसपूर्वक गुडहोप अन्तरीपके मार्गसे एक जहाज हिन्दुस्थान भेज दिया। इधर सन् १६०० के ३१ दिसम्बरको उस प्रार्थनाके अनुसार, २१५ व्यापारियों और कम्बरलैण्डके अर्लको "गवर्नर ऐण्ड कम्पनी आव दि मर्चेण्टस ट्रेडिंग टु दि ईस्ट इण्डीज़" नामपर फर्मान दिया। यह कम्पनी चाहे जितनी जमीन खरीद सकती थी और एक गवर्नर और २४ मेम्बरोंकी कमिटीको इसकी ओरसे कारबार करनेका अधिकार दिया गया। इसे प्रति वर्ष छ अच्छे जहाज भेज करने अधिकार मिला। चार वर्षतक इसके लाये मालपर चुंगी माफ रही। यह अपने एक जहाजपर ३० हजार पौण्ड या इतनेका सोना चांदी ले जा सकती थी। अब क्या था, डच और अङ्गरेज दोनों जातियोंने स्पेनियोंकी जड़ काटनी प्रारम्भ की। सर टामस स्माइट कम्पनीके पहले गवर्नर नियुक्त हुए थे। इस कम्पनीका मूल धन ७२,००० पौण्ड और एक शेयर ५० पौण्डका था।

भारतमें कम्पनीकी कोठियां।

डच लोगोंने मसालोंके टापुओंपर अधिकार जमा लिया और वे यूरोपमें मनमाने भावपर मसाले बेचने लगे। १६०२ की २री मईको अङ्गरेज व्यापारियोंका बेड़ा इङ्गलैण्डसे चला और सुमत्रा, जावा और अम्बोयना टापुओंसे रेशमी

कपड़े, मलमल, नील, लौंग आदि लादकर लौट गया। १६०८ में घटम और मलक्के अङ्गरेज कर्मचारियोंने अपनी कम्पनीको लिखा कि इन टापुओंमें हिन्दुस्थानके कपड़ोंकी बड़ी खपत है, इसलिये सूरत और खम्भातमें कोठिया खोलनी चाहिये। इसपर १६०९ में एक बेड़ा हिन्दुस्थानको रवाना किया गया, जिसे अदन और मोचाके बीच तुर्कोंने पकड़ लिया और कप्तान सहित ७० आदमी कैद कर लिये। अङ्गरेज व्यापारी इससे भी न घबराये और १६११ में पोर्चुगालियोंको हराकर उन्होंने सूरतमें कोठी खोली। ३॥) सैकड़े चुंगी देकर व्यापार करने और सूरत, अहमदाबाद, खम्भात और गोएमें कोठियां खोलनेकी आज्ञा तो जहांगीर बादशाहने पहले ही दे दी थी, पर ११, जनवरी १६१३ को फर्मान भी दे दिया। १६१५ में इङ्गलैंडके बादशाह जेम्सका भेजा हुआ दूत सर टामस मनरो जहांगीर बादशाहके दरबारमें आया और कम्पनीके व्यापारके लिये और भी सुभीते करा गया। १६१६ में कालीकट और मछलीपट्टनमें अङ्गरेजी कम्पनीकी कोठियां खुलीं। १६२४ में कम्पनीको अपने नौकरोंका न्याय करनेका भी अधिकार मिल गया। अंगरेज डा० बाटनने बादशाह शाहजहाकी लड़कीको आराम कर दिया था, इसलिये अंगरेजी कम्पनीको बिना चुंगी दिये व्यापार करनेकी आज्ञा भी मिल गयी। बगालके नवाबने अंगरेज मात्रको बिना चुंगी दिये व्यापार करनेका अधिकार दे दिया, इसलिये कम्पनीके सूरतवाले गुमाश्तोंने हुगलीमें कोठी

खोली। १६३९ में मद्रासके किले फोर्ट सट आर्जकी नींव पड़ी।

इस बीचमें स्पेन तो सर्वथा परास्त हो गया और पूर्वी देशोंके व्यापारसे मालामाल होनेकी वासना उसे त्यागनी पडी। पोर्चुगाल भी डचों और अगरेजोंकी मार

चटगांव छीननेकी चेष्टा।

न सह सका और उसके अधिकृत अनेक स्थान डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी दबा बैठी। जब मैदानमें कोई प्रतिस्पर्द्धी न रहा, तब डच और अगरेज आपसमें लडने लगे। पोर्चुगालसे दहेजमें बादशाह दूसरे चार्ल्सको बम्बई टापू मिला और १६६२में वह अगरेजी कम्पनीके हाथ आ गया। अब अगरेजी कम्पनीकी प्रतिपत्ति बढने लगी। पर इससे उसका साहस भी बढा, जिससे वह हाथ बढाने लगी। कई वर्ष बाद कम्पनीके कर्मचारियोंके अनुचित और असभ्य व्यवहारके कारण औरङ्गजेब बादशाहने सूरतसे कम्पनीके कारिन्दोंको मार भगाया, बम्बई घेर लिया और विजगापट्टन तथा दूसरे स्थानोंकी कोठियां छीन लीं। इस समय अगरेज चतुर हो गये थे, इस लिये हाथ पैर पकड नजर न्याज दे उन्होंने अपना पीछा छुडाया। पर अगरेज यह अपमान सह न सके और इसका बदला उन्होंने दूसरे ढगसे लिया। १६८५-८६ में कप्तान निकलसनकी अध्यक्षतामें १२ से ७० तोपोंवाले दस जहाज और पैदलोंकी ६ कम्पनियां बिना कप्तानोंके, जिनकी जगह मद्रास कौन्सिलके

मेम्बर भर्ती हुए, यह आज्ञा देकर इंगलैंडसे भेजी गयीं कि चटगांव छीनकर किला बना लो। इस काममें अङ्गरेजोंको सफलता न हुई और हानि उठाकर उन्हे भागना पड़ा।

फरासीसियोंसे झगड़ा और उच्चाभिलाप।

अंगरेजों और डचोंको मालामाल होते देख फरासीसियोंके मनमें भी हिन्दुस्थानके व्यापारसे लाभ उठानेकी धुन समायी और १६६४ में फ्रेञ्च ईस्ट इण्डिया कम्पनी स्थापित हुई। इधर डचो और अंगरेजोंमें मारकाट मचनेसे फ्रासकी बन आयी। अब लड़ाकोंने देखा कि हमारी लड़ाईसे और लोग माल मारे लिये जाते हैं। उधर लडाईसे दोनों राष्ट्र निर्बल भी हो गये थे, इससे वे फरासीसियोंकी ओर झुक पडे। यूरोपमें डचों और फरासीसियोंकी लडाइया छिड़ जानेसे हिन्दुस्थानमें अगरेजोंकी बन आयी और इन्होंने अच्छी तरह यहा अपना व्यापार जमा लिया। कलकत्ते, बम्बई और मद्रासमें ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी कोठियां स्थापित हुईं।

दो कपनियोंका झगडा।

इधर कम्पनी तो कुछ और ही सोच रही थी, उधर उसके कार बारकी पोल खुलनेका समय आने लगा। १६९५ में पार्लमेंटको खबर लगी कि कम्पनीका प्रबन्ध ठीक नहीं है और किसी समय इसका दिवाला हो जायगा, क्योंकि इङ्गलैण्डमें उसका खर्च १,२०० पौण्डसे ९०,००० पौण्ड बढ गया था। इससे कम्पनीके गवर्नर सर टामस कुकको डरानेके

लिये पार्लमेंटमें एक बिल (बिल आव पेन्स ऐण्ड पेनल्टीज) पेश किया गया, जिसके पास हो जानेपर उन्हें शारीरिक और आर्थिक दण्ड दिया जाता, क्योंकि उनकी ही आज्ञासे कम्पनी खर्च करती थी। इसी समय मालूम हुआ कि इसने १०,००० पौण्ड तो स्वयं महाराज तृतीय विलियमने और ५,००० पौण्ड लीड्सके ड्यूकने घूसमें लिये हैं। ड्यूकपर मामला चला, पर बादशाह विलियमने जांच न होने दी, और इस घूसखोरीका पूरा भेद न प्रकट हो सका। इधर इससे किसी प्रकार पीछा छूटा, तो उधर कम्पनीकी प्रभुता देख कुछ अंगरेज व्यापारियोंने उसका इजारा छिनवा लेनेकी चेष्टा आरम्भ की। १६९८ में इन्होंने महाराज विलियमकी रानी मेरीके दिये हुए १६९४ के फर्मानको पार्लमेंटमें ला उपस्थित किया और कहा कि हम ८) सैकड़े ब्याजपर २० लाख पौण्ड सरकारको ऋण देनेको तैयार हैं, यदि हमें पूर्वी देशोंके व्यापारका इजारा दे दिया जाय। कम्पनी ७ लाख पौण्ड ४) सैकड़ेपर देती थी, इस लिये नयी कम्पनीकी जीत हुई और उसके पक्षमें बिल पास हो गया। अब दो ईस्ट इण्डिया कम्पनियां हो गयीं। सन् १७०० में दोनों कम्पनियोंने पार्लमेंटके हाउस आव कामन्सको अपनी ओर करनेकी चेष्टा प्रारम्भ की। एक कम्पनी मेम्बरोंको घूस देने लगी, दूसरी मतदाताओंको। अन्तमें दोनों "यूनाइटेड ईस्ट इण्डिया कम्पनी" नामसे मिल गयीं।

भारतकी राजनीतिक दशा।

शाहजहाके तख्तसे उतरते ही मानों मुगल साम्राज्यपर साढ़साती शनिश्चर आ गये। औरङ्गजेब दिल्लीके तख्तपर बैठते ही हिन्दुओंके नाकों दम करने लगा। दक्षिणमें शिवाजी महाराज गोलकुण्डे और वीजापुरकी रियासतोंपर अपना दबाव जमा ही चुके थे। इससे औरङ्गजेबने इनके दमनका उद्योग आरम्भ किया, पर सब प्रकारसे उसे नीचा देखना पडा। हिन्दुओंका जोर मराठोंके कारण दक्षिणमें और सिक्खोंके कारण उत्तरमें बढा, जिससे मुगल साम्राज्यके नाशका सूत्रपात हुआ। औरङ्गजेब कुछ राजपूत-राजाओंको मिलाये रहता था इससे उसने मरते दमतक मुगल साम्राज्यका नाश न होने दिया, पर १७०७ में उसके मरते ही मानों मुगल साम्राज्यका आधारस्तम्भ टूटकर गिर पडा। उत्तराधिकारीमें न तो शूरता थी और न राजनीतिज्ञता, इससे धीरे धीरे तीन बडे प्रदेशोंके सूबेदार नाम मात्रकी अधीनता स्वीकार कर सर्वथा स्वतन्त्र हो गये। अवधके नवाब वजीर, हैदराबादके नवाब निजाम और बङ्गालके नवाब कहनेको तो नवाब थे, पर बादशाही करते थे। रुहेलखण्डमें रुहेले अफगान राज करते थे और दक्षिणमें कर्नाटक, अर्काट तंजावर, मैसुर आदि अनेक छोटे मोटे राज्य थे। इनका कोई सिरधरू न होनेसे इनमें जब कभी राज्यके लिये लडाई छिड़ती, तो उसकी मध्यस्थता अगरेजों या फरासीसियोंको ही करनी पडती थी।

अंगरेजों और फरासीसियोंका सैकड़ों वर्षों का वैर था, इस लिये अंगरेजोंकी समृद्धि फ्रांसको बहुत खटकती थी। हिन्दुस्थानके व्यापारके मैदानमें ये दो ही जातिया रह गयी थीं, क्योंकि स्पेनिये और पोर्चुगालिये तो पहले ही अस्त हो चुके थे, और डच लोगोंने सिंहल, जावा और मसालेके टापुओं-पर ही सन्तोष करना उचित समझ लिया था। इधर पुरानी शत्रुता होनेके कारण यदि इङ्गलैण्ड और फ्रांसकी लड़ाई यूरोपमें होती, तो हिन्दुस्थानमें भी छिड़ जाती। दोनोंमें हिन्दुस्थानमें अपना साम्राज्य स्थापित करनेकी होड़सी लगी थी। जब किसी देशी राज्यका राजा मरता और गद्दीके लिये दो दावादार खड़े होते, तो एकको अंगरेज और दूसरेको फरासीसी मदद देने लगते। जब यूरोपमें शान्ति होती, तब यहांकी लड़ाई भी बन्द हो जाती। १७४५ के लगभग यूरोपमें अंगरेजों और फरासीसियोंकी लड़ाई छिड़ी। हिन्दुस्थानमें भी उक्त कम्प नियोंने लड़ना प्रारम्भ किया। पहली लड़ाई धूमधामसे कर्नाटकमें हुई। एजलाशेपेलकी सन्धिसे दोनों राष्ट्रोंका युद्ध तो बन्द हुआ, पर फ्रांसको विशेष आर्थिक हानि उठानी पड़ी, जिसका फल यह हुआ कि हिन्दुस्थानके फ्रेञ्च गवर्नर डूप्लेको यथेष्ट सहायता न मिली, पर तो भी वह हिम्मत न हारा और उसने कुछ ही दिन बाद हैदराबादके भावी निजाम और कर्नाटकके एक भावी नवाबको राज्य दिलानेकी चेष्टा प्रारम्भ

अंगरेजों और फरासीसियोंकी लड़ाई।

की। पहले तो इसमें उसे कुछ सफलता प्राप्त हुई, पर अंगरेजोंसे यूरोपमें हारने और फिर अमेरिकामें उन्हीके साथ ७ वर्षकी लड़ाई छिड़ जानेसे फरासीसियोंकी दाल यहा न गली। १७५४ मे अंगरेज और फ्रेञ्च कम्पनियोंमें सन्धि हो गयी कि हिन्दुस्तानी रजवाड़ोंके झगड़ेमें कोई न पड़े और दोनो यहा प्रभुता करनेकी वासना त्याग दें। फरासीसियोंको लड़ाईमें जीते ४ जिले भी इस सन्धिके कारण लौटा देने पड़े। पर अगरेजी कम्पनीको मुहम्मदअलीने इसके बाद ही आधी लूटका लालच दिया, इससे उसने सन्धि तोड़ डाली। फ्रेञ्च कम्पनीने सन्धिकी बहुत दुहाई दी, परन्तु किसीने एक न सुनी।

प्लासीकी लड़ाई ।

अगरेजी कम्पनीने कलकत्ता आदि कई गाव तो पहले ही खरीद लिये थे, पर किला विला नही बनाया था। १७५६ में उसे किला बनानेकी सूझी। बङ्गालके नवाब सिराजुद्दौलाने मना किया, पर अब कम्पनीके कारिन्दे अपनेको शेर समझने लगे थे। उन्होंने बन्दरघुड़की समझ नवावके हुक्मकी तामील न की। सिराजुद्दौलाका खून नया था, वह बहुत जल्द गर्म हो उठा। वह कलकत्तेपर चढ़ गया। सब अगरेज पकड़कर उसके सामने लाये गये, पर उसने किला न बनानेकी प्रतिज्ञा कराके सबकी हथकड़िया खुलवा दीं। कम्पनीके एक नौकर हालवेलने सोचा कि इसकी शक्ति ही कितनी है। इसके आदमियोंको फोड़ लेनेसे ही हम बङ्गालके

मालिक यन बैठेंगे। इससे उसने यह गौंगा उड़ाया कि सिराजु-द्दौलाने १४६ अंगरेजोंको जूनके महीनेमें एक ऐसी छोटी कोठरीमें बन्द कर दिया जिसमें हवाकी पहुच न थी और इस लिये १२३ तो मुर्दा और बाकी २३ कुछ जिन्दा निकले, पर उनकी हालत ऐसी हो गयी थी कि उनकी मा भी उन्हे न पहचान सकती। यह घटना इतिहासमें "ब्लैकहोल" या कालकोठरीकी दुर्घटनाके नामसे प्रसिद्ध है। बस, सिराजु-द्दौलापर चढ़ाई करनेका यह कारण बताकर उसने वाटसन और क्लाइवको मद्रासले बुलाया। सिराजुद्दौलाके सिपहसालार मीरजाफर और सेठ अमीचन्द आदिको अपनी ओर मिला क्लाइव आदि सिराजुद्दौलापर चढ़ गये। प्लासीमें दोनो ओरकी सेनाएं इकट्ठी हुई। सिराजुद्दौलाकी सेनामें ५० हजार पैदल, १८,००० सवार और ५० तोपें थी। पर क्लाइवने सीक्रेट कमिटीको जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें सिराजुद्दौलाकी सेनामें ३५ हजार पैदल, १५ हजार सवार और ४० तोपें बतायी थीं। क्लाइवकी सेनामें ६०० गोरे थे, जिनमें १०० गोलन्दाज और ५० मल्लाह थे, १०० तोपची और २१०० सिपाही थे। इस लड़ाईमें २० यूरोपियन हताहत हुए तथा १६ सिपाही मरे और ३६ घायल हुए। इतना कम रक्तपात क्यों हुआ, क्लाइवने इसके दो मुख्य कारण बताये हैं। पहला यह कि अंगरेजी सेना ऐसे ऊंचे टीलेके पीछे थी कि शत्रुकी तोपोंसे उसकी बहुत हानि न हो सकी। दूसरा कारण यह है कि न सिराजुद्दौलाका अपनी

सेनापर विश्वास था और न सेनाका उसपर विश्वास था, इस लिये सेनाने उस अवसरपर अपना कर्त्तव्य पालन नहीं किया।

साम्राज्यकी नींव पड़ी। इस प्रकार प्लासीकी लड़ाईमें अंगरेजी कम्पनीके जीत जानेसे बङ्गालमें उसकी तूती बोलने लगी। पूर्व निश्चयके अनुसार मीरजाफर बङ्गालका नवाब बनाया गया। अब क्या था? कम्पनीके नौकर चाकर मनमानी घरजानी कर रुपयोंसे अपनी जेबे भरने लगे। कम्पनीका खर्च बेतरह बढ़ा हुआ था। रुपयेकी तंगी चारो ओरसे थी। बङ्गालसे भी असंख्य रुपये मिलनेकी आशा न थी, क्योंकि मीरजाफरके नवाबी पाते ही उसके यारोंने उसे ऐसा दूहा कि उसका खजाना बिल्कुल खाली हो गया। अब जब उससे कम्पनीके कर्मचारी कहते कि रुपये दो, तो वह कहता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर ये क्यों मानने लगते? अन्तमें इन्होंने सोचा कि मीरजाफरको गद्दीसे उतारे बिना अब कुछ हाथ न लगेगा। इससे १७६० में हालवेल आदि कितने ही कर्म्मचारियोंने मीरजाफरके विरुद्ध षड्यन्त्र रचा। उसपर अभियोग लगाया कि उसने कई आदमियोंके सिर काटे कटवाये और कितने ही निरपराधियोंको कैद कर रखा है। इसी आशयका पत्र हालवेलने कम्पनीके डाइरेक्टरोंको लिखा और उसमें यह भी उन्हें सूचित कर दिया कि मीरजाफरको हमने गद्दीसे

उतार दिया है और उसके दामाद मीरकासिमको नवाब बनाया है। मीरकासिमने नवाबी पानेके लिये चटगांव, मेदिनीपुर और बर्द्दवान ये तीन जिले कम्पनीको दिये थे, इससे डाइरेक्टर भी कुछ न बोले और मीरजाफर रोता कलपता गद्दीसे उतर गया। कासिमको कम्पनीके कर्मचारियोंने मीरजाफरसे भी गया बीता समझ लिया था, पर इसने उनके हाथकी पुतली बननेसे इनकार किया। अन्तको दोनोंका झगड़ा हुआ। मीरकासिम मुर्शिदाबाद छोडकर मुंगेरमें रहने लगा। मामला यहांतक बढ़ा कि मीरकासिम और अंगरेजोंकी लडाई बक्सरमें हुई। इस लडाईमें अवधके नवाब वजीरने मीरकासिमकी मदद की, पर अंगरेजोंकी जीत हुई। अवधके नवाबसे कम्पनीकी सन्धि हुई और फिर मीरजाफर गद्दीपर बैठाया गया।

बंगालपर कम्पनीकी प्रभुता।

बक्सरकी लडाईसे अंगरेजी कम्पनीका साहस और प्रभुत्व और भी बढ़ा। कम्पनीका जो दबदबा बिहारतक था, वह बनारस और प्रयाग तक हो गया। इसके साथ ही सन् १७६५ में क्लाइवने दिल्लीके खानाबदोश बादशाह शाहआलमसे बङ्गाल, बिहार और उडीसेकी दीवानी कम्पनीके नाम लिखा ली और इस तरह सारा माली बन्दोबस्त कम्पनीके हाथ आ गया। साथ ही उत्तरी सरकारका वह प्रदेश भी इनाममें माग लिया, जो आजकल मद्रास प्रदेशके अन्तर्गत है। इस प्रकार अंगरेज बङ्गालमें जम गये और आगे बढ़नेका विचार

करने लगे। कम्पनीको दीवानी मिलनेसे बङ्गालकी एक म्यानमें दो तलवारें हो गयीं। माली बन्दोवस्त कम्पनी करने लगी और दीवानी फौजदारी मामले मुकद्मे नवाबके दरबारसे फैसल होने लगे। फौज भर्ती करनेका काम भी कम्पनीने अपने हाथमें ले लिया। इसके कुछ ही दिनों बाद जब देखा गया कि यह प्रबन्ध ठीक नहीं है, तब मीरजाफरके लड़के मीरनकी सालाना पेनशन कर दी गयी और कम्पनी बङ्गालमें "एकमेवाद्वितीयं" हो गयी।

पानीपतकी लड़ाई और मराठोंका पतन।

महाराष्ट्रमें छत्रपति शिवाजी महाराजने भारतमें हिन्दू साम्राज्यकी नींव डाली थी, पर उनके पुत्र शम्भूजीमें पिताकीसी योग्यता न थी, इस लिये हिन्दू साम्राज्य स्थापनका प्रयत्न उनके ब्राह्मण मन्त्रियोंको करना पड़ा। नाम मात्रके मराठे राजाओंके पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्टने समस्त राजकाज अपने हाथोंमें ले लिया और मराठोंके सिरधरू बन गये। शिवाजीकी नीति बहुत कुछ बदल गयी और हिन्दू साम्राज्यके बदले मराठोंके भिन्न भिन्न दलोंने कई प्रदेशोंपर अधिकार कर लिया और पेशवा, गायकवाड़, शिन्दे (सेंधिया), भोंसले, और होलकरका एक संघ बना। किसी समय इस मराठा संघसे बहुत कुछ आशा थी, क्योंकि शिवाजी महाराजने ही दाक्षिणात्यके कई प्रदेशोंपर अधिकार करके इसका मार्ग बहुत कुछ परिष्कृत कर दिया था। पर

अहङ्कार और आपसकी फूटने इसे कुछ विशेष करने न दिया। जो हो, पहले बाजीराव और बालाजी बाजीराव पेशवोंके समय मराठोंका प्रभाव दिल्लीतक हो गया था और ये जिसको चाहते थे, दिल्लीका बादशाह बना देते थे। इस प्रकार मराठोंका राज्य बहुत बढ गया था। उधर दाक्षिणात्यमें भी हैदराबादके निजाम, और १७६० में मैसूरके यादवोंकी गद्दी छीननेवाले हैदरअलीके सिवा मराठोंकी गति रोकनेवाला कोई न था। शाहआलमको दिल्लीके तख्तपर बैठानेसे जब अंगरेजी कम्पनी और लखनऊके नवाबने इनकार कर दिया, तब ग्वालियरके राजा महदजी शिन्देने शाहआलमको साथ ले १७७१ में दिल्लीमें प्रवेश किया। रुहेलखण्ड लूट लिया। दिल्ली उनके अधिकारमें चली जानेसे मुसलमान तो मराठोंसे असन्तुष्ट थे ही, इससे अहमदशाह अब्दालीके आनेकी खबर सुनते ही हिन्दुस्थानके मुसलमान भी रुहेले अफगान नजीबुद्दौलाकी अधीनतामें मराठोंसे मोर्चा लेनेको तैयार हुए। १७७५ में पानीपतके मैदानमें सदाशिवराव भाऊकी अधीनतामें मराठोंकी अहमदशाहसे लड़ाई हुई और मराठे हारे। सदाशिवराव समझते थे कि अहमदशाहको हराना बडी बात नहीं है; जब चाहेंगे, हरा देंगे। बस, ये तो इस ध्यानमें थे, उधर अफगानोंने छापा मारा। मराठोंकी फौजपर एकाएक धावा हो जानेसे वह घबरा गयी। सदाशिवराव भाऊने जब देखा, कि अब हमारी हार हो गयी, तब हाथीसे उतर पडे और न

जाने कहा गायब हो गये। इस प्रकार हिन्दू साम्राज्यके स्थापनका विचार नष्ट हुआ। परन्तु मराठोंने जो राज्य बढ़ा लिया था, वह कम नहीं हुआ। प्रभाव भी कुछ बना ही रहा। पर पूनेमें नारायणराव पेशवाकी हत्या सुनकर महद्‌जी पूने आये और इसी हत्यासे मराठोंका प्रताप अस्त होने लगा। निज़ाम और हैदरअली तथा अंगरेजोंसे बार बार लडनेके कारण मराठोंकी शक्ति बहुत कम हो गयी। अन्तिम पेशवा दूसरे बाजीरावको पेनशन देकर कम्पनीने बिठूर भेज दिया। कुछ दिनों बाद नागपुरके भोंसलोंका राज्य छीन लिया, क्योंकि अन्तिम राजा राघोजी भोंसलेके लडका न था। गायकवाड, होलकर और शिन्देसे कम्पनीकी सन्धि हो जानेसे ये तीन राज्य बच गये।

हिन्दुस्थानमें गदर।

दक्षिणमें मराठों और उत्तरमें सिक्खोंके सिवा कुछ समयके लिये भी अंगरेजोंकी गति रोकनेमें कोई जाति समर्थ नहीं हुई थी। यद्यपि प्रारम्भमें गुरू नानकने सिक्ख सम्प्रदाय धार्मिक सुधारोंके लिये स्थापित किया था, तथापि मुसलमानोंके अत्याचारोंके कारण गुरू तेगबहादुर और उनके बाद गुरू गोविन्दसिंहने सिक्ख सम्प्रदायको राजनीतिक स्वरूप दिया और मुसलमानोंसे लडनेके लिये सिक्ख सेना तैयार की। गुरू गोविन्दसिंहके बाद उनके शिष्य बन्दा बैरागीने खालसेकी ओरसे मुसलमानोंके नाकों दम कर दिया

और क्रमश दिल्ली और उसके आसपासके कुछ स्थानोंको छोड सारा पञ्जाब सिक्खोंके हाथ चला गया। रनजीतसिंहके समयतक सिक्खोंकी तूती बोलती रही। पर उनकी मृत्युके बाद फूट और वैरकी जड मजबूत हुई और अङ्गरेजोंसे उनकी पहली लडाई हुई। इसमें सिक्खोंने वीरतासे लोहा लिया और अङ्गरेजोंको भी मालूम हो गया कि यह लडाई मामूली नही है। इस लडाईके बाद कुछ ही दिनोंतक शान्ति रही और दूसरी लडाई होते ही लार्ड डलहौसीने पञ्जाब ले लिया और महाराज दिलीपसिंहको पेनशन देकर इङ्गलैंड भेज दिया। इस प्रकार अटकसे लेकर कटकतक और कुमायूंसे लेकर कुमारिका अन्तरीपतक समस्त देशपर अङ्गरेजोंकी धाक जम गयी। १८५७ में अङ्गरेजी सेनाके सिपाहियोंने गदर मचाया। इसका प्रत्यक्ष कारण यह था कि जो कारतूस दातसे काटकर बन्दूकमें भरनेको उन्हें आज्ञा मिली थी, उनमें चर्बी लगी हुई थी। गदरका कारण कुछ लोगोंका षड्यन्त्र और कारतूसोंकी चर्बीके सिवा लार्ड डलहौसीकी राज्य हडपनेवाली नीति भी थी। अवध, झांसी, नागपुर और सितारेके राज्य इसके शिकार हुए थे। इस गदरसे अङ्गरेजोंकी जड हिल गयी थी, पर प्रजाकी सहायतासे अङ्गरेजी कम्पनी इस विद्रोहका दमन करनेमें समर्थ हुई और उस समयसे देशमें किसी प्रकारका क्रान्तिकारक उपद्रव नहीं हुआ।

हमारे इस उपोद्घातका उद्देश्य संक्षेपसे इस देशपर अङ्गरेजोंके प्रभुत्वके इतिहासके साथ ही उस समयके भारतकी राजनीतिक अवस्थाका दिग्दर्शन कराना मात्र है।

कम्पनीको कौन प्रदेश कब मिला।

इस लिये अब यहां यही बताना बस होगा कि किस समय भारतके किस भागपर अङ्गरेजोंका अधिकार हुआ। किस प्रकार कौन प्रदेश अङ्गरेजोंके हाथ आया, यह बताना न तो इसका उद्देश्य है और न इतने अल्प स्थानमें यह सम्भव ही है। १७६५ में बङ्गाल, बिहार, उडीसा और उत्तरी सरकार प्रदेशोंपर अङ्गरेजोंका अधिकार हुआ। १७७५ में राजा चेतसिंहसे वारेन हेस्टिङ्गजने बनारस ले लिया। मैसूरके हैदरअली और टीपू सुलतानसे लडने बाद १७९२ और १७९९ में बहुतसा प्रदेश और १७९९ में तंजोर या तंजावरके राजाको पेनशन दे दी गयी और इस वर्ष तंजावरका राज्य, १८०० में निजामसे मिले हुए कुछ जिले और १८०१ में कर्नाटकके नवाबके भी पेनशन लेनेपर वह राज्य अङ्गरेजी कम्पनीको मिल गया। सारांश सन् १८०१ तक प्रायः समस्त मदास प्रदेशपर अङ्गरेजी कम्पनीका अधिकार हो गया। इसी वर्ष अवधके नवाब वजीरने कम्पनीको इलाहाबाद दे दिया और १८०३ में कम्पनीने आगरा, मथुरा, दिल्ली और वर्त्तमान उडीसा मराठोंसे जीत लिया। ये सब जिले बङ्गाल प्रेसिडेन्सीके अधीन हुए। १८०० और १८०५ के बीचमें सूरतके नवाब और गायकवाडसे सूरत, भडोच और खेडा

जिले मिले और बम्बई प्रेसिडेन्सीके अधीन किये गये। १८१५ में नैपाल युद्धके बाद देहरादून, कुमायू, गढ़वाल और शिमला कम्पनीके हाथ आये और बङ्गालमें मिलाये गये। इस वर्ष प्राय समस्त पश्चिमोत्तर प्रदेश अङ्गरेजी कम्पनीको मिल गया। १८०२ से १७ के भीतर गायकवाड़से अहमदाबाद मिला और १८१८ में मराठोंसे लड़कर कम्पनीने महाराष्ट्रका बहुत बड़ा भाग और वर्त्तमान मध्यप्रदेशके कुछ जिले पाये। इसी वर्ष अजमेर मेरवाड़ेके जिले शिन्देसे मिले। १८१६ २७ के बीच निजाम और कोल्हापुरके महाराजसे अवशिष्ट महाराष्ट्र मिला। इस प्रकार सिन्धको छोड़ समस्त बम्बई प्रेसिडेन्सी १८१७ तक कम्पनीको मिल गयी। बर्माकी पहली लड़ाईके बाद १८२६ में आसाम, अराकान और टेनासरिमपर अङ्गरेजोंने प्रभुत्व जमाया। आसाम और अराकान बंगालके साथ किये गये और टेनासरिम चीफ कमिश्नरके अधीन किया गया। इसी वर्ष वर्त्तमान बिहारके पश्चिमके कुछ जिले बंगालसे अलग कर दिये गये और पश्चिमोत्तर प्रदेशके नामसे प्रसिद्ध हुए। एक लेफटेनेण्ट गवर्नरको इस प्रदेशका शासनभार दिया गया। १८३३ में छोटे नागपुरकी जंगली जातियोंने गदर मचाया, इससे इस प्रदेशको भी अगरेजोंने ले लिया और एस० डब्लयू० फ्रांटियर एजेन्सीके अधीन कर दिया। पर १८५४ में यह भी बंगालमें मिला दिया गया। १८३४ में कुर्ग और १८२१ ३५ तक शिलांग, तथा आसामके और भी कई पहाड़ी जिले

अंगरेजी राज्यमें मिलाये गये। कुर्गकी शासनव्यवस्था मैसूरके रेजिडेण्ट करने लगे और शिलाग आदि बंगाल प्रेसिडेन्सीमें मिलाये गये। १८३७में सितारेके राजा प्रतापसिंह गद्दीसे उतारे गये और उनका राज्य बम्बई प्रेसिडेन्सीके अन्तर्गत कर दिया। १८४०से झांसी, जालौन और ललितपुर जिले पश्चिमोत्तर प्रदेशमें मिलाये जाने लगे। १८४३में सिन्ध, वहाके अमीरोसे लेकर, बम्बईमें मिलाया गया। पहली सिक्ख लडाईके बाद १८४६में जालन्धरकी कमिशनरी अंगरेजोंके हाथ लगी। १८४६में पञ्जाब अगरेजी राज्यमें मिला लिया गया। पहले तो पञ्जाबके शासनका भार एक (Board of Administration) शासकमण्डलको दिया गया, पर शीघ्र ही चीफ कमिशनरके और १८५६ में दिल्ली आदि कुछ जिलोंको मिलाकर लेफटेनैण्ट गवर्नरके अधीन कर दिया गया। बर्माकी दूसरी लडाईके बाद १८५२ में अराकान बंगालसे अलग किया गया और पेगू, टेनासरिम और अराकान तीनो जिले अलग अलग कमिशनरोंके अधीन किये गये और भारत-सरकारसे इनका साक्षात् सम्बन्ध रहा। १८५४ में नागपुरके भोंसलोका राज्य जब्त कर लिया गया और पहले पेगू आदिकी तरह कमिशनरके और बाद, पश्चिमोत्तर प्रदेशके दो जिले लेकर, १८६१ में मध्यप्रदेश नामसे चीफ कमिशनरके अधीन किया गया। १८५८ में पोर्ट ब्लेयर कालेपानीके कैदियोंको रखनेकी जगह बनायी गयी और इसीके सुपरिण्टेण्डेण्टके

अधीन ऐण्डमन और निकोबारके टापू कर दिये गये। १८५६ में अवधके नवाब वाजिदअली शाह गद्दीसे उतार दिये गये और अवध चीफ कमिशनरके अधीन किया गया। १८६० में दार्जिलिंग और जलपाइगुडी जिले भूटानसे मिले और बंगाल प्रेसिडेन्सीमें मिला दिये गये। १८३५ और ६० की सन्धियोंके अनुसार निजामने कम्पनीको बरारके जिले दे दिये, पर बरार अङ्गरेजी भारतखण्डका प्रदेश नही बना। १८६१ में शिन्देने पञ्चमहालका जिला दिया और वह बम्बई प्रदेशके अन्तर्गत किया गया। १८६२ में लोअर बर्माका शासन चीफ कमिशनरको सौंपा गया। इस प्रकार बङ्गालके कुछ जिले देकर आसामकी भी चीफ कमिशनरी बनी। १८७४ में पश्चिमोत्तर प्रदेशके लेफ्टेनेण्ट गवर्नर अवधके चीफ कमिशनर भी कहाने लगे। १८८६ में अपर बर्मा अङ्गरेजी राज्यमें मिला लिया गया और लोअर बर्माके चीफ कमिशनरके अधीन किया गया। पर १८९७ में समस्त बर्मा लेफ्टेनेण्ट गवर्नरके शासनाधीन हुआ। १८८७ में ब्रिटिश बलूचिस्तानके लिये एक चीफ कमिशनर नियुक्त हुआ। १९०१ में पञ्जाबसे कुछ जिले निकाल लिये गये और पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश बनाकर चीफ कमिशनरके अधीन किये गये। १९०३ में निजामने सदाके लिये अङ्गरेज सरकारको बरारका लीस (पट्टा) लिख दिया। १९०५ के अक्तूबरमें बङ्गालके कई जिले आसाममें मिला दिये गये और पूर्व बंग और आसामका नया प्रदेश बनाया गया। १९१२ के अप्रैलसे बङ्गाल

और आसामका बटवारा हुआ । आसाम पहलेकी तरह चीफ कमिशनरके अधीन किया गया और विहार, उडीसा और छोटा नागपुर तीनो प्रदेश कौन्सिल सहित लेफ्टेनेण्ट गवर्नरके और खास बङ्गाल गवर्नरके अधीन हुआ। इसी वर्ष दिल्ली जिला और इधर उधरके कुछ गाव लेकर दिल्ली प्रदेश बना और चीफ कमिशनरके अधीन किया गया, पर वास्तवमें भारत-सरकारके अधीन रहा। १६२१में विहार उड़ीसा, युक्तप्रदेश, पंजाब, मध्यप्रदेश और आसाम भी गवर्नरके प्रदेश बनाये गये और इनमें भी शासन सभा स्थापित हुई। १६२२में बर्मा भी गवर्नरका प्रदेश बनाया गया। भिन्न भिन्न प्रदेशोंके अगरेजोंके अधीन होने और उनके बटवारेके समयका यह सक्षिप्त इतिहास है।

कम्पनीकी प्रभुताका अन्त ।

१८५७ के गदरके बाद पार्लमेण्टकी सम्मतिसे इंगलैण्डकी महारानी विक्टोरियाने कम्पनीसे राज ले लिया और १८५८ के १ नवम्बरको घोषणा द्वारा भारतवासियोंको अभयके साथ ही अपनी अन्य प्रजाके समान अधिकार देनेकी प्रतिज्ञा की। ईस्ट इण्डिया कम्पनीको अन्तिम अधिकार पत्र देते समय ही १८५३ में कह दिया गया था कि पार्लमेण्ट जब चाहेगी, तब तुमसे भारतका राज्य ले लेगी। इस लिये "कोर्ट आव डाइरेक्टर्स" और "बोर्ड आव कण्ट्रोल" उठा दिये गये और इनके बदले "सेक्रेटरी आव स्टेट फार इण्डिया" (भारतसचिव) और उनकी कौन्सिलकी, जो साधारणत इण्डिया कौन्सिल

कहाता है, खांए हुई। ये ही भारतसचिव अपनी कौन्सिलकी सहायतासे सम्राट्‌के नामपर भारतका शासन करते हैं। मन्त्रि-मण्डलके सदस्य होनेके कारण अपने और भारतके अन्यान्य अधिकारियोंके कार्यों के लिये पार्लमेण्टके सामने उत्तरदाता समझे जाते हैं। इस विषयकी सब बातें यथास्थान लिखी जायगी, इसलिये यहा इतना ही लिखना बस है।

भारतके राजनीतिक विभाग।

भारतपर अगरेजोंका प्रभुत्व होनेपर भी समस्त देश उनके शासनाधीन नहीं है। राजनीतिक दृष्टिसे उसके चार भाग होते हैं। अगरेजी भारत, देशी राज्य, स्वतन्त्र राज्य और अन्य यूरोपियनोंके राज्य। अगरेजी भारतवर्षके १५ विभाग हैं, उसका क्षेत्रफल १०,९७,९०१ वर्गमील है और १९२१ की मनुष्यगणनाके अनुसार उसमें २४,७१,३८,३९६ मनुष्य बस्ते हैं। समस्त भारतके एकतिहाईसे अधिक भागपर देशी राजाओं-का आधिपत्य है। देशके आभ्यन्तरिक शासनमें ये बहुत कुछ स्वतन्त्र हैं। सब मिलाकर १७५ बड़े और प्राय ५०० छोटे राज्य हैं। बड़े राज्योंका साक्षात् सम्बन्ध भारतसरकार और छोटोंका प्रादेशिक सरकारोंसे है। बड़े राज्योंमें सरकारका रेजिडेण्ट या पोलिटिकल एजेण्ट रहता है, पर छोटे राज्योंके एजेण्टका काम किसी जिलेके मैजिस्ट्रेट या डिवीजनके कमिश्-नरको सौंप दिया जाता है। देशी राज्योंकी जनसख्या समस्त

भारतकी प्राय चौथाई है। जिन राज्योंसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी की जैसी सन्धि हुई है, उनको वैसी ही स्वतन्त्रता प्राप्त है। साधारणत. ये राज्य अपनी प्रजासे कर लेते, उसके फौजदारी मामले फैसल करते, कुछ राज्य अपने यहा आनेवाले मालपर चुंगी लगाते, सव थोडी बहुत सीखी फौज रखते, पर दूसरे राज्यों या विदेशी राज्योंसे न तो किसी तरहकी सन्धि कर सकते और न राजनीतिक सम्बन्ध ही रख सकते हैं। बडे बडे राज्योंके जिस नगरमें रेजिडेण्ट या एजेण्ट रहता है, उसमें प्राय अगरेज सरकारकी छावनी होती और कुछ फौज रहती है। भारतके उत्तर भागमें दो स्वतन्त्र राज्य हैं, एक नेपाल दूसरा भूटान। इन राज्योंकी सीमापर अगरेज सरकारका रेजिडेण्ट रहता है, पर इसे राजकाजमें हस्तक्षेप करनेका कुछ भी अधिकार नहीं है। पोर्चुगाल और फ्रान्सने प्रारम्भमें भारतपर अधिकार जमानेका प्रयत्न किया था और इन दोनो राष्ट्रोंने कुछ स्थान भी हस्तगत कर लिये थे। उनमें सन्धि द्वारा जो स्थान इन देशोंको मिल गये थे, वे ही अव वैदेशिक राज्य कहाते हैं। इस समय पोर्चुगालके पास गोआ, डायमन और ड्यू तथा फ्रान्सके पास कारिकल, माही, चन्द्रनगर और पाडिचेरी हैं।

नीचे ब्रिटिश भारतके प्रदेश, उनके जिलोंकी सख्या, वर्ग-मीलोंमें उनका क्षेत्रफल और सन् १९२१की मनुष्य गणनाके अनुसार उनकी जनसख्या दी जाती है।

प्रदेश	जिले	क्षेत्रफल	जनसंख्या
बङ्गाल	२८	७८,४१२	४,६६,५३,१३७
बम्बई (प्रेसिडेन्सी)	३२	१,२३,०६४	१,९३,३८,५८६
बम्बई	२६	७१ ९१८	१,६०,०५,१७०
सिन्ध	६	४७,०६६	३२,७८,४९३
अदन		८०	५४,९२३
मद्रास	२४	१,४१,७२६	४,२३,२२,२७०
बिहार उडीसा	२१	८३,२०५	३,२९,८८,७७८
आगरे-अवधके युक्त प्रदेश	४८	१,०७,१६४	४,५५,९०,९०६
आगरा प्रदेश	३६	८३,१९८	३,३४,२०,६२८
अवध प्रदेश	१२	२३,९६६	१,२१,७०,३०८
पंजाब	२९	९७,२०९	२,०६ ७८,३९३
बर्मा या ब्रह्मदेश	४१	२ ३६,७३८	१ ३२ ०५,५६४
मध्य प्रदेश और बरार	२२	१,००,३४५	१ ३९,१८,५१४
आसाम	१२	५०,९५९	७०,९८,८६१
दिल्ली			४,८६,७४१
पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश	५	१६,४६६	२२,४७,६९६
बलूचिस्तान	६	४५,८०४	४ २१,६७९
अजमेर-मेरवाडा	२	२,७११	४,९५,८९९
कुर्ग	१	१,५८२	१,६४,४५९
ऐंडमन और निकोबार टापू		३,१४३	२९,८३३
कुल जोड़	२६७	१०,९७,९०१	२४,७१,२८,३९६

द्वितीय अध्याय।

इंगलैण्डमें भारत-शासन-व्यवस्था।

कोर्ट आव प्रोपाइटर्स।

यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं है कि महारानी विक्टोरियाके भारत शासनदण्ड ग्रहण करनेके पहले ईस्ट इण्डिया कम्पनी इस देशका शासन करती थी। इङ्गलैण्डकी महारानी एलिजाबेथने कैसे इसे भारत तथा पूर्वी देशोंमें व्यापार करनेका इजारा दे दिया था, पर कालान्तरमें इसने कैसे अगरेजी साम्राज्यकी नींव डाली यह इतिहासका विषय है। हमारा प्रयोजन कम्पनीकी भारत शासनपद्धतिसे है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत शासनके साथ ही व्यापार भी करती थी और मुख्यत व्यापार करनेके लिये वह खड़ी हुई थी। उसका पूजी ७२,००० पौंड थी और एक शेयर ५० पौंडका था। कम्पनीके हिस्सेदारोंकी सस्था जेनरल "कोर्ट आव प्रोप्राइटर्स" कहाती थी। ५०० पौंडका हिस्सेदारतक इस कोर्टमें बैठ सकता था। उसे मत देनेका अधिकार नहीं होता था, पर वह वादानुवाद कर सकता था अर्थात् उसका मत मत नहीं समझा जाता था। जो १,००० पौंडके शेयर लेता था,

वह एक वोट दे सकता, इसी प्रकार ३,००० पौंडका शेयर-होल्डर दो, ६,००० का तीन और १०,००० से एक लाख पौंड या अधिकका शेयरहोल्डर चार वोट दे सकता था। सन् १८३२ में कोर्ट आव प्रोप्राइटर्समें ३,५७६ सदस्य थे। प्रति वर्ष चार बार मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बरमें कोर्ट बैठता था। मत देनेकी योग्यता रखनेवाले ६ प्रोप्राइटर चेयरमैनको स्पेशल कोर्ट करनेको लिख सकते थे और यदि चेयरमैन कोर्ट न करें तो उक्त ६ प्रोप्राइटरोंको स्पेशल कोर्ट करनेका अधिकार था। इस समय कम्पनीकी पूंजी ६० लाख पौंड थी। कोर्टका काम डाइरेक्टर निर्वाचित करना, बदलना या रद्द करना, २०० पौंडसे अधिक वेतन और ६०० पौंडसे अधिक पुरस्कार देने न देनेका निश्चय करना और २०० पौंड या अधिक वेतनवाले पदोंकी सृष्टि करना।

कोर्ट आव प्रोप्राइटर्सकी कार्यकारिणी समितिको "कोर्ट आव डाइरेक्टर्स" कहते थे। भारतमें कम्पनीकी नौकरी करने बाद जो द वर्ष इङ्गलैण्डमें रह चुकता था, २००० पौंडका शेयरहोल्डर होता था और अपने या अन्य किसीके डाइरेक्टर निर्वाचनके लिये प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपसे मत संग्रह करनेकी चेष्टा न करता था, वह डाइरेक्टर निर्वाचित होता था। ऐसे २४ डाइरेक्टरोंसे कोर्ट आव डाइरेक्टर्स सघटित होता था। कमसे कम सप्ताहमें एक बार डाइरेक्टरोंकी मीटिंग

कोर्ट आव डाइरेक्टर्स।

होती थी। यदि किसी विषयपर दोनो ओर मतसंख्या समान होती थी, तो ट्रेजरर चिट्ठी डाल लिया करते थे। प्रति वर्ष चारी चारीसे छ डाइरेक्टर अलग होते थे, पर जिससे शासनकी सुगमता रहे, इससे वे ही पुन निर्वाचित हो जाया करते थे। कोर्ट आव डाइरेक्टर्सका चेयरमैन ही कोर्ट आव प्रोप्राइटर्समें भी अध्यक्षका आसन ग्रहण करता था। कार्य सञ्चालनकी सुविधाके लिये कोर्ट आव डाइरेक्टर्सकी १४ कमिटियां थी। प्रत्येकमें चेयरमैन, डिपटी चेयरमैन और सीनियर डाइरेक्टर ये तीन अवश्य होते थे। इन १४ कमिटियोंमें एक सीक्रेट कमिटी भी थी, जो सन्धि, विग्रह, विदेशोंसे लिखापढ़ी और लण्डनमें कम्पनीके नाजुक मामलोंके बारेमें बोर्डके भेजे पत्रोंपर हस्ताक्षर करती थी। इन पत्रोंके लिखनेका उत्तरदायित्व और अधिकार कोर्टको रहता था। मेम्बरों तथा पत्र लेखकोंको विषय गुप्त रखनेकी शपथ करनी पड़ती थी।

भारतके राज्यका अधिकारी कौन ?

ईस्ट इण्डिया कम्पनी देशशासन करनेके लिये नहीं बनी थी, उसका उद्देश्य व्यापार करना था। पर अनायास जब भारतके भिन्न भिन्न स्थान उसकी अधीनता स्वीकार करने लगे, तब उसे भी शासन करनेकी सूझी। इधर कम्पनीके नौकर मालामाल होकर हिन्दुस्थानसे स्वदेश पहुचने लगे। वहा लोगोंने देखा कि कम्पनीसे राष्ट्रका भी कुछ लाभ होना चाहिये। इसके लिये आन्दोलन होने लगे। कम्पनीके शासनकी

निन्दा भी हुई। १७६५में कम्पनीके बङ्गाल, बिहार, और उड़ीसेकी दीवानी लेनेसे लोगोंकी विशेष दृष्टि उसपर रही। अन्तको सन् १७६७में पार्लमेंटको हस्तक्षेप करना पड़ा। इस वर्ष कानून बनाया गया कि कम्पनीके अधिकारमें भारतके जो स्थान आ गये हैं, उनका वह शासन करे और दो वर्षतक राजस्व लेती रहे; साथ ही प्रति वर्ष ४ लाख पौंड सरकारको दिया करे। बहुत से लोग इसे अन्याय समझेंगे, पर लार्ड चैथमका मत था कि पार्लमेंटको ऐसा करनेका अधिकार है। उनका कहना था कि कोई प्रजा किसी देशका राज्याधिकार अपने लिये नहीं, पर जिस राष्ट्रकी वह प्रजा है उसीके लिये, प्राप्त कर सकती है। अर्थात् कम्पनीने जो राज्य पाया है, वह उसका नहीं, बल्कि इङ्गलैंडका है, क्योंकि वह इगलैण्डकी प्रजा है और किसी देशका राज्याधिकार नहीं प्राप्त कर सकती। इसी समय राबर्ट क्लाइवने भी कहा था कि इगलैण्डके महाराज कम्पनीका राज्य अपने अधीन कर लें और लार्ड चैथमने यह कहकर उसे स्वीकार भी कर लिया था कि यह महाराजका अधिकार और कर्त्तव्य है कि स्वय भारतका शासन करें। पर १८५८ के पहलेतक कम्पनी ही भारतका शासन करती रही।

रेगुलेटिंग ऐक्ट।

सरकारसे इस प्रकार अप्रत्यक्ष उत्साह पाकर कम्पनीके डाइरेक्टरोंने घर फूक तमाशा देखना प्रारम्भ किया। आय व्ययका हिसाब लगाये बिना ही वे अपने हिस्सेदारोंको खूब

लगे, जिससे अन्तमें कम्पनीको रुपयेकी बडी तंगी हुई। अ
उसे ब्रिटिश सरकारसे ऋण मागना पड़ा। कम्पनीके शास
निन्दासे सरकार उकता गयी थी, इस लिये उसने बिना
भांति शासनव्यवस्था किये ऋण देना उचित नहीं सम
पार्लमेंटमें कम्पनीका मामला पेश हुआ। कम्पनीको ऋण
मिल गया, पर उसे आज्ञा हुई कि जबतक आर्थिक
न सुधरे, तबतक हिस्सेदारोंको वेहिसाव मुनाफा न
इसके साथ ही भारतवर्षमें कम्पनीके कर्मचारियोंके विष
नियम बने, जिनका यथास्थान उल्लेख किया जायग
यह ऐक्ट सन् १७७२ का रेगुलेटिंग ऐक्ट कहाता है।
समयसे कम्पनीकी शासनपद्धतिमें और पार्लमेंटका हस्त
बढ़ता ही गया और जैसा आगे चलकर आप देखेंगे
कम्पनीको कोई वास्तविक अधिकार न रहा। सन् १७८
में एक ऐक्ट बना जिसके अनुसार कम्पनीके कोर्ट आ

राज्यका कोई एक मुख्य मन्त्री जो आज्ञा दे, कोर्ट उसे माननेके लिये बाध्य किया गया।

सन् १७८४ में विलियम पिटने पार्लमेंटमें एक इंडिया बिल पेश किया। यह पास हो गया और कम्पनीको नियंत्रित रखनेके लिये "बोर्ड आव कन्ट्रोल" नामकी संस्थाकी सृष्टि हुई। इस संस्थाका दूसरा नाम "कमिशनर्स फार दि ऐफैयर्स आव इण्डिया" * है। इसने भारतशासनके विषयमें कम्पनीके हाथ पैर बेतरह जकड दिये। प्रिवी कौन्सिलके अधिकसे अधिक छ सदस्योंका यह बोर्ड बना। इनमें राज्यके एक मुख्य मन्त्री और † अर्थसचिव या राजस्वसचिवका रहना आवश्यक कर दिया गया। इसी ऐक्टने 'सीक्रेट कमिटी' या गुप्त समिति स्थापनकी व्यवस्था की थी। इस कमिटीमें कोर्ट आव डाइरेक्टर्सके अधिकसे अधिक तीन मेम्बर रहते थे। अन्य डाइरेक्टरोंको बिना बताये आज्ञापत्र भारत भेजना इस कमिटीका काम था। १७९३ में जो ऐक्ट बना, उससे इस बोर्डकी रचनामें भी परिवर्त्तन हुआ। राज्यके दो मुख्य मन्त्री, अर्थसचिव और दो अन्य सज्जनोंका बोर्डमें रहना आवश्यक कर दिया गया। साथ ही प्रिवी कौन्सिलरोंकी संख्या निर्दिष्ट नहीं रही। १८३३ के चार्टर ऐक्टमें महारानीको अधिकार

बोर्ड आव कन्ट्रोल।

---

* Commissioners for the Affairs of India † Chancellor of the Exchequer

दिया गया कि, वे चाहे जितने सज्जनोंको कमिशनर अथवा बोर्डके मेम्बर बना दें, यह आवश्यक नहीं है कि वे प्रिवी कौन्सिलके मेम्बर ही हों। परन्तु यह भी नियम हुआ कि कौंसिलके लार्ड प्रेसिडेंट, लार्ड प्रिवी सील, फर्स्ट लार्ड आव दि ट्रेजरी (प्रधान मन्त्री), राज्यके मुख्य मन्त्री और अर्थसचिव अपने पदोंके कारण इस बोर्डके मेम्बर रहेंगे। कुछ समय उपरान्त बोर्डमें मेम्बर न रहे, केवल अध्यक्ष ही उसके नामपर सब काम करते थे। १७९३ तक बोर्डके व्ययके लिये कोई व्यवस्था न थी, पर इसके बादसे भारतके राजस्वसे बोर्डके मेम्बरों और कर्मचारियोंको अच्छी तलबें मिलने लगीं।

बोर्डके अधिकार

१८३३ के चार्टर ऐक्टके बन जानेसे भारतशासनके सम्बन्धमें ईस्ट इण्डिया कम्पनीके सब अधिकार छिन गये। उसका विलायती खजाना बोर्ड आव कण्ट्रोलको दे दिया गया तथा नियम बना कि "सब आज्ञाएं, पत्र या सार्वजनिक विषयके कागज पत्र डाइरेक्टर लोग तबतक भारत न भेजें, जबतक बोर्ड उन्हें पसन्द न कर ले।" केवल कर्मचारियोंको नियुक्त करने और हटानेका कार्य कम्पनीके डाइरेक्टरोंके अधीन रहा। इसमें बोर्डको हस्तक्षेप करनेका

स्वीकृति उन्हें बोर्डसे लेनी पड़ती थी। इस प्रकार कम्पनीके डाइरेक्टरोंका महत्व बहुत घट गया और कोर्ट आव डाइ-रेक्टर्स या सञ्चालकसमिति केवल प्रस्तावकारिणी संस्था रह गयी, उसके प्रस्तावोंको स्वीकार अथवा अस्वीकार करना बोर्डके अधीन था।

बोर्ड कम्पनीके कार्योंकी कैसे देखभाल करता था इसका वर्णन १८५३ में पार्लमेण्टकी कमिटीके सामने उसके सीनियर क्लर्क मि० वाटर-फील्डने इस प्रकार किया था;—

बोर्डकी निरीक्षणपद्धति।

"बोर्डके आफिसका काम छ विभागोंमें बंटा हुआ था (१) रेवन्यू (राजस्व) (२) फाइनान्स ऐण्ड ऐकाउण्टस् (अर्थ तथा हिसाब किताब), (३) मिलिटरी (फौजी), (४) मैरीन, एक्लिसियेस्टिकल, पब्लिक ऐण्ड मिसेलेनियस (जल सेना, पादरियों, सर्वसाधारण तथा विविध सम्बन्धी), (५) पोलिटिकल (राजनीतिक) और (६) जुडिशल ऐण्ड लेजिस्लेटिव (न्याय तथा व्यवस्था सम्बन्धी) इनके सिवा एक सीक्रेट डिपार्टमेण्ट या गुप्त विभाग था, जो बोर्डके अध्यक्षके अधीन था। इसके खरीते वे आप तैयार करते थे। बाकी सब विभागोंके खरीते इण्डिया हाउसमें तैयार होते थे। खरीते भेजनेका नियम ऐसा था कि डाइरेक्टरोंकी समितिमें उपस्थित करनेके पहले कम्पनीके अध्यक्ष प्रस्तावित खरीतेके विषयमें अपने विचार बोर्डके अध्यक्षको लिख भेजते थे।

यह "प्रीवियस कम्यूनिकेशन" कहाता था। इसके साथ इसके सम्बन्धके सब कागजपत्र भी भेजे जाते थे। इस प्रकार इन कागजपत्रोंका बड़ा भारी पोथा हो जाता था। एक पोथेमें १६,२६२ पृष्ठतक रह चुके हैं। प्रीवियस कम्यूनिकेशन या पूर्व सुचना और उसपर की हुई टीकाटिप्पणी पढ़ते और फिर निर्णय करते हैं। कम्पनीके अध्यक्ष इस निर्णयपर फिर विचार करते हैं और कभी इसको पसन्द और कभी नापसन्द करते हैं। पर इसके अनुकूल ही उसकी नकल की जाती है और उसपर डाइरेक्टरोंकी मीटिंगमें विचार होता है। डाइरेक्टर उसमें कुछ परिवर्त्तन आदि करते हैं और फिर पहलेकी तरह कागजपत्रोंकी मिसिलके साथ वह बोर्डमें भेजा जाता है। इस समय यह ड्राफ्ट या मसविदा कहाता है। जिस विभागसे इसका सम्बन्ध हुआ उसमें यह मसविदा बोर्डके अध्यक्षकी निर्णीत पूर्व सूचनासे मिलाया जाता है। यदि दोनोंमें कुछ अन्तर न हुआ और सीनियर क्लर्कने ऐसी ही रिपोर्ट दे दी, तो यह स्वीकृत हो गया। यदि अन्तर हुआ, तो अन्तर बता दिया गया। आवश्यकता जान पड़ी, तो फिर सारा पोथा पढ़ा गया और उसपर टीकाटिप्पणी हुई। अध्यक्षको फिर कागजपत्र पढ़ने पड़े। कुछ विचारके उपरान्त वे निश्चय करते हैं, कि अमुक अंश बदला जाय या रहने दिया जाय। यदि बदलनेकी ठहरी, तो उसके कारणोंका उल्लेख कर एक पत्र डाइरेक्टरोंको लिख दिया गया। यदि उन्हें कारण नहीं लिख भेजे जाते, तो

थे उस कार्यका विरोध करके पत्र लिखते हैं और तब इस पत्र पर विचार करके उत्तर देना ही पड़ता है। अन्तको बोर्डको पत्रकी प्रतिलिपि भेज दी जाती है। बोर्डके अध्यक्ष सरकारके प्रत्येक विभागसे प्राइवेट पत्रव्यवहार रखते हैं और भारतके गवर्नरजेनरल तथा अन्य उच्च अधिकारियोंसे बराबर लिखापढ़ी करते रहते हैं। १८११से मन्त्रिमण्डलके एक सदस्य ही बोर्डके अध्यक्षके पदपर हैं।"

प्रति २० वर्षपर पूरी जाच।

कम्पनीके कारोबार और शासनव्यवस्थाकी जाच प्रति २० वर्षपर पार्लमेण्टकी कमिटिया करती थीं और इसी समय उनका चार्टर या फर्मान बदला जाता था। इसके लिये एक ऐक्ट बनता था और शासनप्रबन्ध तथा व्यापार व्यवस्थामें जाचके बाद जो विषय संशोधन योग्य दिखते थे, उनके संशोधन वा परिवर्त्तनके नियम इस ऐक्टमें रख दिये जाते थे। १७७३से १८५३ तक बराबर पार्लमेण्टने कम्पनीके कारोबार और शासनव्यवस्थाकी जाच की। १७७३में रेगुलेटिंग ऐक्ट बना, १७९३में बोर्ड आव कण्ट्रोल्के सघटनमें परिवर्त्तन हुआ, १८१३में व्यापार करनेका कम्पनीका इजारा छीन लिया गया और १८३३ में उसका विलायती खजाना सरकारने ले लिया और १८५३में जो फर्मान कम्पनीको दिया गया, उसमें यह साफ साफ लिख दिया गया कि राज्य महारानीका है, पर जबतक पार्लमेंट न

यह "प्रीवियस कम्यूनिकेशन" कहाता था। इसके साथ इसके सम्बन्धके सब कागजपत्र भी भेजे जाते थे। इस प्रकार इन कागजपत्रोंका बड़ा भारी पोथा हो जाता था। एक पोथेमें १६,२६३ पृष्ठ तक रह चुके हैं। प्रीवियस कम्यूनिकेशन या पूर्व सूचना और उसपर की हुई टीकाटिप्पणी पढते और फिर निर्णय करते हैं। कम्पनीके अध्यक्ष इस निर्णयपर फिर विचार करते हैं और कभी इसको पसन्द और कभी नापसन्द करते हैं। पर इसके अनुकूल ही उसकी नकल की जाती है और उसपर डाइरेक्टरोंकी मीटिंगमें विचार होता है। डाइरेक्टर उसमें कुछ परिवर्त्तन आदि करते हैं और फिर पहलेकी तरह कागजपत्रोंकी मिसिलके साथ वह बोर्डमें भेजा जाता है। इस समय यह ड्राफ्ट या मसविदा कहाता है। जिस विभागसे इसका सम्बन्ध हुआ उसमें यह मसविदा बोर्डके अध्यक्षकी निर्णीत पूर्व सूचनासे मिलाया जाता है। यदि दोनोमें कुछ अन्तर न हुआ और सीनियर क्लर्कने ऐसी ही रिपोर्ट दे दी, तो यह स्वीकृत हो गया। यदि अन्तर हुआ, तो अन्तर बता दिया गया। आवश्यकता जान पडी, तो फिर सारा पोथा पढा गया और उसपर टीकाटिप्पणी हुई। अध्यक्षको फिर कागजपत्र पढने पडे। कुछ विचारके उपरान्त वे निश्चय करते हैं, कि अमुक अंश बदला जाय या रहने दिया जाय। यदि बदलनेकी ठहरी, तो उसके कारणोंका उल्लेख कर एक पत्र डाइरेक्टरोंको लिख दिया गया। यदि उन्हें कारण नहीं लिख भेजे जाते, तो

से उस कार्यका विरोध करके पत्र लिखते हैं और तब इस पत्र पर विचार करके उत्तर देना ही पडता है। अन्तको बोर्डको पत्रकी प्रतिलिपि भेज दी जाती है। बोर्डके अध्यक्ष सरकारके प्रत्येक विभागसे प्राइवेट पत्रव्यवहार रखते हैं और भारतके गवर्नरजेनरल तथा अन्य उच्च अधिकारियोंसे बराबर लिखापढी करते रहते हैं। १८११से मन्त्रिमण्डलके एक सदस्य ही बोर्डके अध्यक्षके पदपर हैं।"

प्रति २० वर्षपर पूरी जाच।

कम्पनीके कारोबार और शासनव्यवस्थाकी जाच प्रति २० वर्षपर पार्लमेण्टकी कमिटिया करती थीं और इसी समय उसका चार्टर या फर्मान बदला जाता था। इसके लिये एक ऐक्ट बनता था और शासनप्रबन्ध तथा व्यापार व्यवस्थामें जाचके बाद जो विषय संशोधन योग्य दिखते थे, उनमे सशोधन वा परिवर्त्तनके नियम इस ऐक्टमें रख दिये जाते थे। १७७३से १८५३ तक बराबर पार्लमेण्टने कम्पनीके कारोबार और शासनव्यवस्थाकी जाच की। १७७३में रेगुलेटिंग ऐक्ट बना, १७८३में बोर्ड आव कण्ट्रोलके सघटनमें परिवर्त्तन हुआ, १८१३में व्यापार करनेका कम्पनीका इजारा छीन लिया गया और १८३३ में उसका विलायती खजाना सरकारने ले लिया और १८५३में जो फर्मान कम्पनीको दिया गया, उसमें यह साफ साफ लिख दिया गया कि राज्य महारानीका है, पर जबतक पार्लमेंट न

यह "प्रीवियस कम्यूनिकेशन" कहाता था। इसके साथ इसके सम्बन्धके सब कागजपत्र भी भेजे जाते थे। इस प्रकार इन कागजपत्रोंका बड़ा भारी पोथा हो जाता था। एक पोथेमें १६,२६३ पृष्ठतक रह चुके हैं। प्रीवियस कम्यूनिकेशन या पूर्व सूचना और उसपर की हुई टीकाटिप्पणी पढ़ते और फिर निर्णय करते हैं। कम्पनीके अध्यक्ष इस निर्णयपर फिर विचार करते हैं और कभी इसको पसन्द और कभी नापसन्द करते हैं। पर इसके अनुकूल ही उसकी नकल की जाती है और उसपर डाइरेक्टरोंकी मीटिंगमें विचार होता है। डाइरेक्टर उसमें कुछ परिवर्त्तन आदि करते हैं और फिर पहलेकी तरह कागजपत्रोंकी मिसिलके साथ वह बोर्डमें भेजा जाता है। इस समय यह ड्राफ्ट या मसविदा कहाता है। जिस विभागसे इसका सम्बन्ध हुआ उसमें यह मसविदा बोर्डके अध्यक्षकी निर्णीत पूर्व सूचनासे मिलाया जाता है। यदि दोनोंमें कुछ अन्तर न हुआ और सीनियर क्लर्कने ऐसी ही रिपोर्ट दे दी, तो यह स्वीकृत हो गया। यदि अन्तर हुआ, तो अन्तर बता दिया गया। आवश्यकता जान पड़ी, तो फिर सारा पोथा पढ़ा गया और उसपर टीकाटिप्पणी हुई। अध्यक्षको फिर कागजपत्र पढ़ने पड़े। कुछ विचारके उपरान्त वे निश्चय करते हैं, कि अमुक अंश बदला जाय या रहने दिया जाय। यदि बदलनेकी ठहरी, तो उसके कारणोंका उल्लेख कर एक पत्र डाइरेक्टरोंको लिख दिया गया। यदि उन्हें कारण नहीं लिख भेजे जाते, तो

वे उस कार्यका विरोध करके पत्र लिखते हैं और तब इस पत्र पर विचार करके उत्तर देना ही पडता है। अन्तको बोर्डको पत्रकी प्रतिलिपि भेज दी जाती है। बोर्डके अध्यक्ष सरकारके प्रत्येक विभागसे प्राइवेट पत्रव्यवहार रखते हैं और भारतके गवर्नरजेनरल तथा अन्य उच्च अधिकारियोसे बराबर लिखापढी करते रहते हैं। १८११से मन्त्रिमण्डलके एक सदस्य ही बोर्डके अध्यक्षके पदपर हैं।"

प्रति २० वर्षपर पूरी जाच।

कम्पनीके कारोबार और शासनव्यवस्थाकी जाच प्रति २० वर्षपर पार्लमेण्टकी कमिटिया करती थीं और इसी समय उसका चार्टर या फर्मान बदला जाता था। इसके लिये एक ऐक्ट बनता था और शासनप्रबन्ध तथा व्यापार व्यवस्थामें जाचके बाद जो विषय संशोधन योग्य दिखते थे, उनके संशोधन वा परिवर्त्तनके नियम इस ऐक्टमें रख दिये जाते थे। १७७३से १८५३ तक बराबर पार्लमेण्टने कम्पनीके कारोबार और शासनव्यवस्थाकी जाच की। १७७३में रेगुलेटिग ऐक्ट बना, १७८३में बोर्ड आव कट्रोलके सघटनमे परिवर्त्तन हुआ, १८१३में व्यापार करनेका कम्पनीका इजारा छीन लिया गया और १८३३ में उसका विलायती खजाना सरकारने ले लिया और १८५३में जो फर्मान कम्पनीको दिया गया, उसमें यह साफ साफ लिख दिया गया कि राज्य महारानीका है, पर जबतक पार्लमेंट न

चाहेगी कि सरकार उसका शासन करे तबतक कम्पनीके हाथमें रहेगा। यही मानो कम्पनीके लिये यमराजका वारंट था। सन् १८५८ की पहली नवम्बरको पार्लमेंटकी दोनो सभाओंकी इच्छासे महारानीने अपना प्रसिद्ध घोषणापत्र प्रचारित कर भारतका शासनदण्ड स्वयं ग्रहण किया।

भारतका शासन कौन है।

श्रीमान् सम्राट्के नामपर भारतका शासन होता है। इङ्गलैण्डमें भारतके शासनसम्बन्धका कार्य भारतसचिव और उनकी कौन्सिल द्वारा होता है। कम्पनीके समयमें कोर्ट आव डाइरेक्टर्स और बोर्ड आव कंट्रोलको जो अधिकार प्राप्त थे, वे सब १८५८के गवर्नमेंट आव इण्डिया ऐक्टके अनुसार, भारतसचिव और उनकी कौन्सिलको मिल गये। भारतसचिव प्रिवी कौन्सिलर होते हैं और इस प्रकार नियमानुसार वे श्रीमान् सम्राट्के परामर्शदाता हैं। इनके परामर्शके अनुसार ही सब कार्य होते हैं। जो पत्र भारत आते हैं, उनपर भारतसचिवके ही हस्ताक्षर होते हैं और भारतसे जो लण्डन जाते हैं,वे भारतसचिवके नाम जाते हैं। भारतसचिव भारतके प्रत्येक कर्मचारी यहातक कि गवर्नर जेनरलको भी आज्ञा दे सकते हैं।

भारतसचिव और कौन्सिल।

भारतसचिवके पदकी सृष्टि होनेके पहले महारानी विक्टोरियाके चार ही मुख्य मन्त्री थे। इनका सम्बन्ध स्वराष्ट्र, परराष्ट्र, उपनिवेश और युद्धविभागसे था। पर जब महारानीने भारत-

शासन भार लिया, तब पांचवें मन्त्री भारतसचिवकी आवश्यकता हुई। इनका तथा इनकी कौन्सिलके सदस्यों और दफ्तरके कर्मचारियोंका वेतन भारतसे देनेका नियम भी बन गया। अन्य मन्त्रियोंसे इनमें अन्तर भी था। आयरिश वा स्काटिश अथवा औपनिवेशिक मन्त्रियोंको अपनी नीति बतानी पड़ती थी, पर ब्रिटिश कोषसे भारतसचिवको वेतन न मिलनेके कारण ये अपनी नीति बतानेको बाध्य नहीं किये जा सकते थे। इसके सिवा अन्य मन्त्रियोंपर मामला नहीं चल सकता। मंत्रीके कार्यसे जिसे कष्ट वा दुःख पहुंचे, वह महाराजकी सेवामें प्रार्थनापत्र भेज सकता है। पर भारत सचिवपर नालिश हो सकती है और ये भी लोगोंपर नालिश कर सकते हैं। भारतसचिवकी आज्ञासे ही कौन्सिल काम करती है। ये अपनी कौन्सिलके अध्यक्ष हैं और इन्हें मत देनेका अधिकार है। ये किसी सदस्यको कौन्सिलका उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। कौन्सिलमें मेम्बर नियुक्त करना भी इनके ही अधीन है। सन्धि विग्रह करने अथवा दूसरे राज्यों तथा देशी रजवाड़ोंके विषयमें भारत सरकारको जो पत्रादि भेजे जाते हैं, वे अपनी कौन्सिलके मेम्बरोंको दिखाये बिना भारतसचिव उसी प्रकार भेज देते हैं, जिस प्रकार कोर्ट आव डाइरेक्टर्सकी सीक्रेट कमिटी भेजती थी। इनका अभिप्राय भी मेम्बरोंको कानोंकान नहीं मालूम होने पाता और इनपर "सीक्रेट" शब्द लिख दिया जाता है।

राज्योंसे सम्बन्ध रखे हुए सज्जन हैं। १९०७में एक हिन्दू और एक मुसलमान सज्जन भी कौन्सिलके मेम्बर बनाये गये थे। १९१९ में फिर गवर्नमेंट आव इण्डिया ऐक्ट पास हुआ और आजकल इसीके अनुसार काम हो रहा है।

हाई कमिशनर।

अन्तिम गवर्नमेंट आव इण्डिया ऐक्टके अनुसार भारत सचिवके हाथमें कण्ट्राक्ट देने और ऐसे ही अन्य काय नहीं रहे, जो वे भारत सरकारकी ओरसे लण्डनमें करते थे और इनके लिये हाई कमिशनरकी सृष्टि हुई है। १ अक्तूबर १९२० को सर विलियम मेयर हाई कमिशनर नियुक्त हुए थे और इनके अधीन इण्डिया आफिसका स्टोर्स डिपार्टमेंट और इसीके सम्बन्धकी एकाउण्टस् शाखा और भारतीय विद्यार्थियोंकी शाखा और लण्डनमें इण्डियन ट्रेड कमिशनरके कार्यके निरीक्षणका काम किया गया था। ज्यों ज्यों भारत सरकार और भारतसचिवके सम्बन्धमें परिवर्त्तन होते जायगे, त्यो त्यों हाई कमिशनरके अधिकार बढते बढते स्वराज्यप्राप्त उपनिवेशोंके हाई कमिशनरके समान हो जायगे। अब बम्बईके प्रसिद्ध पारसी श्रीयुक्त दादीबा मेरवानजी दलाल हाई कमिशनर नियुक्त हुए हैं। इस समय इनके आफिसके जेनरल डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट इण्डियन स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट एकाउण्टस डिपार्टमेंट द्रप सर्विस और इण्डियन ट्रेड कमिशनर हैं। हाई कमिशनरका वार्षिक वेतन ३,००० पौंड है। इनके अधीन

कोई ८५ वड़े कर्मचारी हैं, जिनमें इनके सेक्रेटरी, स्टोर डिपार्टमेंटके डाइरेक्टर जेनरल, स्टोर डिपोके सुपरिण्टेडेण्ट, शिपिंग डाइरेक्टर, ऐडमिनिस्ट्रेटर जेनरलोंके एजेंट और इण्डियन ट्रेड कमिशनर मुख्य हैं।

कौन्सिलके मेम्बरोंको स्वतन्त्र कोई अधिकार नहीं है। भारतसचिवके आज्ञानुसार वे लंडनमें भारतसम्बन्धीय सब कार्य करते हैं और जिन विषयोंपर भारतसचिव उनकी सम्मति पूछते हैं, उनपर सम्मति देते हैं। पहले सप्ताहमें साधारणतः एक वार भारतसचिवकी आज्ञासे कौन्सिलका अधिवेशन होता था। अब महीनेमें एक वार होता है। यदि भारतसचिव अधिवेशनमें उपस्थित होते हैं तो अध्यक्षका आसन ग्रहण करते हैं। उनकी अनुपस्थितिमें उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित होनेपर उस समयके लिये कोई मेम्बर अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया जाता है। पांच मेम्बरोंकी उपस्थितमें कार्य आरम्भ होता है। जिस अधिवेशनमें भारतसचिव हों और किसी मेम्बरके निर्वाचनका प्रश्न न उपस्थित हो और विचारणीय विषयके लिये कौन्सिलके बहुमतका प्रयोजन न हो, तो भारतसचिवके निर्णयके अनुसार कार्य होता है। निर्णीत विषयपर मतभेद होनेपर भारतसचिव कार्यविवरणीमें अपनी सम्मतिके कारण लिखा देते हैं और यदि कोई मेम्बर भी अपनी सम्मतिके कारण लिखाना चाहे तो

कौंसिलोंके अधिवेशन और मेम्बरोंका अधिकार।

यह भी लिखा सकता है। भारतसचिवकी अनुपस्थितिमें कौन्सिल जो निश्चय करती है, उसे कार्यमें परिणत करनेके पहले भारतसचिवकी लिखित अनुमति प्राप्त कर लेनी पड़ती है। कौन्सिलके मेम्बरोंको पार्लमेण्टमें बैठनेका अधिकार नहीं है।

कौंसिलकी कमिटियां और उनका कार्य।

कार्यकी सुगमताके लिये भारतसचिव अपनी कौन्सिलको चार चार पाच पाच मेम्बरोंकी कमिटियोंमें बांट देते हैं। प्रत्येक मेम्बर दो कमिटियोंका कार्य करता है। इन कमिटियोंके अधीन कुछ विभाग होते हैं। प्रत्येक विभागका एक स्थायी सेक्रेटरी होता है। जब कोई पत्र भारत भेजना होता है, तब जिस विभागसे उसका सम्बन्ध होता है, उसका सेक्रेटरी भारतसचिवकी आज्ञा लेता है और पत्रीका मसविदा तैयार करता है और कमिटीमें उपस्थित करता है। मेम्बर इसमें कुछ परिवर्त्तन करा वा आपत्तियां कर सकते हैं। परिवर्त्तनों और आपत्तियोंके अनुसार संशोधित हो यह भारतसचिवको भेजा जाता है। यदि वे स्वीकार कर लेते हैं तो और मेम्बरोंको यह देखनेको मिलता है। अनन्तर कौन्सिलमें विचार करके पास कर दिया जाता है। आजकल छ कमिटियां हैं, यथा फाइनान्स (अर्थ), पोलिटिकल पेण्ड सीक्रेट (राजनीतिक और गुप्त) मिलिटरी (फौजी), रेवेन्यू पेण्ड स्टेटिसटिक्स (राजस्व और दशा सम्बन्धी) पब्लिक पेण्ड

जुडीशल (सर्वसाधारण और न्याय सम्बन्धी), और पब्लिक वर्क्स (रेल, नहर, डाक, तार, सरकारी इमारतें आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली)।

इण्डिया आफिस। ईस्ट इण्डिया कम्पनीका दफ्तर इण्डिया हाउस कहाता था और भारतसचिवका दफ्तर इण्डिया आफिस कहाता है। यह लडनके व्हाइटहालमें है। पहले इण्डिया आफिसका कुल खर्च पहले हिन्दुस्थानके खजानेसे दिया जाता था। यह वार्षिक व्यय ३,५७,००० पौण्ड या ५३,५५,०००) है। इसमें भारतसचिवसे लेकर इण्डिया आफिसमें झाड़ू देनेवाली मेहतरानी तकका वेतन सम्मिलित था। १९१९ के गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्टके अनुसार अब हाई कमिशनर और उनके आफिस का खर्च छोड बाकी सब खर्च ब्रिटिश खजानेसे दिया जाना चाहिये। परन्तु वहासे अभी १३६५०० पौण्ड ही मिलते हैं। इसमें ४००,०० पौण्ड तो वेलबी कमिशनके प्रस्तावानुसार ब्रिटिश सरकार देती आती है और बाकीमें भारतसचिव और उनके सहकारी तथा अन्य कर्मचारियोंका वेतन है। इस लिये हिन्दुस्थानको अब भी २,२०,५०० पौण्ड देने पडते हैं। भारतसचिवके दो सहायक होते हैं, एक परमानेण्ट अण्डर सेक्रेटरी और दूसरा पार्लमेंटरी अण्डर सेक्रेटरी कहाता है। परमानेण्ट अंडर सेक्रेटरी स्थायी कर्मचारी होता है, पर पार्लमेण्टरी अण्डर सेक्रेटरी मन्त्रिमण्डलके परिवर्त्तन

वा अन्य कारणोंसे बदला करता है। इनसे इण्डिया आफिसके सूत्र मुख्य करके परमानेण्ट अंडर सेक्रेटरी या स्थायी सहकारी भारतसचिवके हाथमें रहते हैं। इण्डिया आफिसके मुख्य अधिकारियोंकी सूची इस प्रकार है —

अधिकारी।	वार्षिक वेतन।
भारतसचिव	५,००० पौण्ड
उनके प्राइवेट सेक्रेटरी	३०० ,,
,, ऐसिस्टैंट प्राइवेट सेक्रेटरी	१५० ,,
,, पोलिटिकल एडीकाग	८०० ,,
स्थायी सहकारी भारतसचिव	३,००० ,,
उनके प्राइवेट सेक्रेटरी	१५० ,,
डिपटी सह० भारतसचिव	२,२०० ,,
पार्लमेंटरी सह० भारतसचिव	१,५०० ,,
उनके प्राइवेट सेक्रेटरी	१५० ,,
ऐसिस्टैंट अंडर सेक्रेटरी	१५०० ,,
कन्ट्रोलर आफ फाइनान्स	२,४०० ,,
कौन्सिलके १० सदस्य (प्रत्येक)	१,२०० ,,

इंडिया आफिसका कार्यविभाग।

१८५८ के गवर्नमेंट आव इण्डिया ऐक्टके अनुसार महारानी विक्टोरियाकी प्रिवी कौन्सिलके एक आर्डरसे इण्डिया आफिसके स्थायी कर्मचारियोंकी संख्या आदि निर्दिष्ट हुई थी। इण्डिया आफिस कई विभागोंमें विभक्त है और

प्रत्येक विभाग एक स्थायी सेक्रेटरीके अधीन है। कौन्सिलकी कमिटियोंके नामोंके अनुसार विभागोंके नाम भी रखे गये हैं। सेक्रेटरीका वार्षिक वेतन १,२०० पौंड और सहकारीका १,००० पौंड होता है, पर सेना विभागके सहकारीका १,१०० पौंड है। इनके सिवा कई सीनियर जूनियर और स्टाफ क्लर्क हैं, जो ३५० से ८०० पौंडतक वेतन पाते हैं। ये विभाग कारेस्पाडेन्स डिपार्टमेण्ट कहाते हैं इण्डो-यूरोपियन टेलिग्राफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंटके डाइरेक्टर इन चीफ भी कारेस्पाडेन्स डिपार्टमेंटमें काम करते हैं और इन्हें १,१०० पौंड वार्षिक वेतन मिलता है। अन्य विभागोंके नाम एकाउण्टेण्ट जेनरल्स डिपार्टमेंट और रेजिस्ट्री ऐण्ड रेकार्डस् डिपार्टमेंट हैं। एकाउण्टेंट जेनरल ही अपने विभागके मुखिया हैं। इनका वेतन भी १,२०० पौंड वार्षिक है सीनियर जूनियर और स्टाफ क्लर्कों के सिवा इनके एक डिपटी और एक ऐसिस्टेंट भी हैं, जो क्रमश १,००० और ६५० पौंड पाते हैं। स्टोर विभागके मुखिया डाइरेक्टर जेनरल कहाते हैं। इनका, इनके सहकारी तथा क्लर्कों के वेतन कारेस्पाडेन्स विभागके सेक्रेटरियों, उनके सहकारियों तथा क्लर्कों के समान ही हैं। इस विभागकी एक शाखा स्टोर डिपो सुपरिण्टेडेण्टके अधीन है, जो ८०० से १,००० पौंड वेतन पाते हैं। डिपोके डिपटी और ऐसिस्टेंट सुपरिण्टेडेण्टोंके अतिरिक्त सुपरवाइजर मशिनरी और साइण्टिफिक सप्लाइजके (यन्त्रादि तथा

निक सामग्रियोंके) इन्सपेक्टर, मेडिकल स्टोर्स (डाक्टरी सामान) और सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंट्स एगजामिनर (चिकित्सा सम्बन्धी अस्त्रोंके परीक्षक) हैं। स्टोर्स डिपार्टमेंट, जैसा ऊपर बता चुके हैं, हाई कमिशनरके अधीन है। रेजिस्ट्री और रेकार्डस् विभाग रेकार्डस्के रजिस्टारके अधीन है। इनका वेतन १,००० पौंड है। इनके एक ऐसिस्टेंट और स्टाफ क्लर्क हैं। उल्लिखित अधिकारियोंके सिवा भिन्न भिन्न विषयोंसे सम्बन्ध रखनेवाले और भी कितने ही कर्मचारी नियुक्त हैं, जिनके पदोंकी सूची यह है,—गवर्नमेंट डाइरेक्टर आव रेलवेज़, लाइब्रेरियन (पुस्तकाध्यक्ष), इन्सपेक्टर आव मिलिटरी इक्विपमेंट ऐण्ड क्लोदिंग (फौजी साज सामान और वर्दीके इन्सपेक्टर), अफसरोंकी डाक्टरीके लिये मेडिकल बोर्डके प्रेसिडेण्ट और मेम्बर, भारतसचिवके सालिसिटर और कानूनी सलाह देनेवाले, सर्वेयर ऐण्ड क्लर्क आव वर्क्स (अमीन और इमारतोंके क्लर्क), आर्डनेन्स कन्सलटिंग अफसर (गोले बारूद-के मामलोंमें सलाह देनेवाले अफसर), कन्सलटिंग एञ्जिनियर और आडिटर। इनको ४०० से १,२०० पौंडतक वार्षिक वेतन मिलता है। उक्त अफसरोंमें कईके ऐसिस्टेंट या सहकारी भी हैं।

पार्लमेंट और भारत सरकार।

भारतके सुशासनके लिये भारतसचिव पार्लमेंटके सामने उत्तरदाता हैं। पार्लमेंटकी कामन्स सभामें भारतके किसी कर्मचारीके कुशासन दुर्व्यवहार अथवा कर्त्तव्य परामुखताके विषयमें जो प्रश्न किये जाते हैं, भारतसचिव वा

उनके पार्लमेंटरी सहकारी उनका उत्तर देते हैं। प्रति वर्ष १ मईके बाद चौदह दिनके भीतर भारतसचिवको भारतके आय-व्ययका लेखा पार्लमेंटमें उपस्थित करना पड़ता है। इसके साथ ही वे ब्रिटिश भारतकी मानसिक और आर्थिक उन्नतिका वर्णन करते हैं। १६१६ से भारत सरकार स्वयं एक रिपोर्ट तैयार कराती है और यही पार्लमेंटमें पेश की जाती है। कामन्स सभाकी कमिटी इसपर विचार करती है और भारतसचिव वा उनके प्रतिनिधि मेम्बरोंको इसे समझानेके लिये व्याख्यान देते हैं। इस समय पार्लमेंटके जो सदस्य चाहते हैं, भारतकी राजनीतिक या सामाजिक अवस्थाकी समालोचना करते और शासनसम्बन्धीय अन्य बातोंपर टीका टिप्पणी करते हैं। इसपर जो वादानुवाद हो जाता है, वही "बजेटकी बहस" कहाता है। वर्षभरमें इसी दिन भारतशासनकी समालोचना होती है। भारतसचिव और उनकी कौन्सिलके नामसे बैंक आव इङ्गलैंडमें भारतका खाता है। भारतसचिव और उनकी कान्सिलका हिसाब किताब जांचनेके लिये स्वतन्त्र आडिटर नियुक्त हैं। यद्यपि इनका तथा इनके अधीन कर्मचारियोंका वेतन भारतके खजानेसे दिया जाता है, तथापि इनकी नियुक्ति रायल साइन मैनुएलके अनुसार श्रीमान् सम्राट्के वारंट अर्थात् हस्ताक्षरयुक्त आज्ञा पत्रसे होती है और इसपर अर्थसचिवके भी हस्ताक्षर होते हैं।

तृतीय अध्याय।

भारत-सरकार।

भारतसरकारके अधिकार और उत्तरदायित्व समझनेके पहले यह जान लेना आवश्यक है कि भारत सरकार किसे कहते हैं। बहुतसे लोग जानते हैं कि जो अङ्गरेजीमें "गवर्नमेण्ट आव इण्डिया" है, वही हिन्दीमें "भारतसरकार" है। परन्तु इतना जान लेनेपर भी वे भारतसरकार बडे लाट या गवर्नर जेनरलका पर्यायवाची पद ही समझते हैं। यह सर्वथा भ्रम है, क्योंकि यद्यपि भारतसरकारके नामपर उन्हें बहुतसे कार्य करनेका अधिकार है, तथापि बडे लाट भारतसरकारके अङ्गविशेष और सबसे महत्वपूर्ण अङ्ग मात्र हैं, भारतसरकार नहीं। मनुष्यका सिर ही जिस प्रकार उसका शरीर नहीं है, उसी प्रकार बडे लाट ही भारतसरकार नहीं हैं। भारत सरकारका अर्थ है "गवर्नर जेनरल इन-कौन्सिल" अर्थात् गवर्नर जेनरल और उनकी कौन्सिल जब दोनो मिल जाते हैं, तब भारतसरकार कहाते हैं। पर कौन्सिलके विषयमें भी एक बात याद रखनी चाहिये। पहले गवर्नर-जेनरलकी दो कौन्सिलें थीं,

भारतसरकारकी परिभाषा।

एक एग्जिक्यूटिव कौन्सिल या शासनकारिणी सभा दूसरी लेजिस्लेटिव कौन्सिल या व्यवस्थापिका सभा। परन्तु जब भारतसरकार या "गवर्नर जेनरल-इन-कौन्सिल" कहते थे, तब वहा कौन्सिलका अर्थ शासनकारिणी सभा ही होता था, व्यवस्थापिका सभा नहीं। इसका कारण यह है कि गवर्नर-जेनरलके साथ कौन्सिल शब्दका प्रयोग व्यवस्थापिका सभा स्थापित होनेके बीसियों वर्ष पहलेसे होता आता है।'

गवर्नर जेनरलके पहलेकी व्यवस्था।

भारतसरकारका इतिहास जाननेके लिये हमें १७७३ का रेगुलेटिंग ऐक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले गवर्नर-जेनरल और कौन्सिलका अस्तित्व न था, कलकत्ते, बम्बई और मद्रासमें कम्पनीके व्यापार, किलों और कोठियो तथा शासनाधीन देशकी व्यवस्था करनेके लिये गवर्नर या प्रेसिडेंट और उनकी कौन्सिल थी। इन स्थानोंमें प्रेसिडेंट रहनेके कारण ये "प्रेसिडेन्सी" नामसे विख्यात हुए और कौन्सिल द्वारा इनका प्रबन्ध होनेसे इनकी शासनपद्धति "कौन्सिल गवर्नमेंट" कहायी। इन कौन्सिलोंमें प्रायः १२ से १६ मेम्बरतक होते थे। कलकत्तेमें कम्पनीका किला "फोर्ट विलियम" और मद्रासमें "फोर्ट सेंट जार्ज" कहाता था, और कम्पनीके कागजपत्रोंमें इन नगरोंके बदले किलोंके नाम ही लिखे जाते थे। हिन्दुस्थानमें कम्पनीकी तीनो प्रेसिडेन्सिया परम स्वतन्त्र थीं और सबपर "कोर्ट आव डाइरेक्टर्स" की

प्रभुता थी। इससे, जिस प्रेसिडेन्सीके मनमें जो आता था, यह वही कर उठाती थी और इस प्रकार, काममें बड़ी गड़बड़ होती थी। इसे दूर करनेके अभिप्रायसे रेगुलेटिंग वना और फोर्ट विलियमके गवर्नर वारेन हेस्टिंग्ज् गवर्नर जेनरल वनाये गये तथा इनकी सहायताके लिये चार सभासदोंकी कौन्सिल या शासनकारिणी सभा वनी। लेफटेनेंट जेनरल जान क्लेवरिंग, जार्ज मान्सन, सर फिलिप फ्रांसिस और रिचार्ड वारवेल चारो मेम्बरोंके नाम ऐक्टमें लिखे हैं। पहले तीन तो इङ्गलैंडसे आये और चौथा मेम्बर यहीं था। गवर्नर-जेनरलका वार्षिक वेतन २५,००० पौंड और मेम्बरोंका १०।१० हजार पौंड ऐक्टमें लिखा गया और पाचो ५।५ वर्षके लिये नियुक्त हुए।

इस ऐक्टने ही वर्त्तमान भारतसरकारकी नींव डाली थी। *गवर्नर जेनरल और कौन्सिलके अधिकार।* इसके पास होनेसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियोंपर बङ्गालका प्राधान्य हो गया, क्योंकि गवर्नर-जेनरल और कौन्सिलको उनके शासन तथा प्रवन्धकी देख भालका अधिकार दिया गया। इस समयसे भारतीय नरपतियोंसे सन्धि विग्रह करनेका उनका अधिकार छिन गया और कोर्ट आव डाइरेक्टर्स या गवर्नर-जेनरल और कौन्सिलकी आज्ञा लिये विना वे यह काम नहीं कर सकती थीं। गवर्नर जेनरलके लिये अपनी कौन्सिलके बहुमतसे ही कार्य करनेका नियम बना और किसी विषयपर दो मत और

नो ओर मतसंख्या समान होनेपर उन्हें एकमत अधिक देनेका अधिकार मिला था। १७८४ के ऐक्टसे गवर्नर-जनरलकी कौन्सिलके चार मेम्बरोंके बदले भारतमें कम्पनीकी सेनाके कमाडर इन चीफ या प्रधान सेनापति समेत तीन ही मेम्बर रह गये। गवर्नर जेनरलके बाद प्रधान सेनापतिका ही पदगौरव रहा। इसी ऐक्टमें गवर्नर जेनरलको अधिकार मिला कि जिस मनुष्यपर किसी भारतीय नरपति वा अधिकारसम्पन्न व्यक्तिसे नियमविरुद्ध पत्र व्यवहार करनेका सन्देह हो, उसे कैद करनेके लिये आप वारंट निकाल सकते हैं। १७८६ में जब लार्ड कार्नवालिसको बंगालकी गवर्नर-जेनरली मिलने लगी, तब उन्होंने कहा कि मेरे अधिकार बढाइये तो मैं इसे स्वीकार करू। इसपर गवर्नर-जेनरल ही प्रधान सेनापति बना दिया गया, पर लार्ड कार्नवालिस इससे भी सन्तुष्ट न हुए और अधिक अधिकार मागने लगे। इस लिये १७६१ में विशेष ऐक्ट पास हुआ जिससे विशेष अवसरोंपर गवर्नर-जेनरलको अपनी कौन्सिलका बहुमत अस्वीकार करने और अपने उत्तरदायित्वपर काम करनेका अधिकार दिया गया। साथ ही लार्ड कार्नवालिसकी आलाप भी नियमानुकूल ठीक ठहरायी गयीं। १७६३ के चार्टर ऐक्टमें यह नियम किया गया कि कमांडर-इन चीफ तबतक कौन्सिलके मेम्बर नहीं हो सकते, जबतक डाइरेक्टरोंकी ओरसे वे मेम्बर न नियुक्त किये जायं।

भारतके सुशासनका उत्तरदाता कौन है ?

यद्यपि गवर्नर-जेनरल और उनकी कौन्सिलको कम्पनीके अधीन भारतवर्षके शासन और प्रबन्धके निरीक्षणका अधिकार था, तथापि वे बङ्गालके ही गवर्नर-जेनरल कहाते थे। पर १८३३ का चार्टर ऐक्ट बननेसे समस्त ब्रिटिश भारतपर गवर्नर-जेनरल और उनकी कौन्सिलका प्राधान्य पूर्ण तथा स्पष्ट रूपसे हो गया और वे भारतके गवर्नर-जेनरल बनाये गये। इसी ऐक्टमें बम्बई और मद्रास प्रेसिडेन्सियोंके लिये नियम बना कि वे सब विषयोंमें कौन्सिल सहित गवर्नर-जेनरलकी आज्ञाका पालन करें। इस ऐक्टकी ३९ वीं धारामें गवर्नर जेनरल और कौन्सिलको अधिकार मिला कि वे भारत शासनसे सम्बन्ध रखनेवाले मुल्की और जंगी मामलों तथा भारतीय राजस्वका "निरीक्षण, नियन्त्रण और निर्देश" करें। कोर्ट आव डाइरेक्टर्सने ऐक्टकी प्रतिलिपिके साथ जो खरीता भारत भेजा था, उसमें ३९ वीं धाराके विषयमें लिखा था, कि "सेना तथा देश सम्बन्धीय समस्त भारतीय शासन आपके हाथमें है और उसकी भलाई बुराईकी नेकनामी बदनामी आपकी होगी।" अर्थात् इसी समयसे गवर्नर-जेनरल और उनकी कौन्सिलपर भारतशासनका उत्तरदायित्व हो गया।

प्रदेशोंकी शासनव्यवस्था।

१८३३ के चार्टरने ऐक्ट भारतशासन व्यवस्थामें और भी सुधार किये। इस समयतक बङ्गाल, बम्बई और मद्रास ये तीन ही प्रेसिडेन्सियां थीं। बङ्गाल प्रेसिडेन्सीके गवर्नर जेनरल और कौन्सिलके अधीन शेष दोनो प्रेसिडेन्सियां

थी। १७७३ से १८३३ तक ६० वर्षके बीच पञ्जाबको छोड़ समस्त उत्तर भारत कम्पनीके अधीन हो गया था और बङ्गाल प्रेसिडेन्सीमें मिला दिया गया था। इतनी बड़ी प्रेसिडेन्सीका शासन और अन्य दो प्रेसिडेन्सियोंका निरीक्षण करना गवर्नर जेनरल और कौन्सिलके लिये असम्भवसा हो रहा था। इस लिये इस ऐक्टमें यह व्यवस्था की गयी कि बङ्गाल प्रेसिडेन्सीके दो भाग कर दिये जाय और एक फोर्ट विलियम प्रेसिडेन्सी तथा दूसरा आगरा प्रेसिडेन्सी कहावे। पर इसके अनुसार कार्य न हुआ और दो वर्ष बाद १८३५ में एक और ऐक्ट पास हुआ, जिससे पश्चिमोत्तर प्रदेशके लिये एक लेफटेनेण्ट गवर्नर नियुक्त हुआ। बङ्गाल प्रेसिडेन्सी गवर्नर जेनरल और कौन्सिलके शासनाधीन रही। पर जब गवर्नर जेनरल और कौन्सिलके लिये इतना भी कार्य बहुत समझा गया, तो १८५३ के चार्टर ऐक्टमें बङ्गालके लिये स्वतन्त्र गवर्नर नियुक्त करना निश्चित हुआ। पर पार्लमेंटकी इच्छाके अनुसार कार्य न हुआ और पश्चिमोत्तर प्रदेशकी तरह बंगालके लिये भी १८५४ में लेफटेनेंट गवर्नर नियुक्त हुआ। १८७४ में बङ्गालसे ११ जिले निकालकर चीफ कमिशनरके अधीन कर दिये गये और इस प्रकार आसाम स्वतन्त्र प्रदेश बना। १९०५ में लार्ड कर्जनने बङ्गालके दो टुकड़े करके पूर्व बंगको आसामसे मिलाकर नया प्रदेश बना दिया था। पर १९१२ के १ अप्रेलमें आसाम फिर चीफ कमिशनरके अधीन कर दिया

गया। बङ्गालके दोनो टुकडे जोड दिये गये और बिहार, उडीसा और छोटानागपुर बङ्गालसे लेकर अलग प्रदेशमें परिणत किये गये तथा नये प्रदेशका शासन लेफटेनेंट गवर्नर और ३ मेम्बरोंकी कौन्सिलको सौंपा गया। भारत सरकार कलकत्तेसे दिल्ली चली गयी और बगालका शासन गवर्नर और उसकी कौन्सिलको सौंपा गया। १९१९ के गवर्नमेंट आव इण्डिया ऐक्टके अनुसार युक्तप्रदेश, बिहार उडीसा, पंजाब मध्यप्रदेश और बरार तथा आसाम गवर्नरके प्रदेश बनाये गये और इनके गवर्नरोंकी सहायताके लिये शासन सभा और मत्री नियुक्त किये गये।

कौंसिलसघटनका इतिहास।

रेगुलेटिङ्ग ऐक्टके बादसे अबतक गवर्नर-जेनरलकी कौन्सिलके सघटनमें बहुत सशोधन हुए हैं। रेगुलेटिंग ऐक्टने चार मेम्बरोंकी व्यवस्था की थी, पर १७८४ के ऐक्टसे मेम्बरोंकी सख्या तीन हो गयी और कमाडर-इन-चीफ अर्थात् प्रधान सेनापति भी इन तीनमें एक मेम्बर बनाये गये। इस प्रकार प्रधान सेनापतिको छोड मेम्बरोंकी सख्या दो ही रह गयी। १७९३ के चार्टर ऐक्टमें यह नियम बना कि यदि विशेष रूपसे प्रधान सेनापति कौन्सिलके मेम्बर न नियुक्त किये जायं, तो वे मेम्बर नहीं हो सकते। इस व्यवस्थासे प्रधान सेनापतिको छोडकर तीन मेम्बर हो गये। परन्तु १८३३ के चार्टर ऐक्टसे मेम्बरोंकी संख्या फिर चार हो

गयी। चौथे मेम्बरके लिये यह नियम हुआ, कि वह कम्पनीका नौकर न होगा तथा उसका काम कानून बनानेमें सलाह देनामात्र होगा। शासन सम्बन्धीय प्रश्नोंपर उससे न तो सम्मति ली जाती थी और न वह कौन्सिलमें बैठता ही था। इसी समयसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेन्सियोंका कानून बनानेका अधिकार भी छिन गया और ये सर्वथा परतन्त्र हो गयीं। गवर्नर-जनरलकी कौन्सिल ही समस्त ब्रिटिश भारतके लिये कानून बनाने लगी थी। इसी ऐक्टमें यह भी नियम रखा गया कि अभीतक तीनों मेम्बर सिविलियन होते थे, पर अबसे एक फौजी भी हो सकेगा। १८५३में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेन्सियोंको कानून बनानेका अधिकार फिर मिल गया। १८५६ तक चौथा मेम्बर बारिस्टर होता था, पर इस वर्ष उसका पद रिक्त होनेपर अर्थव्यवस्थामें निपुण एक सज्जन उस पदपर बैठा दिये गये। प्राय दो वर्षतक भारतसरकारकी कौन्सिलमें कोई व्यवस्था सदस्य ही न रहा। इस लिये १८६१के कौन्सिल आव इण्डिया ऐक्टमें चारके बदले पांच सदस्योंकी नियुक्तिकी व्यवस्था हुई। भारतसचिवको अधिकार दिया गया कि वे प्रधान सेनापतिको गवर्नर जेनरलकी कौन्सिलका असाधारण सदस्य नियुक्त कर सकते हैं। इस समयसे प्रधान सेनापति बराबर असाधारण सदस्य नियुक्त होते आते हैं। इस ऐक्टमें मेम्बरोंकी योग्यता भी लिखी गयी। तीन मेम्बर तो ऐसे हो सकते हैं, जिन्होंने कमसे कम १० वर्षतक कम्पनी या महारानी-

की नौकरी की हो। बारिस्टर या स्काटलैंडके ऐडवोकेटोंकी फैकल्टीका पाच वर्षतक मेम्बर रहा हुआ मनुष्य चौथा मेम्बर या व्यवस्था सदस्य नियुक्त हो सकता है। पाचवें मेम्बरकी योग्यताका कुछ भी उल्लेख न होनेसे अर्थसदस्य ही पाचवा मेम्बर हुआ। १८७४ के ऐक्टमें रेल, नहरों, डाक, तार आदिके लिये छठा या पब्लिक वर्क्स मेम्बर रखनेकी व्यवस्था हुई थी, पर ३० वर्षतक इसका उपयोग न हुआ और १९०४ में जो ऐक्ट बना उसमें कहा गया कि महारानी छठा मेम्बर नियुक्त कर सकेंगी, पर "वह पब्लिक वर्क्सके लिये ही होगा" यह अश निकाल डाला गया। सन् १९०२ में भारतसरकारके पाच ही मेम्बर थे। एक व्यवस्था सम्बन्धीय, दूसरा सेना विषयक, तीसरा पब्लिक वर्क्सका, चौथा अर्थ तथा व्यापार वाणिज्यका और पाचवा होम, और रेवेन्यू ऐण्ड ऐग्रिकलचर विभागोंका काम देखता था। सन् १९०५ में इस व्यवस्थामें परिवर्त्तन हुए। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंटके दो टुकडे हो गये। रेलोंके सम्बन्धका काम एक प्रेसिडेण्ट और दो मेम्बरोंके रेलवे बोर्डके अधीन कर दिया गया और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंटका अवशिष्ट कार्य उसी नामके स्वतन्त्र विभागके अधीन रहा था, पर राजस्व और कृषि विभागके मेम्बर इसके कार्यकी भी देखभाल करने लगे। होम डिपार्टमेंटके लिये अलग मेम्बर हुआ। फाइनान्स और कमर्स डिपार्टमेंटके भी दो भाग हो गये, एक अर्थ सदस्यके और दूसरा नवनियुक्त शिल्पवाणिज्य सदस्यके

अधीन किया गया। इसी वर्ष मिलिटरी डिपार्टमेंट उठा दिया गया और इसके बदले आर्मी ऐण्ड मिलिटरी सप्लाइ डिपार्टमेंटोंकी सृष्टि हुई। आर्मी डिपार्टमेंट प्रधान सेनापतिके और मिलिटरी सप्लाइ डिपार्टमेंट एक स्वतन्त्र मेम्बरके अधीन किया गया। इस प्रकार छ मेम्बरोंका कार्यविभाग हुआ। १६०६ में मिलिटरी सप्लाइ डिपार्टमेंट उठा दिया गया और सेना सम्बन्धीय सब प्रबन्ध प्रधान सेनापतिके अधीन किया गया। इस प्रकार फिर पांच ही मेम्बर रह गये, पर १६१० के नवम्बरमें शिक्षा विभागकी सृष्टि हुई और इसके लिये छठा मेम्बर नियुक्त कर छकी संख्या पूरी कर दी गयी। वायसरायकी कौन्सिलमें आर्डिनरी या साधारण मेम्बर तो अब भी छ ही हैं, परन्तु मेम्बरोंके अधीन विभागों और कार्यों में वायसराय लार्ड रेडिंगने ११ अप्रेल १६२३ से परिवर्त्तन किया है।

भारत सरकारके अधिकार।

१८३३ के चार्टर ऐक्टके अनुसार ब्रिटिश भारतके शासन तथा सेनाप्रबन्धके "निरीक्षण, निर्देश और नियन्त्रणका" अधिकार भारत-सरकारको है। इस लिये भारत सरकार समस्त भारत तथा उसके भिन्न भिन्न प्रदेशोंके शासनके लिये उत्तरदाता है। देशी रजवाड़ोंपर उसका प्रभुत्व है और देशरक्षाके लिये सेना उसके अधीन है। एशियाई राज्योंसे वह सन्धि कर सकती है। विदेशी राज्योंके अन्तर्गत प्रदेशमें वह अपनी सत्ता और अधिकारोंका उपयोग कर सकती है तथा

अपने अधीन भूभाग किसी राज्यको देने और उसके अधीन भूभाग लेनेका भी उसे अधिकार है। साराश, सम्राट्का प्रतिनिधि होनेके कारण उसे सम्राट्की ऐसी शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं, जो भारतीय व्यवस्थाके विरुद्ध न हों। पर भारतसचिवकी इच्छाके विरुद्ध भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती। १७७३ के रेगुलेटिंग ऐक्टमें व्यवस्था की गयी थी कि गवर्नर जेनरल और उनकी कौन्सिल कोर्ट आव डाइरेक्टर्सकी आज्ञा माने और इसमें किसी प्रकारका संशोधन या परिवर्त्तन न होनेके कारण १८५८ के ऐक्टसे उक्त कोर्टके अधिकार भारत सचिवको मिल गये हैं, इस लिये भारतसरकार भारतसचिवकी आज्ञा माननेको बाध्य है। प्रायः समस्त आर्थिक विषयोंमें भारतसरकारको भारतसचिवके इच्छानुसार कार्य करना पड़ता है, पर भारतसरकारको इन विषयोंमें भारतसचिवकी स्वीकृति पहले लगा लेनी पड़ती है;—

(१) टैक्सोंका घटाना या बढ़ाना अथवा दूसरे उपाय करना जिनसे भारतीय आयका सम्बन्ध हो।

(२) आर्थिक नीतिमें नवीन परिवर्तन ... करनेवालोंकी कारवाई या ... कार्य।

(३) साधारणत ... जिनसे ... पूर्ण प्रश्न उत्पन्न हों अथ... व्यय बढ़े।

अर्थात् ...

तो कोई कानून बना सकती है, न किसी नये पदकी सृष्टि कर सकती है और न ऐसा कोई सुधार ही कर सकती है जिससे सरकारका व्यय बढ़े। भारतसचिवकी स्वीकृति विना करेन्सीके नियमोंमें परिवर्त्तन करना या ऋण लेना उसकी शक्तिके बाहर है। भारतसरकारके लिये यद्यपि किसी ऐक्टसे यह आवश्यक नहीं है कि वह कोई कानून बनानेके पहले उसका मसविदा भारतसचिवसे स्वीकार करा ले तथापि १८७० में बड़े लाट लार्ड मेयो और भारतसचिव ड्यूक आव आर्जिलमें इस विषयपर बड़ी लिखापढ़ी हुई थी और अन्तको ड्यूकने २४ नवम्बर १८७० के पत्रमें लार्ड मेयोको लिखा था कि भारत-सचिवके अधिकारोंकी सीमा भारतमें बने हुए कानूनको रद्द कर देनेतक ही नहीं है, बल्कि "भारत सरकार ब्रिटिश सरकारकी शासनकारिणी संस्था मात्र है, जिसे अधिकार है कि गवर्नरजेनरलसे कहे कि फलां कानून पेश करो और सब सरकारी मेम्बरोंसे कहे कि इसके पक्षमें वोट दो।" इस सिद्धान्तके कारण पञ्जाब कैनाल ऐक्ट रद्द हुआ और दुबारा बनाया गया। १८७४में गवर्नर-जेनरल लार्ड नार्थब्रुकको भारत सचिव लार्ड सैलिसबरीने लिखा कि बहुत मामूली या जरूरी कानूनको छोड़कर सब कानूनोंके मसविदे हमारे पास भेज दिया कीजिये, जिसमें हम पहले ही उनपर सम्मति प्रकट कर सकें। इसपर कुछ लिखापढ़ी हुई, पर मामला निपटा नहीं। १८७५ में भारतसरकारने विलायती कपड़ेपर ५) सैकड़े आगत

कर बढा दिया। इसपर लार्ड नार्थब्रुक और लार्ड सैलिसबरीमें झगडा हो गया। लार्ड सैलिसबरीने कहा कि हमें खबर दिये बिना ही आपने क्यों कर बढा दिया। उन्होंने यह भी आज्ञा दी कि भविष्यमें यदि कोई कानून पास करनेकी बडी आवश्यकता हो, तो हमें बिना विलम्ब पहले ही तारसे खबर दिया कीजिये। इसपर लार्ड नार्थब्रुकने इस्तीफा दे दिया। इस समयसे हर कानूनके लिये भारतसचिवकी आज्ञा पहले ले लेनी पडती है।

भारतसरकार कार्य।

यद्यपि भारतसरकारके लिये नीति निर्द्धारण करना भारतसचिवका काम है, तथापि भारत शासन सम्बन्धीय सब कार्य भारत सरकारको ही करने पडते हैं। शासन शकट चलानेके लिये भारतसरकार बङ्गाल तथा उन प्रदेशोंसे जहा,भूकरका स्थायी प्रबन्ध (लगानका दवामी बन्दोवस्त) नहीं है, उसका कुछ भाग लेती है। बडे बडे जमीन्दार अपनी रैयत पर ज्यादा मालगुजारी न बढावें इसके लिये वह समय समय पर हस्तक्षेप करती है। मध्य प्रदेशमें तो यह जमीन्दारकी मालगुजारी भी ठीक करती है। पञ्जाबमें उसने यह व्यवस्था की है कि किसान किसानके सिवा किसी दूसरेको जमीन न बेच सके। जमीन्दारियोंके मालिकके अयोग्य या नाबालिग होनेपर वह उनका प्रबन्ध करती है। अकालके समय वह अकाली काम खोलकर तथा अन्य प्रकारसे लोगोंके कष्ट दूर करती है। वह

जहाजोंका बन्दोबस्त करती और नमक तथा अफीम बनाती है। देशकी प्राय सब रेलें भारत सरकारकी ही हैं और वह स्वय उनमें बहुतोंका प्रबन्ध करती है। उसने नहरें बनायी हैं और उनका प्रबन्ध करती है। डाक और तार विभाग उसीके हैं। नोट प्रचार करनेका अधिकार उसीको है और वही टकसालोंमें सिक्के ढाल सकती है। कभी कभी रुपयेकी कमी होनेपर बैंकोंको ऋण देती है। वह यहासे व्यापार मध्ये रुपये विलायत भेजती है और भारतसचिव वहा भारतसरकारपर हुडिया लिखकर ये रुपये वसूल करते हैं। वह म्युनिसिपैलिटियों, ग्राम बोर्डों, किसानों और कभी कभी कभी ऐतिहासिक भूसम्पत्तियोंके अधिकारियोंको ऋण देती है। वह शराब या मादक पदार्थोंको बिक्रीका नियन्त्रण करती है। यह काम बिना लाइसेन्सकी बिक्री रोकनेसे ही नहीं हो जाता, बल्कि इसके लिये थोडी मुद्दतके लिये लोगोंको ठेके दिये जाते हैं और ये ठेके कुछ रकमोंपर नीलाम होते हैं। पुलिस, शिक्षा, डाक्टरी और स्वास्थ विषयक कार्य तथा और भी सडकों और सरकारी इमारतोंके सम्बन्धके बहुतसे कार्य भारत-सरकारको करने पडते हैं। इनके सिवा उसका बहुतेरे रजवाडोंसे बडा घनिष्ठ सम्बन्ध है। *

---

* अधिकार विभाजक कमिशनके नोटके आधारपर।

कमांडर-इन चीफ तथा छ आर्डिनरी मेम्बरोंसे गवर्नर-जेनरल भारत शासनशकट चलाते हैं।

विभागोंकी व्यवस्था पहले शासन सम्बन्धीय प्रत्येक विषय कौन्सिलमें उपस्थित किया जाता था और जैसा निश्चय होता था, उसके अनुसार कार्य किया जाता था। पर १७८६ में लार्ड कार्नवालिसको अधिकार दिया गया था कि बहुमत अस्वीकार कर अपने इच्छानुसार कार्य करें और मेम्बर और गवर्नर जेनरल अपने अपने पक्षकी बातें लिख दिया करें। इस समयसे बहुधा यही होने लगा। लार्ड वेलेस्लीने इस नियमका अच्छा उपयोग किया। वे जो कुछ करते थे, उसमें कौन्सिलकी सम्मति प्राय नहीं लेते थे। लार्ड कैनिंगके समयतक जो गवर्नर-जेनरल जिस विषयपर कौन्सिलकी सम्मति आवश्यक समझता था, लेता था, और जब चाहता था कौन्सिलकी उपेक्षा कर जाता था। १८६१ के कौन्सिल आव इण्डिया ऐक्टकी ८ वीं धाराने गवर्नर जेनरलको सरलता तथा शीघ्रतापूर्वक अपनी कौंसिलके कार्यपरिचालनके लिये नियम बनाने तथा आज्ञा देनेका अधिकार दिया और नियम किया कि इसके अनुसार प्रचारित आज्ञा या नियम, कौंसिल सहित गवर्नर-जेनरलके बनाये या प्रचारित समझे जायंगे। इसके अनुसार लार्ड कैनिंगने अपनी कौंसिलके चार मेम्बरोंके अधीन चार विभाग कर दिये और फारेन डिपार्टमेंट या परराज्योंसे सम्बन्ध रखनेवाला विभाग अपने अधीन रखा।

इससे विशेष लाभ न हुआ, क्योंकि महत्वके प्रश्न गवर्नर-जेनरलके विचारार्थ भेजने पड़ते थे और काममें बड़ा झमेला होता था। गवर्नर-जेनरलके कहीं जानेपर सरकारी काममें बड़ी देर होती थी। लार्ड मेयोके समयमें इस व्यवस्थामें कुछ और सुधार हुए। परन्तु फिर भी जैसी चाहिये वैसी सरलता न हुई। आजकल भारतसरकारका कार्य इन आठ बड़े विभागोंमें बटा है,—होम (स्वदेश) फारेन (परराज्य), फाइनान्स (अर्थ), लेजिस्लेटिव (व्यवस्था), एजुकेशन, हेल्थ ऐण्ड लैंड्स (शिक्षा, स्वास्थ्य और जमीन), रेलवेज ऐण्ड कामर्स (रेलवे और वाणिज्य), आर्मी (सेना) और इण्डस्ट्रीज ऐण्ड लेबर (उद्योगधन्धे और मजूर)। फारेन डिपार्टमेंट गवर्नर-जेनरलके अधीन है और आर्मीपर कमाण्डर-इन चीफका प्रभुत्व है। होम, फाइनान्स, लेजिस्लेटिव, रेलवेज ऐण्ड कमर्स, इण्डस्ट्रीज ऐण्ड लेबर इन ६ विभागोंका काम देखनेके लिये ६ "आर्डिनरी" मेम्बर नियुक्त हैं।

विभागोंके काम।

भारत सरकारका सब कार्य उक्त विभागोंद्वारा ही होता है यह बताया जा चुका है। अब यही कहना है कि किस विभागको कौन काम करने पड़ते हैं। फारेन डिपार्टमेंट अथवा परराज्य विभाग परराजनीतिसे सम्बन्ध रखता है। विदेशी राज्यों तथा भारतान्तर्गत देशी रजवाड़ों और करद राज्योंसे सम्बन्ध, सीमान्तके जिलोंके शासनका नियन्त्रण और

सीमान्तकी तथा पहाड़ी जातियोंसे सम्बन्ध, बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़ेका शासन, राजनीतिक कैदी, राजनीतिक पेनशन, एक्सट्राडिशन और ब्रिटिश भारतके बाहर भारत सरकारके अधिकार, खिताबे हिन्द आदि पदवियां, परराष्ट्रोंके वाणिज्यदूतोंको स्वीकार करना, इम्पीरियल सर्विस सेना और इम्पीरियल केडेट कोर फारेन डिपार्टमेंट सम्बन्धीय कार्य हैं। ब्रिटिश भारतके बाहरकी राजनीतिका निर्णय जैसे फारेन डिपार्टमेंटके अधीन है, वैसे ही भीतरी राजनीतिका नियन्त्रण होम डिपार्टमेंट करता है। इण्डियन सिविल सर्विस, आवारा यूरोपियनोंका (१८७४) ऐक्ट, कानून और न्याय, लावारिस बेवसीयती जायदादें, जेल और कालापानी, पुलिस, विचार और शासन सम्बन्धीय कर्मचारियोंका स्वत्वनिर्द्धारण, इण्डियन आर्म्स ऐक्ट तथा मनुष्यगणना परदेशियोंको स्वदेशियोंके अधिकार देकर स्वदेशी बना लेना, होम डिपार्टमेंटका काम है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश, ब्रिटिश बलूचिस्तान और अजमेरमेरवाड़ेपर होम डिपार्टमेंटकी सत्ता नहीं है। रेलवेज और वाणिज्य विभाग या रेलवेज ऐण्ड कमर्स डिपार्टमेंटका सम्बन्ध (१) रेलवे, (२) व्यापार वाणिज्य तथा उसके अन्तर्गत व्यापारी मालके मार्के, आगत और निर्गत करके नियम, स्टेटिस्टिक्स (स्थिति), जान बीमा और आडिटरका काम (हिसाब किताबकी जांच) (३) व्यापारी जहाज, बन्दर, बन्दरका कर और कर्णिक वेतन (जहाजको

राह यतानेवालेका वेतन), (४) स्थलमार्गका व्यापार, (५) व्यापारिक प्रदर्शन, (६) वटखरों और पैमानोंसे है। उद्योगधन्धे और मजूर विभाग वा इण्डस्ट्रीज़ ऐण्ड लेबर डिपार्टमेंटका सम्बन्ध (१) इण्डियन फैक्टरीज ऐक्ट (२) भूगर्भविद्या और खनिज पदार्थ, (३) कोयलेकी सरकारी खानें और लोहेके कारखाने (४) तार और टेलिफोन, (५) पोस्ट आफिस (६) इण्डियन एक्सप्लोसिव्ज ऐक्ट, (७) इण्डियन पीट्रोलियम ऐक्ट (८) स्टेशनरी (कागज कलम दावात आदि) और छपाई,(६) सामान जुटाने (१०) अन्तःराष्ट्रीय मजूर सघटन (११) पेटेंट, डिजाइन, (१२) कापीराइट (१३) स्टीम वायलर और एलिक्ट्रिसिटी (बिजलीके) कानून (१४) असैनिक आकाश यान (१५) अन्तरिक्ष विद्या, (१६) उद्योगधन्धोंकी प्रगति, (१७) पब्लिक वर्क्स (सरकारी इमारतें) और (१८) आश्पाशीसे है। फाइनान्स डिपार्टमेंट वा अर्थ विभाग भारत सरकारका हिसाव किताब रखता है, बजट बनाता, आय व्ययका अनुमान लगाता, बैंकोंसे सम्बन्ध रखता,आय छोड़ता, सरकारी खर्च ठीक करता, आयका ढङ्ग बैठाता, ऋण लेता, टकसाल, पेपरकरेन्सी, सरकारी अफसरोंकी छुट्टी, वेतन, भत्ते और पुरस्कारकी व्यवस्था करता, टैक्स लगाता और अपने अधीन बोर्ड आव रेवेन्यूद्वारा कस्टम्स, अफीम, एक्साइज और स्टाम्पकी आयकी व्यवस्था कराता है। मिलिटरी फाइनान्स ब्राच सैनिक अर्थ व्यवस्था करनेके लिये इसकी शाखा

है। एजुकेशन, हेल्थ ऐंड लैंड्स डिपार्टमेंट वा शिक्षा स्वास्थ्य और भूमि विभाग शिक्षा, सरकारी मालगुजारी, जमीनकी पैमाइश, खेतीबाड़ी, जङ्गल, पेंड पौधे लगानेकी विधि, असैनिक पशुचिकित्सा व्यवस्था, अकाल, कृषि सम्बन्धीय दशा तथा खाद्यपदार्थ, देशान्तरवास, नकशे, डाक्टरी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशुशास्त्र, स्थानिक स्वराज्य, पुस्तकालय और कौतुकागारो वा अजायबखानों आदिसे सम्बन्ध रखता है। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट या व्यवस्थापक विभाग सभाओंके अधिवेशनोंको कार्यविवरणी लिखता तथा कानूनोंके मसविदे और कानून छापता और व्यवस्थापिका परिषद और राज्य सभा सम्बन्धीय सब सूचनाए प्रकाशित तथा अन्यान्य कार्य करता है।आर्मी डिपार्टमेंट वा सेना विभाग सेना सम्बन्धीय सब कार्य करता है। इन विभागोंके अतिरिक्त कई छोटे विभाग हैं, जिनमें एक्लिसिएस्टिकल डिपार्टमेंट वा ईसाई धर्म विभाग सबसे महत्वका है। खेतीबाडी, जङ्गल, आबपाशी, मेडिकल सर्विस आदि कितने ही विषयोंके डाइरेक्टर तथा सैनिटरी कमिशनर और ऐडमिनिस्ट्रेटर-जेनरल नियुक्त हैं, जो प्रादेशिक सरकारों और भारत सरकारको उक्त विषयोंमें परामर्श देते हैं।

(सरकारकी शासनव्यवस्था)

भारत सरकारकी शासनव्यवस्थाका जो वर्णन अधिकार विभाजक कमिशनने किया है, उसका साराश यहा अप्रासंगिक न होगा। प्रति सप्ताह कौन्सिलका अधिवेशन होता है। इसमें उन विषयोंपर विचार होता है, जिनपर

वायसराय विचार कराना चाहते हैं अथवा वायसरायसे अस्वीकृत जिस विषयपर कोई मेम्बर कौन्सिलका निर्णय चाहता है। जिस विभागसे सम्बन्ध रखनेवाले विषयपर विचार होता है, उसका सेक्रटरी बगलके कमरेमें बैठा रहता है और आवश्यकता पड़नेपर मेम्बरको सहायता देता है। यदि किसी विषयपर मतभेद होता है, तो साधारणत. बहुमत ही मान्य होता है, पर वायसरायकी समझसे यदि कोई विषय विशेष महत्वका हो, तो वे बहुमत अस्वीकार कर सकते हैं।

प्रत्येक मेम्बरको अपने विभागके साधारण कार्य करनेका अधिकार है। पर विशेष महत्वके तथा प्रादेशिक सरकारोंके मत अस्वीकार करनेके प्रश्नोंपर वायसरायकी आज्ञा ली जाती है। यद्यपि इससे वायसरायका कार्यभार बढ़ता है, तथापि प्रादेशिक सरकारोंके कार्यमें अनुचित हस्तक्षेप नहीं होने पाता। १६०७ ८ में होम डिपार्टमेंटने फी सैकड़े २१७ मामलोंमें वायसरायकी आज्ञा ली थी। यदि किसी विभागके किसी प्रश्नसे दूसरे विभागका सम्बन्ध होता है और दोनो आपसमें उसकी मीमांसा नहीं कर सकते, तो वह वायसरायके यहा पेश किया जाता है।

प्रत्येक विभागका आफिस एक सेक्रेटरीके अधीन होता है। वह साधारणत तीन वर्षके लिये नियुक्त होता है। जैसा ऊपर कहा गया है, वह कौन्सिलके अधिवेशनोंमें उपस्थित रहता है और साधारणत प्रति सप्ताह वायसरायको अपने

विभागकी बातें बताता और उनपर आज्ञा लेता है। अपने विभागका मेम्बर जिस कार्यको करना चाहता है, उसमें यदि उसे वायसरायके सहमत होनेकी आवश्यकता प्रतीत होती है, तो वायसरायका विशेष रूपसे उसपर ध्यान आकृष्ट करनेका उसे अधिकार है। सेक्रेटरीके नीचे डिपटी, अण्डर, और ऐसिस्टैंट सेक्रेटरी तथा बहुतसे क्लर्क होते हैं। ऐसिस्टैंट सेक्रेटरी प्राय स्थायी रूपसे उस विभागमें रहता है।

गवर्नर-जेनरलके अधिकार।

भारत सरकारका सबसे महत्त्वपूर्ण अङ्ग गवर्नर जेनरल या वायसराय है। सम्राट्के प्रतिनिधि होनेके कारण गवर्नर जेनरल वायसराय कहाते हैं, पर पार्लमेंटके ऐक्टोंसे उन्हें यह नाम नहीं मिला है। अपने प्रधान मन्त्रीकी सम्मतिपर सम्राट् किसी योग्य व्यक्तिको भारतका गवर्नर-जेनरल नियुक्त करते हैं। यह पद प्राय॰ लार्ड और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ वा अनुभवी शासकको मिलता है। यदि नियुक्तिके समय गवर्नर-जेनरल लार्ड नहीं होते, तो भारत पहुचनेके पहले ही लार्ड बना दिये जाते हैं। गवर्नर-जेनरलका वार्षिक वेतन २,५०,८००) है। श्रीमान् सम्राट्के हस्ताक्षरयुक्त वारण्ट वा आज्ञापत्रसे गवर्नर-जेनरल ५ वर्षके लिये नियुक्त होते हैं। कौन्सिलके "आर्डिनरी" मेम्बर भी इसी प्रकार राजकीय आज्ञासे नियुक्त होते हैं। गवर्नर-जेनरल या किसी मेम्बरपर हाई-कोर्टमें भी किसी तरहका मामला नहीं चल सकता और न वे

गिरफ्तार या कैद भी किये जा सकते हैं। गवर्नर-जेनरल यदि इस्तीफा देना चाहें, तो नियमानुसार उन्हें "डीड" या दस्तावेज लिख देना पड़ता है। १७७६ में वारेन हेस्टिंग्जने अपने एजेंटकी मार्फत इस्तीफा दिया था, क्योंकि कौन्सिलके जो तीन मेम्बर विलायतसे आये थे, वे हर काममें उसे बाधा देते थे और बहुमत विरुद्ध होनेसे वह छटपटाकर रह जाता था। कोर्ट आव डाइरेक्टर्सने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया था। परन्तु जब एक विरोधी मर गया और दूसरा बीमार होकर विलायत चला गया, तब वारेन हेस्टिंग्जने इस्तीफा लौटा लिया और सुप्रीम कोर्टसे अपने पक्षमें यह सम्मति भी ले ली कि इस्तीफा देना नाजायज था। इस लिये १७९३ और १८३३ के ऐक्टोंमें यह स्पष्ट लिख दिया गया कि बिना नियमित "डीड" गवर्नर जेनरलका इस्तीफा नाजायज समझा जायगा। गवर्नर-जेनरलकी ३१ तोपोंकी सलामी होती है। कौन्सिलके अन्य सदस्योंकी अपेक्षा गवर्नर-जेनरलको विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं। वे अधिकार ये हैं,—

(१) कौन्सिलके अधिवेशनोंमें अध्यक्षका आसन ग्रहण करना।

(२) दौरेपर जानेके पहले कौन्सिलका उपाध्यक्ष नियुक्त करना।

(३) कार्यविवरणपर हस्ताक्षर कर उसे स्वीकार करना।

(४) भारत सरकारकी आज्ञा प्राप्त कर दौरेपर भारत सरकारके अधिकारोंका उपभोग करना।

(५) कौन्सिलके केवल एक सदस्यकी सम्मति लेकर भारत सरकारके अधिकारोंका उपयोग करना।

(६) शीघ्रता और सुगमतापूर्वक कौन्सिलके कार्य सञ्चालनके लिये नियम बनाना तथा आज्ञा प्रचारित करना।

(७) अपनी व्यवस्थापिका सभाके गैरसरकारी मेम्बर मनोनीत करना।

(८) निम्नलिखित विषयोंके कानूनोंके मसावदे पेश करने या न करनेकी आज्ञा देना —

  (अ) भारतके ऋण या राजस्व सम्बन्धी अथवा जिनसे खर्च बढे।

  (आ) भारतके किसी सम्प्रदायके धर्म, अधिकार वा आचरण सम्बन्धी।

  (इ) राजकीय जल वा स्थल सेनाके किसी भागके विनयानुशासन वा स्थिति सम्बन्धी।

  (ई) विदेशी राजाओं या राज्योंसे सरकारके सम्बन्ध विषयक।

(९) पास हुए कानूनको मंजूर या नामंजूर करना।

(१०) आर्डिनेन्स जारी करना जो छ महीनेतक कानून माने जाते हैं।

(११) प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाओंके बनाये हुए कानूनोंको स्वीकार अथवा

अस्वीकार करनेके कारण उक्त सरकारोंको लिख भेजना ।

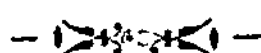
(१२) नये प्रदेश बनाना और लेफटेनेण्ट गवर्नर नियुक्त करना ।

(१३) ब्रिटिश भारतकी शान्ति, सुरक्षा अथवा स्वार्थो में बाधा पड़ती दिखे, तो अपनी कौन्सिलके बहुमतको उपेक्षा कर स्वेच्छानुसार कार्य करना ।

(१४) किसी मनुष्यको फासीकी आज्ञा हो चुकी हो और प्रादेशिक शासकने उसकी फासी काटना अस्वीकार किया हो, तो उसकी फासी काट देना ।



चतुर्थ अध्याय



प्रादेशिक सरकारें ।

प्रादेशिक सरकारें और उनका नियंत्रण ।

ब्रिटिश भारतके सुशासनका उत्तरदायित्व भारत सरकारपर ही है, परन्तु इतने बडे देशका शासन भारत सरकार जैसी संस्थासे असम्भव है, इस लिये समस्त ब्रिटिश भारत छोटे बडे १५ प्रदेशोंमें बटा है। प्रत्येक प्रदेशके शासनकी स्वतन्त्र व्यवस्था है। जो संस्था प्रदेशका शासन करती है, वह प्रादेशिक सरकार कहाती है। प्रादेशिक सरकारें भारत सरकारके अधीन हैं और यह निम्न प्रकारसे उनका नियन्त्रण करती है,—

(१) आर्थिक नियमों और जांचोंसे जिनमें इम्पीरियल डिपार्टमेंटल कोडोंके नियम भी हैं।

(२) शासन सम्बन्धी साधारण वा विशेष हस्तक्षेपसे, जिसके लिये (अ) कानून हो या कानून जैसे ही नियम हों, वा (आ) बहुत दिनोंके व्यवहारसे जो नियमसा ही बन गया हो।

(३) प्रदेशोंके कानूनोंके मसविदोंकी जाच और प्रादेशिक

व्यवस्थापिका सभाओंके पास किये कानूनोंकी मंजूरीसे।

(४) प्रादेशिक सरकारोंके सूचनार्थ नीति सम्बन्धी मन्तव्य प्रकाशनसे। जिन विभागोंसे प्रादेशिक सरकारोंका विशेष सम्बन्ध है, उनकी कार्यपद्धतिकी जांचके लिये भारत सरकार समय समयपर कमिशन या कमिटियां नियुक्त करती है और इनकी रिपोर्टों पर मन्तव्य प्रकाशित करती है।

(५) प्रादेशिक सरकारोंकी कार्यविवरणी या विभागोंकी सामयिक रिपोर्टोंसे जिन विषयोंकी ओर भारत सरकारका ध्यान आकृष्ट हुआ हो, उनके विषयमें किसी विशेष प्रादेशिक सरकारको आज्ञाएं देकर।

(६) इम्पीरियल इन्सपेक्टर जेनरलोंका ध्यान जिन विषयोंकी ओर आकृष्ट किया गया हो, उनपर कारवाई करनेसे।

(७) प्रादेशिक सरकारकी आज्ञाओं या कार्योंसे असन्तुष्ट लोगोंकी अपीलोंपर विचार करके।

ब्रिटिश भारतके भिन्न भिन्न प्रदेशोंकी कुछ बातें पिछले अध्यायोंमें आ गयी हैं। इस लिये *प्रदेशोंका इतिहास।* यहां उनके विषयमें कुछ विशेष बातें ही लिखी जायगी। पहले ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी बंगाल बम्बई और मद्रास ये तीन प्रेसिडेन्सियां थीं

और जो नये प्रदेश उसके हाथ आते जाते थे, उन्हें निकटताके अनुसार वह इनमें मिलाती जाती थी। १८३३ के चार्टर ऐक्टसे आगरा प्रेसिडेन्सी बनाना निश्चय हुआ था, पर १८३५में कोर्ट आव डाइरेक्टर्सके प्रस्तावानुसार पश्चिमोत्तर प्रदेशकी लेफटेनेंट गवर्नरीकी सृष्टि हुई। फोर्ट विलियम प्रेसिडेन्सीका शासन गवर्नर जेनरल स्वय करने लगे और इसके लिये दफ्तर तथा कर्मचारी स्वतन्त्र रखे गये। १८४३में सिन्ध बम्बई प्रेसिडेन्सीमें मिलाया गया। पहले सिक्ख युद्धके बाद पजाबको कम्पनीने अपने अधीन कर लिया और कौन्सिल आव रिजेन्सी बनाकर वहा अपना रेजिडेंट रख दिया, जो नाबालिग महाराज दलीपसिंहके नामपर पञ्जाबका शासन करने लगा। दूसरे सिक्ख युद्धके बाद समस्त पञ्जाब अङ्गरेजी राज्यमें मिला लिया गया और कौन्सिल सहित गवर्नर-जेनरल पहले बोर्ड आव ऐडमिनिस्ट्रेशन और फिर चीफ कमिशनर द्वारा इसका शासन करने लगे। १८५४ में बङ्गाल लेफटेनेण्ट गवर्नरके शासनाधीन किया गया। इसी वर्ष नागपुरके राजा राघोजी भोंसला मर गये और उनका राज्य अङ्गरेजी राज्यमें मिला लिया गया। दो वर्ष बाद अवध भी कम्पनीने ले लिया और एक चीफ कमिशनरके अधीन किया और १८७७ में वह पश्चिमोत्तर प्रदेशमें मिला दिया गया तथा १६०१ में दोनोका नाम बदलकर आगरे और अवधका सयुक्त प्रदेश कर दिया गया, क्योंकि इसी वर्ष पञ्जाबके कई जिले और सीमाप्रदेश लेकर पश्चिमोत्तर

सामप्रदेश बना था और दोनों प्रदेशोंके नाम एकसे होनेसे भ्रमकी सम्भावना थी। गदरके बाद दिल्ली प्रान्त पश्चिमोत्तर प्रदेशसे लेकर पञ्जाबमें मिला दिया गया और १८५९ में पञ्जाबका शासनभार एक लेफ्टेनेण्ट गवर्नरको दिया गया। १८६१ में सागर और नर्मदा प्रान्त पश्चिमोत्तर प्रदेशसे लेकर नागपुरमें मिला दिये गये और इस प्रकार मध्यप्रदेशकी चीफ कमिशनरी बनी। आवा दरबारने १८२६ और १८५२ में बर्माके जो प्रदेश कम्पनीको दिये थे, वे भारत सरकारके कमिशनरोंके शासनाधीन किये गये। १८६२ में सबको मिलाकर ब्रिटिश बर्मा प्रदेश बना दिया गया और उसका शासनभार एक चीफ कमिशनरको मिला। अन्तिम बर्मी युद्धके बाद १८८६ में अपर बर्मा भी ले लिया गया और १८९७ में अपर और लोअर बर्मा दोनोंके शासनके लिये लेफ्टेनेण्ट गवर्नर नियुक्त हुआ। हैदराबाद राज्यमें ब्रिटिश अफसरोंके अधीन हैदराबाद कण्टिंजेट नामकी जो सेना है, उसके खर्चके लिये १८५३ में निजामने अङ्गरेज सरकारको बरार दे दिया था। सन्धि यह थी कि खर्च देकर जो रकम बचेगी, वह हैदराबाद दरबारको मिलेगी। इस प्रदेशका शासन हैदराबादके रेजिडेण्टके अधीन एक कमिशनर करता था। पर बरारमें निजामके अधिकारोंके विषयमे निजाम और भारत सरकारमें मतभेद होनेके कारण १९०२ में लार्ड कर्जनने निजामसे यह सन्धि कर ली कि नाममात्रके लिये बरार आपका रहेगा, पर आपका उससे कोई सम्बन्ध न

रहेगा, केवल भारत सरकार आपको २५ लाख रुपये प्रति वर्ष दिया करेगी। १८२४ में वर्मी लोगोंसे आसाम लेकर बङ्गालमें मिलाया गया, पर १८७४ में चीफ कमिशनरके अधीन किया गया। १६०५ में वह पूर्व बगमे मिलाया गया, पर १६१२ में फिर स्वतन्त्र चीफ कमिशनरी बना दिया गया। इसी वर्ष बङ्गालके दोनो टुकड़े जुड़े और उससे विहार, उड़ीसा और छोटानागपुर अलग करके लेफटेनेण्ट गवर्नर और कौन्सिलके शासनाधीन किये गये। १८३४ में दक्षिण भारतका कुर्ग राज्य ब्रिटिश भारतमें मिलाया गया और उसके चीफ कमिशनर मैसूरके रेजिडेण्ट हैं। १८१८ से अजमेर-मेरवाड़ेका जिला अङ्गरेजोंके हाथ आया था और तबसे गवर्नर-जेनरलके राजपूताना एजेण्ट उसके चीफ कमिशनर हैं। १८७६ में खेलातके खांसे क्वेटा और अफगानिस्तानसे उसके पासका प्रदेश खरीदा गया तथा तिना धनीधोरीका कुछ प्रदेश लेकर १८८६ में ब्रिटिश बलूचिस्तानको चीफ कमिशनरीकी सृष्टि हुई। अण्डमन और निकोबार टापुओंके चीफ कमिशनर पोर्ट ब्लेयरके सुपरिण्टेडेण्ट हैं। १६१२ की १ली अक्तूबरको पञ्जाबसे ५५७ वर्ग मील भूमि लेकर दिल्लीकी चीफ कमिशनरी बनायी गयी। इसमें ३,६१,८२८ मनुष्य बसते हैं। सन् १६१४ में कुछ गांव और मिलाये गये हैं, इससे वर्त्तमान दिल्ली प्रदेशका क्षेत्रफल और जनसंख्या पहलेसे कुछ बढ़ गयी है।

१६०१ के इण्डियन कौन्सिल्स ऐक्ट बननेके पहले ब्रिटिश भारतान्तर्गत प्रदेशोंकी शासनपद्धति तीन प्रकारकी थी, परन्तु इसके बाद ही एक चौथी पद्धति भी प्रचलित हो गयी और आजकल दो ही पद्धतियां हैं। पहले तीन प्रकारकी पद्धतियां थीं, (१) प्रेसिडेन्सी, (२) लेफ्टेनेण्ट गवर्नरी और (३) चीफ कमिशनरी। प्रेसिडेन्सी पद्धतिमें प्रदेशका शासन गवर्नर (प्रेसिडेंट) और कौन्सिल द्वारा होता था। लेफ्टेनेण्ट गवर्नरीका शासन लेफ्टेनेण्ट गवर्नर और चीफ कमिशनरीका चीफ कमिशनर करते थे। लेफ्टेनेण्ट गवर्नरी और चीफ कमिशनरीमें शासकोंके वेतनादिके सिवा बड़ा भारी अन्तर यह था कि लेफ्टेनेण्ट गवर्नरके अधीन प्रदेशमें व्यवस्थापिका सभा थी, पर चीफ कमिशनरीके लिये भारत सरकार ही कानून बनाती थी। १६०६ के ऐक्टसे बङ्गालके लेफ्टेनेण्ट गवर्नरके सहायतार्थ शासनकारिणी सभा सङ्गठित की गयी और १६१२ के गवर्नमेंट आव इण्डिया ऐक्टसे बङ्गाल प्रेसिडेन्सी बन गया और उससे बिहार उड़ीसा लेकर लेफ्टेनेण्ट गवर्नरके अधीन किये गये और इस प्रकार एक नयी लेफ्टेनेण्ट गवर्नरी बनी। लेफ्टेनेण्ट गवर्नरके सहायतार्थ शासनकारिणी सभा स्थापित हुई। इसी ऐक्टमें भारत सरकारको चीफ कमिशनरियोंमें व्यवस्थापिका सभा स्थापन करनेका अधिकार दिया गया। इस प्रकार गवर्नरी, कौन्सिल सहित लेफ्टेनेण्ट गवर्नरी

शासनपद्धतियोंमें भेद।

लेफ्टेनेण्ट गवर्नरी, व्यवस्थापिका सभायुक्त चीफ कमिशनरी और चीफ कमिशनरी ये पाच पद्धतिया थी। १६१६ के ऐक्टसे सारे देशमें दो ही प्रकारकी पद्धतिया हैं, एक गवर्नरी और दूसरी चीफ कमिशनरी। गवर्नरी भी दो प्रकारकी है एक प्रेसिडेन्सी गवर्नरी, जिसमें गवर्नरका वेतन १२००००) वार्षिक है, शासनकारिणी सभाके चार चार मेम्बर और तीन तीन मिनिस्टर या मंत्री हैं और दूसरी लेफ्टेनेंट गवर्नरी या चीफ कमिशनरीसे बनी हुई गवर्नरी, जिसमे कोन्सिलके दो दो मेम्बर और दो दो मिनिस्टर हैं। दूसरा महत्वका अन्तर यह है कि इनके गवर्नर सिविलियन ही होते हैं। युक्तप्रदेशको छोड किसी प्रदेशके गवर्नरका वेतन १०००००) से अधिक नहीं है। नीचे प्रदेश और उनकी पद्धतिया दी जाती हैं,—

प्रदेश।	पद्धतिया।
(१) बङ्गाल, बम्बई और मद्रास	गवर्नर और शासनकारिणी व्यवस्थापिका सभाएं और मंत्री।
(२) बिहार और उडीसा, युक्तप्रदेश,	” ”
पञ्जाब, बर्मा, आसाम और	” ”
मध्यप्रदेश	” ”
(३) ब्रिटिश बलूचिस्तान,	केवल चीफ कमिशनर।
पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश, दिल्ली,	” ”
कुर्ग, ऐण्डमन निकोबार द्वीप	” ”
और अजमेर मेरवाडा।	” ”

यों तो सभी प्रदेशोंपर भारत सरकारकी प्रभुता है, पर प्रेसिडेन्सियोंका दर्जा अन्य प्रदेशोंसे ऊंचा है, क्योंकि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेन्सियां अन्य प्रदेशोंकी तरह बंगाल प्रेसिडेन्सीसे न तो उत्पन्न हुई हैं और न कभी चीफ कमिशनरोंके अधीन रही हैं; बल्कि १७७३ के पहले वे परम स्वतन्त्र थीं और उस स्वतन्त्रताके कुछ चिह्न उनमें अब भी वर्त्तमान हैं। १७८४ के पिट्स ऐक्टसे उक्त प्रेसिडेन्सियोंकी कौन्सिलोंके सङ्घटनमें यह सुधार हुआ था कि उनमें ३।३ मेम्बर रहेंगे, जिनमें कमाण्डर इन चीफ भी होगा। * १८३३ के ऐक्टमें यह संख्या घटाकर दो कर दी गयी। कमाण्डर इन-चीफके असाधारण सदस्य नियुक्त करनेकी व्यवस्था हुई और इसके अनुसार १८९३ तक कार्य होता रहा। इस समयसे १९०९ तक दो सिविलियन मेम्बर ही रह गये। १२ वर्ष पर्यन्त सम्राट्की सेवा करने बाद सिविलियन इस मेम्बरीका अधिकारी होता है, पर १९०९ के इण्डियन कौन्सिल्स ऐक्टमें यह व्यवस्था हुई कि प्रेसिडेन्सी कौन्सिलोंमें अधिकसे अधिक चार मेम्बर रखे जा सकते हैं और आजकल इन कौन्सिलोंमें

प्रेसिडेन्सियोंकी विशेषता।

---

* सन् १८९३ तक भारतीय सेना तीन भागोंमें विभक्त थी, एक बङ्गाल आर्मी, दूसरी बाम्बे आर्मी और तीसरी मद्रास आर्मी और तीनोंके लिये अलग कमांडर-इन-चीफ नियुक्त हुआ करते थे। पर इस वर्ष तीनों सेनाएं मिला दी गयीं और सबका एक ही कमांडर-इन-चीफ हुआ।

दो दो सिविलियन और दो दो भारतवासी मेम्बर हैं। १९१२ से बङ्गाल प्रदेश प्रेसिडेन्सीमें परिणत हो गया है और उसे अन्य प्रेसिडेन्सियोंके समान ही अधिकार मिल गये हैं तथा उसमें भी शासन सम्बन्धीय यही व्यवस्था है। प्रेसिडेन्सियोंकी ये विशेषताएं हैं,—

(१) इनका शासन कौन्सिल सहित गवर्नर करते हैं जिनका वार्षिक वेतन कमाण्डर इन चीफसे अधिक अर्थात् १,२०,०००) है। भारतसचिवके कहनेपर श्रीमान् सम्राट् कौन्सिलके मेम्बर नियुक्त करते हैं और गवर्नर-जेनरलकी तरह गवर्नर भी अनुभवी शासकों और उच्च श्रेणीके लोगोंसे चुने जाते तथा श्रीमान् सम्राट् द्वारा नियुक्त होते हैं। गवर्नरकी कौन्सिलका कार्य भी गवर्नर जेनरलकी कौन्सिलके समान ही मेम्बरोंमें बँटा हुआ है, पर विभागोंका भेद उतना स्पष्ट नहीं है। बहुमतसे ही इस कौन्सिलमें भी कार्य होता है, पर गवर्नरको भी अपनी कौन्सिलका बहुमत अस्वीकार कर स्वेच्छानुसार कार्य करनेका अधिकार है। गवर्नरकी १७ तोपोंकी सलामी होती है।

(२) ऐसे विषय छोड़कर जिनसे आर्थिक प्रश्न उत्पन्न हो सकें, प्रेसिडेन्सी सरकारोंको सब विषयोंमें भारत-सचिवसे सीधे पत्रव्यवहार करनेका अधिकार है।

ये भारत सरकारकी आज्ञाके विरुद्ध भारतसचिवसे अपील कर सकती हैं, पर यह अपील भारत-सरकारकी मार्फत भेजी जाती या इसकी सूचना उसे दे दी जाती है।

(१३) कई पदोंके लिये कर्मचारी निर्वाचित करनेका उसे पूर्ण अधिकार है, यथा रेवेन्यू बोर्ड और प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाओंके लिये मेम्बर मनोनीत करना तथा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेण्टमें चीफ और सुपरिण्टेडिङ्ग एञ्जिनियर तथा जङ्गलोंके कञ्जरवेटर नियुक्त करना।

(१४) जिलोंमें मालगुजारीका बन्दोबस्त प्रेसिडेन्सी सरकार जैसा चाहे कर सकती है। पर अन्य प्रदेशोंमें भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है। जङ्गलोंके प्रबन्धमें भारत सरकार प्रेसिडेन्सी सरकारसे उतनी कड़ाई नहीं करती।

(१५) गवर्नर जेनरल और उनकी कौन्सिलके मेम्बरोंकी तरह गवर्नर और उनकी कौन्सिलके मेम्बरोंपर भी हाईकोर्टतकमें किसी तरहका मामला नहीं चल सकता और ये भी कैद या गिरफ्तार नहीं किये जा सकते।

परन्तु आर्थिक विषयोंमें प्रेसिडेन्सी सरकारें भी सर्वथा पराधीन थीं और अन्य विषयोंमें भी पराधीनता कुछ कुछ बढ़ी ही थी। अधिकार विभाजक कमिशनको जो नोट बम्बई

सरकारने दिया था, उससे जान पड़ता है कि सब प्रधान बाईस पसेरी हो रहे हैं। बम्बई सरकारने अपने नोटमें लिखा था, "जिस सरकारको यह निश्चय करनेका अधिकार नहीं है, कि मेरा कोई नौकर पब्लिक सर्वेण्टस् रूल तोड़े बिना किसी काममें रुपये लगा सकता है अथवा अपने अधिकारमें किसी देशी राज्यमें खनिज पदार्थ निकालनेका अधिकार दिया जा सकता है, जो १०) महीनेका चौकीदार नहीं रख सकती, लेडी डाक्टरकी खर्च की हुई ८) की रकम मंजूर नहीं कर सकती, अपने पुलिस स्कूलमें कितने पुलिस अर्दली रखे जायं इसका अन्तिम निर्णय करनेसे वञ्चित की जाती है और सरकारी बंगलेमें सीढ़ी बनानेके स्थान तथा उसके किरायेके विषयमें जिसकी बात अमान्य हो सकती है, वह भारत शासन पद्धतिपर वास्तवमें व्ययसाध्य और निरर्थक ग्रन्थि है। या तो उसे अधिक अधिकार मिलने चाहिये या उसे उठा देना और उसके बदले सीमाबद्ध अधिकारयुक्त एक अफसर रखना चाहिये। प्रेसिडेन्सीके गवर्नरकी दबङ्गी या दब्बूपनपर उसकी स्वतन्त्रता वा परतन्त्रता बहुत कुछ निर्भर है।

प्रादेशिक सरकारोंकी अवस्था।

प्रेसिडेन्सी सरकारोंपर तो भारत सरकारका उतना ही प्राधान्य है, जितना पार्लमेंटके ऐक्टोंने उसे दिया है, पर प्रादेशिक सरकारों पर उसकी प्रभुता पूर्ण है और वह घट बढ़ भी सकती है। इसका कारण यह है कि प्रेसिडेन्सियोंको

तो पार्लमेण्टने ऐक्ट बनाकर अधिकार दिये हैं, पर प्रादेशिक सरकारोंके शासनाधीन प्रदेश गवर्नर-जेनरलके अधीन प्रदेशसे बने हैं और उनको गवर्नर जेनरलने ही अधिकार दिये हैं। इसके सिवा १८५४ के ऐक्टकी ४ थी धारामें स्पष्ट लिखा है कि "भारत सरकारको अधिकार होगा कि समय समयपर कोर्ट आव डाइरेक्टर्स और बोर्ड आव कंट्रोलसे आज्ञा लेकर और उनकी स्वीकृतिसे बङ्गाल, आगरे या पश्चिमोत्तर प्रदेशके कौन्सिल सहित गवर्नर, गवर्नर या लेफटेनेंट गवर्नरके, जो अभी नियुक्त हों या पीछे नियुक्त किये जाय, अधिकार प्रसिद्ध वा सीमाबद्ध करे।" यद्यपि यह नियम बङ्गाल और युक्तप्रदेशके लिये ही था तथापि अब बंगालको छोड भारत सरकार सब प्रादेशिक सरकारोंके अधिकार सीमाबद्ध कर सकती है। प्रेसिडेन्सी गवर्नरकी तरह प्रादेशिक गवर्नर विलायतसे नहीं आते, बल्कि हिन्दुस्तानी सिविलियन होते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रेसिडेन्सियोंके गवर्नरकी अपेक्षा प्रादेशिक गवर्नर अधिक पराधीन हैं तथा वेतन भी उनका केवल १,००,०००) वार्षिक और सलामी १५ तोपोंकी ही है।

चीफ कमिशनर। प्रादेशिक शासकोंमें चीफ कमिशनरका दर्जा सबसे छोटा है। इसका कारण यह है कि जो प्रदेश चीफ कमिशनरीमें परिणत किया जाता है, वह वास्तवमें भारत सरकारके शासनाधीन होता है और उसके शासनके

भारत सरकार ही आवश्यक आज्ञाएं और निर्देश देती है और चीफ कमिशनर केवल उनके अनुसार कार्य करता है। चीफ कमिशनर भारत सरकारका प्रतिनिधि मात्र होता है। जो प्रदेश चीफ कमिशनरीमें परिणत होता है, वह यातो पहले गवर्नर-जेनरलके शासनाधीन होता है या चीफ कमिशनरी बननेपर उसके अधीन हो जाता है। भारत सरकारको प्रदेशोंकी सीमा बदलनेका जो अधिकार है, उसका उपयोग वह गवर्नरके अधीन प्रदेशका कोई भाग लेकर चीफ कमिशनरी बनानेमें नहीं कर सकती। चीफ कमिशनरी बना देनेसे भी भारत सरकारके अधिकार उस प्रदेशपर ज्योंके त्यों बने रहते हैं। जो प्रदेश भारत सरकारके शासनाधीन होता है, उसे चीफ कमिशनरी बनानेमें सरकारको पहले केवल मन्तव्य और फिर घोषणापत्र प्रकाशित करना पड़ता है। प्रादेशिक गवर्नरोंको यह अधिकार है कि रेवेन्यू बोर्डकी मेम्बरी छोड़कर अपने अधीन प्रदेशके पदोंपर जिनको चाहें प्रतिष्ठित करें, पर चीफ कमिशनर यह नहीं कर सकते। सबसे बड़े चीफ कमिशनरोंका वार्षिक वेतन ४८०००) है और यद्यपि शासकोंमें ले गवर्नरके बाद इनका दर्जा है, तथापि अधिकारो और वेतन तथा तोपोंकी सलामीकी दृष्टिसे भारत सरकारकी कौन्सिलके मेम्बरका दर्जा इससे ऊंचा है। चीफ कमिशनरकी १३ तोपोंकी सलामी होती है। गवर्नरिया तो "लोकल गवर्न-

मेण्ट" और चीफ कमिश्नरियां "लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन्स" कहाती हैं।

कभी कभी रेगुलेशन और नानरेगुलेशन प्रदेशोंकी चर्चा भी सुन पड़ती है, इस लिये यहां उनके सम्बन्धमें कुछ लिख देना अनुचित न न होगा। १७९३ और १७८१ के

रेगुलेशन और नानरेगुलेशन प्रदेश।

ऐक्टोंसे बङ्गालके गवर्नर-जेनरल और कौन्सिलको अपने अधीन देशके सुशासनके लिये "रूल" और "रेगुलेशन" बनानेका अधिकार मिला था। बाद अवशिष्ट दोनों प्रेसिडेन्सियोंकी सरकारोंको भी मिल गया जो अपने रेगुलेशन जारी करने लगीं। १८३३ में प्रेसिडेन्सियोंका यह अधिकार छिन गया, क्योंकि बङ्गाल सरकार भारत सरकार बना दी गयी और उसे सारे हिन्दुस्थानके लिये कानून बनानेका अधिकार दिया गया। १८०३ में भारतीय व्यवस्थापिका सभा स्थापित होनेसे इस पद्धतिका अन्त हुआ। भारत सरकारके रेगुलेशनोंमें विशेषकर न्यायालय स्थापन और न्यायालयोंकी कार्य पद्धतिकी व्यवस्था है। मद्रास, बम्बई (सिन्धको छोड़कर) बङ्गाल और आगरा प्रदेश ही रेगुलेशन और अवशिष्ट सब प्रदेश नानरेगुलेशन प्रदेश थे। आगरा प्रदेश बङ्गाल प्रेसिडेन्सीके अन्तर्गत था और बङ्गाल प्रेसिडेन्सीको रेगुलेशन बनानेका अधिकार था तथा उसके बनाये रेगुलेशनोंका उक्त प्रदेशमें उपयोग होता था, इस लिये वह भी रेगुलेशन प्रदेश था।

रेगुलेशन प्रदेश और नानरेगुलेशन प्रदेशमें सबसे बड़ा अन्तर यह है कि नानरेगुलेशन प्रदेश प्रारम्भमें चीफ कमिशनरोंके शासनाधीन थे अथवा अब भी हैं। इनके जिला अफसर आदि कर्मचारी सिविलियनोंके सिवा सैनिक वा अन्य कर्मचारी भी होते थे। उनके शासनके नियम भी कड़े थे और गवर्नर जेनरल जैसे चाहते थे, वैसे नियम भी बना देते थे। नान रेगुलेशन प्रदेशोंके जिला अफसर डिपटी कमिशनर, ऐसिस्टैंट कमिशनर और एक्सट्रा ऐसिस्टैंट कमिशनर कहाते हैं। रेगुलेशन प्रदेशोंमें इन्हें कलेक्टर, ऐसिस्टैंट कलेक्टर और डिपटी कलेक्टर कहते हैं। आसाम, बर्मा और पञ्जाबमें शासन कार्यमें अब भी कई सैनिक कर्मचारी नियुक्त हैं और इनके कलेक्टर डिपटी कमिशनर अब भी कहाते हैं। दोनो प्रकारके प्रदेशोंमें दूसरा बड़ा भेद यह है कि रेगुलेशन प्रदेशोंमें प्रधान न्यायालय चार्टर्ड वा अन्य प्रकारका हाईकोर्ट है, पर नानरेगुलेशनमें जुडीशल कमिशनरी है। १८६१ के इण्डियन कौन्सिल ऐक्टसे वे कानून भी ठीक ठहराये गये, जो भारत सरकार या गवर्नर-जेनरलने नानरेगुलेशन प्रदेशोंके लिये समय समयपर बनाये थे।

प्रादेशिक सरकारोंके अधिकार।

कुछ विभागोंको छोड़कर आभ्यन्तरिक शासनका कार्य प्रादेशिक सरकारको दे दिया गया है। अब १९१९ के ऐक्टके अनुसार प्रादेशिक सरकारों और भारत सरकारके अधिकारोंका विभाग इतना स्पष्ट हो गया कि यह सहज ही

बताया जा सकता है कि भारत सरकारके कार्यका कहां अन्त होता है और कहांसे प्रादेशिक सरकारोंका कार्य प्रारम्भ होता है। पर साधारण व्यवस्था यह है कि परराज्य, देशरक्षा (सेना) कर, करेन्सी, ऋण, आगत कर, अफीम, डाक और तार, रेलवे, हिसाब किताब और उसकी जाचके काम पब्लिक सर्विस समस्त भारतके दीवानी और फौजदारी कानून और दो प्रदेशों के सम्बन्धके कानून तथा वे सब काम जिनका उल्लेख भारत सरकारके विभागोंके सम्बन्धमें किया गया है भारत सरकार करती है और आभ्यन्तरिक शासन, पुलिस, दीवानी और फौजदारी मामलोंका विचार, जेल, मालगुजारी साधना और वसूल करना शिक्षा, डाक्टरी और स्वास्थ्यप्रबन्ध, आबपाशी, इमारतों और सड़कों और जङ्गलोंका प्रबन्ध तथा म्युनिसिपल और ग्राम-बोर्डोंका नियन्त्रण प्रादेशिक सरकारें करती हैं। भारत सरकार नीति निर्द्धारित करती है और रिपोर्टों और स्थितिसम्बन्धी अंकोंसे निश्चय करती हैं कि कहांतक उसके अनुसार कार्य हुआ है। नीति या विशेष महत्वके प्रश्नोंपर प्रादेशिक सरकारें भारत सरकारसे आज्ञा मगा लेती हैं। कई विभागोंके निरीक्षण और परामर्शके लिये भारत सरकारने कई इन्सपेक्टर जेनरल और डाइरेक्टर-जेनरल नियुक्त कर रखे हैं। महत्वके किसी नये पदकी सृष्टि और बहुसंख्यक निम्न कर्मचारी बढ़ानेके लिये भारत सरकारकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। बड़े प्रदेशोंमें सरकारी

काम भिन्न भिन्न विभागोंमें बटा रहता है, यथा रेवेन्यू (राजस्व), जुडीशल (विचार सम्बन्धो) और पुलिस, लोकल और म्यूनिसिपल, फाइनानशल, (अर्थ-सम्बन्धी) पब्लिकवर्क्स और एजुकेशन (शिक्षा)। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेण्टके चीफ एञ्जिनियर प्रादेशिक सरकारके सेक्रेटरी या ज्वायंट सेक्रेटरी भी होते हैं। अर्थ विभागके मुखिया सिविलियन होते हैं। प्रत्येक प्रदेशमें तीन (पञ्जाबमें दो ही) सिविलियन सेक्रेटरी होते हैं और प्रत्येकके अधीन सुविधानुसार दो दो तीन तीन विभाग कर दिये जाते हैं। सीनियर (बड़ा) सिविलियन सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी कहाता है और अन्य सेक्रेटरियोंके नाम उनके अधीन प्रधान विभागके नामानुसार होते हैं। इनके सहायतार्थ अण्डर और ऐसिस्टेंट सेक्रेटरी भी होते हैं तथा प्रत्येक विभागका आफिस एक रजिस्ट्रारके अधीन रहता है, जिसके नीचे कई सुपरिटेंडेंट और क्लर्क काम करते हैं। प्रादेशिक सेक्रेटेरियट में भी इम्पीरियल सक्रेटेरियटके समान ही काम होता है।



पञ्चम अध्याय



जिलेकी शासन-व्यवस्था ।

अबतक जिन शासकोंका वर्णन किया गया है, जनसाधारण उनके विषयमें बहुत ही कम, अथवा कुछ नही, जानते। बहुतोंने तो भारत सचिव या सेक्रेटरी आव स्टेट फार इण्डिया अथवा गवर्नर-जेनरल इन-कौन्सिल सुना ही न होगा, अर्थ जानना तो दूरकी बात है। बडे लाट और छोटे लाटके नाम कितने ही लोगोंने सुने होंगे, पर उनके दर्शनोंका सौभाग्य बहुत कम लोगोंको प्राप्त हुआ होगा और उनके अधिकार तो विरले ही किसीको मालूम होंगे, क्योंकि उनसे लोगोंका कोई वास्ता नही है, इनका काम "साहेब कलक्टरसे" ही पडता है और इस कारण ये जिला कलेक्टरको ही अङ्गरेज सरकार समझते हैं। इस लिये यहा अङ्गरेज सरकारके इस महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधिका कुछ परिचय दिया जायगा।

कलेक्टरका महत्व ।

ब्रिटिश भारतमें कुल २६७ जिले हैं और प्रत्येक जिला कलेक्टरके (नानरेगुलेशन प्रदेशोंमें डिपटी कमिशनरके) अधीन है। हर जिलेमें औसत ४,४२ वर्ग मील जमीन औसत ६,२१,००० आबादी है। पर मद्रास और बर्माके जिले

जिला और जिलेका हाकिम ।

अन्य प्रदेशोंके जिलोंसे बडे और युक्तप्रदेशके छोटे हैं। मद्रास प्रदेशके विजगापट्टम जिलेमें जमीन १७,२३२ वर्ग मील और जनसख्या २० लाखसे अधिक है और बर्माके अपर चिन्दविन जिलेमें जमीन तो २० हजार वर्ग मीलसे भी अधिक है, पर आबादी १,७०,००० ही है। इसके विपरीत बङ्गालके मैमनसिंह जिलेकी आबादी तो ४८ लाख है, पर उसमें जमीन ६,२४७ वर्ग मील ही है। जिलेमें सुप्रबन्ध रखना कलेक्टरका काम है। वही जिलेका हाकिम है। कलेक्टर अपने दो पदोंके कारण दो नामोंसे पुकारा जाता है, एक कलेक्टर, दूसरा मैजिस्ट्रेट। मालगुजारी वसूल करनेके कारण कलेक्टर और फौजदारी मामले फैसल करनेके कारण मैजिस्ट्रेट कहाता है। कलेक्टर को बहुत अधिक कार्य करना पडता है जो एक मनुष्यकी शक्तिसे बाहर है।

कलेक्टर और मैजिस्ट्रेट।

कलेक्टरकी हैसियतसे वह मालगुजारी वसूल करनेका जिम्मेदार है। गवर्नमेंट और किसानों का सम्बन्ध ठीक रखना उसीका काम है। जो लोग सीधे सरकारको माल गुजारी देते हैं, उनकी जमीनकी रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, जमीन छुडाना या बटवारा करना उसीका काम है। भारतके जिन भागोंमें छोटे छोटे किसान ही जमीन्दार हैं, उनके सम्बन्ध के उक्त कार्य भी उसे ही करने पडते हैं। कई प्रदेशोंमें वह जमीन्दार और किसानोंके झगडे निपटाता है और कोर्ट आव

वार्ड्स के।* अधीन जमीन्दारियोंके प्रबन्धसे उसका सम्बन्ध है। किसानोंको तकावी देना और कृषि अथवा अन्य प्रकार-की दशा दिखानेवाले अंकोंका विधिपूर्वक संग्रह करना कलेक्टरका ही काम है। अपने जिलेकी दशापर उसे विशेष ध्यान रखना पडता है और अकाल या किसानोंके महत्कष्टोंके समय कष्टनिवारणके उपाय करना और अकाली काम खोलना उसीके काम हैं। प्रजाके आर्थिक वा अन्य प्रकारके कामोंका जङ्गल विभागसे जितना सम्बन्ध है,अपने जिलेमें जङ्गल विभागके उतने कार्यका नियन्त्रण कलेक्टर ही करता है। कहीं कहीं म्यूनिसिपलटियोंके कार्यका नियन्त्रण और उन्हें मार्ग बताना भी कलेक्टरका कर्त्तव्य है और वहां वह प्राय म्यूनिसिपलटीका चेयर-मैन वा सभापति भी होता है। वैसे स्थानोंमें वह साधारणत जिला बोर्डका प्रेसिडेंट वा अध्यक्ष भी होता है। यह बोर्ड अपने अधीन ग्राम बोर्डों की सहायतासे गावोंमें सडकोंकी मरम्मत कराता, स्कूल और शफाखाने चलाता तथा चेचकके टीके और स्वास्थ्योन्नतिका प्रबन्ध करता है। अपने जिलेकी मुख्य घटनाओंके सम्बन्धमें बडे अधिकारियोंको सूचना देना कलेक्टरका काम है और जिलेके सम्बन्धकी प्राय सब स्कीमोंपर उसकी सम्मति मागी जाती है। जिला मैजिस्ट्रेटकी हैसियतसे कलेक्टर प्रथम

---

* बम्बई और मध्य प्रदेशमें डिवीजनोंके कमिश्नर "कोर्ट आव वार्ड्स" है। बर्मामें कोई "कोर्ट आव वार्ड्स" नहीं है, पर अन्य बडे प्रदेशोंमें रेवेन्यू बोर्ड वा फाइनान्शल कमिश्नर ही कोर्ट है।

श्रेणीका मैजिस्ट्रेट है। उसे अपराधीको २ वर्षकी जेल और १,०००) जुर्मानेकी सजा देनेका अधिकार है, यद्यपि साधारणतः वह मुकद्दमे नहीं फैसल करता और केवल अपने अधीन मैजिस्ट्रेटोंके कार्यका निरीक्षण करता है। उसे अपने अधीन मैजिस्ट्रेटोंके फैसल किये हुए मुक़द्दमोंकी अपील सुननेका भी अधिकार है। जिलेकी शान्तिका उत्तरदायित्व उसपर है और पुलिस उसके अधीन है।

सब-डिवीजन और तहसील।

हर जिला कई सबडिवीजनोंमें बटा होता है, जो सिविल सर्विसके जूनियर-अफसर या प्राविनशल सर्विसके अफसर, यथा डिपटी कलेक्टरों या एक्सट्रा-ऐसिस्टैंट कमिशनरोंके अधीन रहते हैं। ये सबडिविजनल अफसर कहाते हैं। ये भी मैजिस्ट्रेटकी तरह फौजदारी और माली काम करते हैं। बङ्गाल और बिहार प्रदेशोंको छोड अन्य प्रदेशोंके जिले ताल्लुकों या तहसीलोंमें भी बटे हैं। आसाममें इन्हें "सर्कल" और बर्मामें "टाउनशिप" कहते हैं। आसाममें ये सब-डिप्टी कलेक्टरों, बर्मामें माइउकों, बम्बईमें मामलतदारों, युक्तप्रदेशमें तहसीलदारों और सिन्धमें मुख्त्यारकरोंके अधीन हैं। मद्रास-प्रदेशका हर जिला सबडिवीजनोंमें बटा है और वहा सब-डिविजनल अफसर बरावर रहते हैं। माली मामलोंमें ये कलेक्टरके अधिकारोंका उपयोग करते हैं, कलेक्टर केवल इनके कार्यका निरीक्षण करता और इनके निर्णयके

विरुद्ध लोगोंकी अपीलें सुनता है। फौजदारी मामलोंमें भी ये मैजिस्ट्रेटकी हैसियतसे काम करते हैं और दूसरे और तीसरे दर्जेके मैजिस्ट्रेटोंके फैसल किये मामलोंकी अपीलें सुनते हैं। साराश, सब डिवीजन छोटासा जिला बन गया है। बङ्गालमें भी यही व्यवस्था है और सब डिविजनल अफसर अपने सब-डिवीजनोंमें रहते हैं। सदर सब डिवीजन कलेक्टरके अधीन होता है। यहां तहसीलें या ताल्लुके नहीं हैं। मद्रास और बम्बईमें ताल्लुके और युक्तप्रदेश और पञ्जाबमें तहसीलें भी हैं। तहसीलदारका प्रजासे बड़ा सरोकार रहता है और प्रजा तथा कलेक्टर और सब डिविजनल अफसर इनसे सब प्रकारके समाचार पानेकी आशा करते हैं। तहसीलदार सिर्फ माली या फौजदारी हाकिम ही नहीं है, उसे ग्राम बोर्डों और म्युनिसिपलटियोंका भी काम देखना पड़ता है। जहां सब डिविजनल अफसर होता है, तहसीलदार, सब डिविजनल अफसरके मातहत होता है। इसके मातहत नायब तहसीलदार या पेशकार कानूनगो, रेवेन्यू इन्सपेक्टर आदि हैं। गांवके अफसरोंमें सबसे महत्वका मनुष्य मुखिया या पञ्च है जो मालगुजारी वसूल करता है और मद्रास तथा बर्मामें जिसे छोटे मैजिस्ट्रेट या दीवानी जजके अधिकार दिये गये हैं। दूसरा पटवारी है, जो गांवका हिसाब किताब और रजिष्टर रखता है। चौकीदार या गांवका कान्सटेबल सबसे छोटा नौकर है। पटवारीको बम्बईकी तरफ कारकुन कहते हैं।

मद्रासको छोड़ सब बड़े प्रदेश डिवीजनोंमें बटे हैं। प्रत्येक डिवीजनमें ४ से ६ जिलेतक होते हैं। डिवीजनका अफसर कमिशनर कहाता है। यह माली मामलोंकी अपीलें भी सुनता है। मालगुजारीके बन्दोबस्तमें इसका काम सलाह देनाभर है, पर मालगुजारीकी वसूली रोकनेका इसे अधिकार है। कुछ प्रदेशोंमें ऊंचे दर्जेके मालगुजारी अफसर भी यह नियुक्त कर सकता है और प्रादेशिक नियमों और शर्त्तों पर किसानों और जमीन्दारोंको तकावी दे सकता और आवश्यक होनेपर मालगुजारी छोड़ सकता है तथा कोर्ट आव वार्डसके अधीन भूसम्पत्तियोंके प्रबन्धमें इसे बहुत काम करना पड़ता है।

कमिशनर और रेवेन्यू बोर्ड।

युक्तप्रदेश, विहार, बङ्गाल, और मद्रासमें रेवेन्यू बोर्ड था तथा पंजाब, वर्मा, और मध्यप्रदेशमें इसके बदले फाइनानशल कमिशनर था। यह प्रादेशिक सरकारके अधीन होता है और इसका काम माली मामलोंमें कलेक्टरों और कमिशनरोंके कार्यों का नियन्त्रण करना है। माली मामलोंमें कमिशनरके निर्णयके विरुद्ध अपील सुनता है। अब कहीं बोर्ड नहीं है और मद्रासमें कमिशनर भी नहीं हैं। मद्रासके रेवेन्यू बोर्डमें ४ मेम्बर थे, जिनमें दो तो भूकरसे विशेष सम्बन्ध रखनेवाले मामलोंका विचार करते, तीसरा जमीनके बन्दोबस्त, खेती और लैंड रेकार्ड्स और चौथा नमक, आबकारी, कस्टम्स, इनकम टैक्स और स्टाम्पोंके कार्यसे

रखता था। युक्त प्रदेशमें दो और बंगाल और बिहारके बोर्डोंमें एक ही एक मेम्बर था। अब शासनकारिणी सभाका एक मेम्बर रेवेन्यू बोर्डका काम करता है। पंजाबमें दो फाइनान्शल कमिशनर हैं।

जिलेका कार्यविभाग। पहले कमिशनरों और रेवेन्यू बोर्डकी अधीनतामें कलेक्टर और उसके अधीन कर्मचारी अपने जिलोंका शासनसम्बन्धीय सब कार्य किया करते थे। परन्तु गत ५० वर्षों में धीरे धीरे अनेक स्वतन्त्र विभाग बन गये हैं, जिनसे जिलेका काम भी बट गया है। इनमें पब्लिक वर्क्स, शिक्षा, पुलिस, जङ्गल, डाक्टरी, स्वास्थ्य और जेल विभाग मुख्य हैं। मालगुजारीके सिवा सरकारी आमदनीकी और मदोंका काम भी कमिशनर देखता है। शिक्षा, पुलिस और पब्लिक वर्क्स विभागोंसे उसका विशेष सम्बन्ध नहीं है, पर जिला बोर्डों और म्युनिसिपलटियोंसे उसका बहुत कुछ सम्बन्ध अब भी है। प्रत्येक प्रदेशमें ये विभाग अलग अलग अफसरोंके अधीन हैं, जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंटके चीफ इंजिनियर, शिक्षा विभागके डाइरेक्टर, पुलिस विभागके इन्सपेक्टर-जेनरल और जङ्गल विभागके कंजरवेटर या चीफ कंजरवेटर, सिविल अस्पतालोंके इन्सपेक्टर-जेनरल (मद्रास और बम्बईमें सर्जन जेनरल कहाते हैं), स्वास्थ्य विभागके सैनिटरी कमिशनर और जेलोंके इन्सपेक्टर जेनरल। इनके सिवा एक्साइज कमि-

मद्रासको छोड़ सब बड़े प्रदेश डिवीजनोंमें बटे हैं। प्रत्येक डिवीजनमें ४ से ६ जिलेतक होते हैं। डिवीजनका अफसर कमिशनर कहाता है। यह माली मामलोंकी अपीलें भी सुनता है। मालगुजारीके बन्दोबस्तमें इसका काम सलाह देनाभर है, पर मालगुजारीकी वसूली रोकनेका इसे अधिकार है। कुछ प्रदेशोंमें ऊंचे दर्जेके मालगुजारी अफसर भी यह नियुक्त करसकता है और प्रादेशिक नियमों और शर्त्तों पर किसानों और जमीन्दारोंको तकावी दे सकता और आवश्यक होनेपर मालगुजारी छोड़ सकता है तथा कोर्ट आव वार्डस्के अधीन भूसम्पत्तियोंके प्रबन्धमें इसे बहुत काम करना पड़ता है।

कमिशनर और रेवेन्यू बोर्ड।

युक्तप्रदेश, विहार, बङ्गाल, और मद्रासमें रेवन्यू बोर्ड था तथा पंजाब, बर्मा, और मध्यप्रदेशमें इसके बदले फाइनानशल कमिशनर था। यह प्रादेशिक सरकारके अधीन होता है और इसका काम माली मामलोंमें कलेक्टरों और कमिशनरोंके कार्यों का नियन्त्रण करना है। माली मामलोंमें कमिशनरके निर्णयके विरुद्ध अपील सुनता है। अब कहीं बोर्ड नहीं है और मद्रासमें कमिशनर भी नहीं हैं। मद्रासके रेवेन्यू बोर्डमें ४ मेम्बर थे, जिनमें दो तो भूकरसे विशेष सम्बन्ध रखनेवाले मामलोंका विचार करते, तीसरा जमीनके बन्दोबस्त, खेती और लैंड रेकार्डस् और चौथा नमक, आबकारी, कस्टम्स, इनकम टैक्स और स्टाम्पोंके कार्यसे सम्बन्ध

लिये पड़ा था, कि कम्पनीके उच्च कर्मचारियोंको इस आशयका प्रतिज्ञापत्र लिखना पड़ता था कि "मैं व्यापार न करूंगा और नज़र न लूंगा" आदि। प्रतिज्ञापत्र अब भी लिखना पड़ता है, पर अब यह सर्विस इण्डियन सिविल सर्विस कहाती है। पहले कोर्ट आव डाइरेक्टर्स इस सर्विसमें लोगोंको नियुक्त करते थे। १८३३ के चार्टर ऐक्टने भारत वासियोंको इसमें प्रवेश करनेका अधिकार दिया। इस ऐक्टमें कहा गया कि महारानी विक्टोरियाका प्रत्येक प्रजाजन, चाहे वह किसी धर्म वा जातिका क्यों न हो, अपने योग्यतानुसार उच्चसे उच्च पद पा सकेगा। पर २० वर्षतक किसी भारतवासीको इस सर्विसमें स्थान न मिला। १८५३ तक इस सर्विसमें प्रवेश करनेके लिये कोई नियम न था, अधिकारी जिसे चाहते थे, इसमें भर्ती करते थे। पर इस वर्षसे प्रतियोगी परीक्षा होने लगी और महारानीकी प्रजामात्रको परीक्षा देनेका अधिकार मिला। तबसे १९२० तक लण्डनमें सिविल सर्विसकी परीक्षा होती था और जो प्रतियोगितामें समर्थ होता था, उसे इसमें स्थान मिलता था। १८६१ के इण्डियन सिविल सर्विस ऐक्टसे रेगुलेशन प्रदेशोंके प्राय सब उच्च पद सिविलियनोंको मिलने लगे और बाहरी लोगोंको नियुक्त करनेका अधिकार भी दिया गया। सरकारी नौकरियोंका बड़ा भारी इतिहास है और उससे भारतीय राजनीतिका घनिष्ठ सम्बन्ध है, इस लिये उसका वर्णन स्वतन्त्र अध्याय बिना सम्भव नहीं है।

शनर, ऐग्रिकलचर और लैंड रेकार्ड्सके डाइरेक्टर और कुछ प्रदेशोंमें मालगुजारीके बन्दोबस्तके कमिशनर हैं। जिलोंमें इन विभागोंके अधीन जो आफिस हैं, उनसे कलेक्टरका सम्बन्ध बहुत कम रहता है। छोटे जेलों, स्वास्थ्य, डाक्टरी, और प्राथमिक शिक्षासे उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिलेमें कलेक्टरके सिवा दो अफसर और होते हैं, एक पुलिस सुपरिण्टेडेण्ट और दूसरा सिविल सर्जन। पुलिसका मुखिया जिलेका पुलिस सुपरिण्टेंडेंट होता है। जिलेमें तो वह जिला मैजिस्ट्रेटके मातहत है, पर पुलिसके संघटन आदिके विषयमें इसका अफसर इन्सपेक्टर-जेनरल है। सिविल सर्जनका दूसरा नाम डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसर है। जिला जेल इसके चार्जमें है और यह अस्पतालों और शफाखानोंकी देखभाल करता है तथा जिलेका स्वास्थ्य ठीक रखना इसका काम है।

सिविल सर्विस और सिविलियन।

पिछले अध्यायोंमें सिविल सर्विस और सिविलियनोंका उल्लेख हुआ है, इस लिये यहां उनके विषयमें कुछ लिख देना उचित जान पड़ता है। जिसे आज "इण्डियन सिविल सर्विस" कहते हैं, वह पहले "कवेनेंटेड सिविल सर्विस" कहाती थी। कौन्सिलकी मेम्बरीसे नीचे देश शासक कर्मचारियोंके जो पद होते थे, वे "कवेनेंटेड" सिविल सर्विसके लोगोंको मिलते थे। "कवेनेंटेड" इसका नाम इस

षष्ट अध्याय ।



न्यायालयोंके कार्य और अधिकार ।

मेयर्स कोर्ट ।

पिछले अध्यायोंमें शासनसंस्थाओंका वर्णन किया गया है, परन्तु देशके सुशासनके लिये वे ही पर्याप्त नहीं हैं। ऐसी संस्थाओंका भी प्रयोजन है, जो परस्परके झगडे फसादका निपटारा किया करें और दुष्टोंको दण्ड देकर उनसे शिष्टोंकी रक्षा किया करें। इन संस्थाओंको न्यायालय, विचारालय या अदालत कहते हैं। जिस प्रकार संस्थाओंका इतिहास है, उसी प्रकार इनका भी इतिहास है, क्योंकि जब पहले पहल अङ्गरेज इस देशमें आये थे, तब उन्हें यहांकी सब बातें नहीं मालूम थीं और वे अपने अनुभव और बुद्धिके अनुसार यहां शासन और विचार कार्यों की व्यवस्था करते थे। सबसे पहले सन् १६६१ में भारतमें न्यायालय स्थापन करनेका सूत्रपात हुआ था। महाराज दूसरे चार्ल्सने ईस्ट इण्डिया कम्पनीको जो फर्मान दिया था, उसमें कम्पनीके अधीन स्थानोंके गवर्नरों और कौन्सिलोंको अपने कर्मचारियों और प्रजाके झगडे निपटानेका अधिकार दे दिया था। कौन्सिल

यहा केवल इतना ही बता देना बस होगा कि सिविल सर्विस तीन भागोंमें बटी हुई है और इण्डियन सिविल सर्विका मेम्बर गवर्नरतक हो सकता है। सिविल सर्विसके तीन विभाग ये हैं ;—इण्डियन सिविल सर्विस, प्राविनशल सिविल सर्विस और सबार्डिनेट सिविल सर्विस। इण्डियन सिविल सर्विसके लिये लण्डनमें प्रतियोगी परीक्षा होती थी और अब १९२१ से हिन्दुस्थानमे भी होने लगी है। परीक्षाके सिवा इस सर्विसमें भर्त्ती होनेके लिये लोग मनोनीत किये जाते और प्रादेशिक सर्विससे उन्नत होकर भी इसमें भेजे जाते हैं। वकील बैरिस्टर भी नियुक्त किये जा सकते हैं। अन्तिम दोनो सर्विसोंमें प्रदेश विशेषके लोग ही नियुक्त किये जाते हैं। प्राविनशल सर्विसमें भर्त्ती होनेवालोंको कभी परीक्षा देनी पडती है, कभी वे मनोनीत होते और कभी सबार्डिनेट सर्विससे उसमें बदल दिये जाते हैं।



गये और इन्हें सब दीवानी मामलोंका विचार करनेका अधिकार मिला। पर प्लासीकी लड़ाईके कुछ पहले और पीछे बङ्गालकी ऐसी दशा थी कि कम्पनीके राज्यमें विचारकी व्यवस्था नहींके बराबर थी। जब कम्पनीने दीवानी ली, तब भी दीवानी और फौजदारी मामले नबाबके दरबारसे ही फैसल होते थे। वारेन हेस्टिंग्जके समय कम्पनीने दीवानी और फौजदारी मामले फैसल करना शुरू कर दिया और इस तरह दीवानी और फौजदारी अदालतें बनीं।

सुप्रीम कोर्ट। रेगुलेटिंग ऐक्टसे जैसे वर्त्तमान भारत सरकारकी नींव पड़ी थी, वैसे ही वर्त्तमान हाईकोर्टके पूर्व न्यायालय सुप्रीम कोर्टकी स्थापना हुई थी। उस ऐक्टमें इङ्गलैंडके महाराजको अधिकार दिया गया कि अपने फर्मान या लेटर्स पेटेंटसे फोर्ट विलियममें एक चीफ जस्टिस और तीन जजोंका सुप्रीम कोर्ट स्थापित करें। इस प्रकारके स्वतन्त्र न्यायालयकी व्यवस्था इस लिये हुई थी, जिसमें यह गवर्नर-जेनरल और कौन्सिलसे न दबे। सुप्रीम कोर्टके जज घूस ऊस न लें इसके लिये उक्त रेगुलेटिंग ऐक्टमें यह व्यवस्था की गयी कि यदि उनपर ऐसा अभियोग लगाया जाय, तो गवर्नर-जेनरल और कौन्सिल इस बातकी गवाहियां लेकर इङ्गलैंडमें कोर्ट आव किंग्ज बेञ्चको भेज दें और वह उसका विचार करेगा। पर दोनो स्वतन्त्र संस्थाओंमें बराबर खटपट हुआ करती थी। सुप्रीम कोर्ट प्राय

सहित गवर्नर विलायती कानूनसे दीवानी और फौजदारी सब तरहके मामले मुकद्में फैसल करते थे। पर १७२६ में लेटर्स पेटेण्टसे * इङ्गलैंडके महाराजने बम्बई, मद्रास और फोर्ट विलियममें "मेयर्स कोर्ट" स्थापित किये। इनमें एक मेयर और ६ * ऐलडरमैन थे, जिनमें ७ ऐलडरमैनों और मेयरका ब्रिटिश प्रजा होना आवश्यक था। ये "कोर्ट्स आव रेकार्ड्स" बनाये

---

* लेटर्स पेटेंट वे पत्र हैं, जो इङ्गलैंडके महाराज उन लोगोंके नाम जारी करते हैं जिनका उनसे सम्बन्ध होता है और जिनमें किसीको कोई पद अधिकार, स्वत्व आदि देने या कोई संस्था स्थापित करनेकी बातें लिखी रहती हैं। इन पत्रोंपर मुहर नहीं लगायी जाती और ये खुले छोड़ दिये जाते हैं, जिसमें राज्यकी सब प्रजा इन्हें पढ़कर इनसे बन्धी रहे। लेटर्स पेटेण्ट जारी करनेके लिये पहले वारण्ट या आज्ञापत्र लिखा जाता है और उसपर लार्ड चान्सेलरके हस्ताक्षर होते हैं। फिर यह महाराजके कानूनी अफसरोंके पास जाता है और वे इसपर हस्ताक्षर करते हैं। अन्तको इसपर श्रीमान् महाराजके हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद क्राउन आफिसमें यह भेज दिया जाता है और वहासे लेटर्स पेटेंट जारी होकर यह दाखिल दफ्तर हो जाता है।

* मेयर उस अफसरको कहते हैं जो शासन और विचार सम्बन्धी कार्य करता है। आजकल इङ्गलैंडमें म्यूनिसिपैलिटीका प्रधान "मेयर" कहाता है। ऐलडरमैनको इङ्गलैंडमें हरवर्षके लिये म्यूनिसिपल कौन्सिलर चुनते हैं। इसे विचारके भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं। वास्तवमें मेयर और ऐलडरमैनोंको म्यूनिसिपल प्रबन्धका अधिकार दिया गया था, पर यहां इन्हें विचारका कार्य भी सौंप दिया गया।

हाईकोर्ट है। १८६१ में पार्लमेण्टने कानून बनाकर इङ्गलैंडकी महारानीको अधिकार दे दिया था कि अपने लेटर्स पेटेंटसे कलकत्ते, बम्बई, मद्रास और आगरा प्रदेशोंमें हाईकोर्ट स्थापित करें। इन हाईकोर्टों के लिये जज नियुक्त करनेका अधिकार भी उन्हें ही रहा और हाईकोर्टके जजोंका कार्यकाल भी महारानीकी प्रसन्नतापर निर्भर रहा। पर नियम हुआ कि कमसे कम तिहाई जज बैरिस्टर या स्काटलैंडके ऐडवोकेटोंकी फैकल्टीके मेम्बर और कमसे कम तिहाई सिविलियन होंगे, अवशिष्ट स्थान भारतीय वकीलोंको दिये जायगे। इन हाईकोर्टों में ही सुप्रीम कोर्ट, सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतें विलीन हो गयीं। दीवानी, फौजदारी, वसीयत या बेवसीयतकी जायदादों, दिवालियों, व्याह खारिज करने या तलाकके मामले हाईकोर्टसे फैसल होते हैं। युद्ध छिडनेपर शत्रुके व्यापारी जहाजोंके बारेमें भी हाइकोर्टको अपना मत प्रकाश करना पडता है और उस समय उसका ऐडमिरलटी कोर्ट होता है। हाईकोर्टके प्रधान दो विभाग हैं एक ओरजिनल और दूसरा अपीलेट। इनमें प्रत्येकके दो भेद हैं एक आर्डिनरी या साधारण और दूसरा एक्सट्रा-आर्डिनरी या असाधारण। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन प्रेसिडेन्सी नगरकी सीमाके बाहर नहीं है। अर्थात् प्रेसिडेन्सी नगरके सब दीवानी मामले, जो स्माल काज कोर्ट या छोटी अदालतमें नहीं जा सकते, हाईकोर्टमें दायर होते हैं और जिन

गवर्नर-जेनरल इन-कौन्सिलके विरुद्ध निर्णय किया करता था। इस लिये १७८१ में एक कानून बनाया गया, जिससे सुप्रीम कोर्टका कार्यक्षेत्र संकुचित किया गया। पहले उसे बङ्गाल बिहार और उड़ीसेमें होनेवाले सब तरहके मामलों मुकद्दमोंका विचार करनेका अधिकार था, पर १७८१ के ऐक्टसे कलकत्ता शहरके दीवानी मामलोंके विचार करनेका ही अधिकार रह गया। पहले अङ्गरेजी कानूनसे मुकद्दमे फैसल होते थे, पर इस समयसे यह नियम हुआ कि मुसलमानोंके मुकद्दमे मुसलमानी शरह और जेंटुओंके (हिन्दुओंके) मुकद्दमे जेंटू (हिन्दू) शास्त्रानुसार फैसल हों और जहां वादी प्रतिवादी भिन्न भिन्न धर्मावलम्बी हों वहां प्रतिवादीके धर्मशास्त्रानुसार निर्णय किया जाय। कलकत्तेमें तो यह परिवर्त्तन हुआ, पर बम्बई और मद्रासमें १७९७ तक मेयर्स कोर्ट ही रहे और इस वर्ष इनके बदले रेकार्डर्स कोर्ट स्थापित हुए और अन्तमें बङ्गालके ढङ्गपर १८०० में मद्रासमें और १८२३ में बम्बईमें सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुए। १८०१ में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतोंका पुन सङ्गठन हुआ। गवर्नर जेनरल और कौन्सिलके बदले इनमें कवेनैंटेड सर्विसके ३ या अधिक जज बैठने लगे। अन्तको १८६२ में ये अदालतें हाईकोर्टमें मिल गयीं।

हाईकोर्ट।

भारत सरकारकी तरह भारतभरपर किसी न्यायालयकी प्रभुता नहीं है, यद्यपि इस समय कलकत्तेका हाईकोर्ट सबसे बड़ा है और बङ्गाल और आसाम दो प्रदेशोंके न्यायालयोंपर उसका प्राधान्य है। भारतमें सर्वोच्च न्यायालय

मामलेमें वे गिरफ्तार किये या जेल भेजे नहीं जा सकते। पार्लमेंटका कोई ऐक्ट या मामूली कानून न माननेके कारण उनपर फौजदारी मामला भी नहीं चल सकता। १८६१ के ऐक्टसे प्रत्येक हाईकोर्टमें एक चीफ जस्टिस और १५ जज नियुक्त हो सकते थे। परन्तु कलकत्ता हाईकोर्टका काम बेतरह बढ़ जानेके कारण १९११में पार्लमेंटने इण्डियन हाईकोर्ट्स ऐक्ट पास कर दिया, जिससे जजोंकी संख्या २० तक हो सकती है और जहां हाईकोर्ट न हो, वहां स्थापित किया जा सकता है। इलाहाबाद प्रेसिडेन्सी नगर नहीं है, इस लिये वहांके हाईकोर्टका ओरिजिनल जुरिस्डिकशन यूरोपियन ब्रिटिश प्रजाजनोंका दौरेमें विचार करनेतक ही समाप्त हो जाता है।

चीफ कोर्ट और जुडीशल कमिशनर।

जिन चार हाईकोर्टों का ऊपर वर्णन हुआ है, महारानीके लेटर्स पेटेंटसे स्थापित होनेके कारण वे चार्टर्ड हाईकोर्ट कहाते हैं। वे राजकीय न्यायालय हैं, परन्तु अन्य प्रदेशोंमें हाईकोर्ट चार्टर्ड नहीं हैं। कहीं चीफ कोर्ट और कहीं जुडीशल कमिशनर्स कोर्ट है। १८६६ में पञ्जाबके लाहोर नगरमें और १९०० में लोअर बर्माके रंगून नगरमें चीफ कोर्ट स्थापित हुए अब लाहोर और पटनेमें नये हाईकोर्ट स्थापित हो गये अवध, मध्यप्रदेश, पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश, अपर बर्मा, मिशनर्स कोर्ट हैं। यद्यपि

अभियुक्तोंको प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट द्वारा सुपुर्द करते हैं, उनके विचारके लिये हाईकोर्टका एक जज द्वारा जज नियुक्त होता है। परन्तु अपने एकसद्रा आर्डिनरी ओरिजिनल और अपीलेट जुरिस्डिक्शनसे हाईकोर्ट अपने लेटर्स पेटेन्टमें निर्द्धारित सीमाके अन्तर्गत सब दीवानी और फौजदारी अदालतोंका नियंत्रण करते हैं। यदि भारत सरकार कोई कानून बना दे, तो हाईकोर्ट मालगुजारीके किसी मामले या देशकी प्रचलित रीति वा प्रचलित नियमके अनुसार मालगुजारी वसूल करनेके लिये दी हुई आज्ञा वा किये हुए कामका अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शनके अनुसार विचार नहीं कर सकते। अपने अपीलेट जुरिस्डिक्शनसे हाईकोर्ट सब न्यायालयोंका नियंत्रण और निरीक्षण करते हैं। वे रिटर्न (गोशवारा) मगा सकते, किसी अदालतमें दायर किसी मामले या अपीलको दूसरी वैसी ही या उससे बड़ी अदालतमें भेज सकते हैं। ऐसी अदालतोंकी रीतरवाज और कामका ढग ठीक करनेके लिये नियम बनाते या जारी कर सकते हैं और उन अदालतोंके शरीफों, ऐटार्नियों और सब क्लर्कों और अफसरोंकी फीसका निर्ख मुकर्रर करते हैं। इन सबके लिये पहले प्रादेशिक सरकारोंकी स्वीकृति ले लेनी पडती है। यदि गवर्नर-जेनरल और गवर्नरों तथा उनकी कौन्सिलोंके मेम्बरोंने अपने पदके कारण कोई परामर्श दिया हो या कार्य किया हो, तो हाईकोर्टके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शनकी सत्ता उनपर नहीं चल सकती। दीवानी

दर्जा है। मुन्सिफकी अदालतमें १,०००) से ५,०००) तकका मामला दायर हो सकता है, पर सवार्डिनेट जजकी अदालतमें बडेसे बडा मामला दायर हो सकता है। यद्यपि जिला जजका दर्जा इससे बड़ा है, तथापि उसकी अदालतमें १०,०००) से अधिकका मुकद्दमा नहीं दायर हो सकता। जिला जजके यहा मुन्सिफों और सबजजोंके फसल किये हुए छोटे मुकद्दमोंकी अपीलें हो सकती हैं। सब-जजों और जिला जजोंके फैसल किये हुए १०,०००) से बडे मुकद्दमोंकी अपील हाईकोर्टमें होती है। थोडे थोडे रुपयोंके मुकद्दमोंके लिये प्रेसिडेन्सी शहरों और बडे शहरोंमें "कोर्ट आव स्माल कालेज" या छोटी अदालत या अदालत खफीफा है।

फौजदारी अदालतें।

जिस तरह दीवानी मुकद्दमे फैसल करनेके लिये जिलेमें सबसे बडा अफसर जिला जज है, उसी तरह फौजदारी मामलोंके लिये दौरा जज है। कहीं कहीं तो हर जिलेके लिये दौरा जज है और कहीं कहीं कई जिलोंके लिये एक ही दौरा जज होता है। जब जिला जज, फौजदारी मामले सुनता है, तब वह दौरा जज कहाता है। कहीं कहीं उसके सहायतार्थ ऐडिशनल, ज्वायट या ऐसिस्टेंट सेशन्स जज भी नियुक्त हैं। दौरा जजोंके नीचे मैजिस्ट्रेट होते हैं। ये मैजिस्ट्रेट तीन तरहके हैं, प्रथम श्रेणीके, द्वितीय श्रेणीके और तृतीय श्रेणीके। जिला मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणीका मैजिस्ट्रेट होता है। ... शहरमें ...

दोनो प्रकारके न्यायालयोके अधिकार और काम हाईकोर्टसे ही हैं, तथापि इनकी उतनी प्रतिष्ठा नहीं है और दोनोमें चीफ कोर्टकी मर्यादा अधिक है। पुराने हाईकोर्टों के न्यायपर लोगोंकी श्रद्धा है और वे समझते हैं कि वहा दूधका दूध और पानीका पानी हो जाता है। यह उनके राजकीय न्यायालय होनेका प्रताप है। मध्य प्रदेशके लोगोंकी ओरसे बडी व्यवस्थापिका सभामें प्रस्ताव किया गया था कि वहा जुडीशल कमिशनरीके बदले चीफ कोर्ट स्थापित किया जाय। कलकत्ता हाईकोर्टको छोड सब हाईकोर्टोंका प्रादेशिक सरकारोंसे सम्बन्ध है और इसी कारण ये उतने स्वतन्त्र नही समझे जाते। कुछ समयसे इस आशयका आन्दोलन होता है कि कलकत्ता हाईकोर्टके समान सब हाईकोर्टोंका भारत सरकारसे साक्षात् सम्बन्ध रखा जाय। हाईकोर्ट और उनके समान न्यायालय सब प्रकारका दण्ड दे सकते हैं।

हाईकोर्टके नीचे कई दीवानी और फौजदारी अदालतें हैं।

दीवानी अदालतें। हर जिलेमें एक डिस्ट्रिक्ट या जिला जज होता है, जो जिलेभरके न्यायालयोंका नियन्त्रण करता है। उसकी अदालत जिलेमें सबसे बडी दीवानी अदालत है, जिसमें नीचेकी अदालतोंके फैसलोंकी अपील हो सकती है। जिला जजके नीचे सबार्डिनेट जज या सब-जज होते हैं। सब जजको सदरआला भी कहते हैं। इनके नीचे मुन्सिफोंका

दर्जा है। मुन्सिफकी अदालतमें १,०००) से ५,०००) तकका मामला दायर हो सकता है, पर सबार्डिनेट जजकी अदालतमें बडेसे वडा मामला दायर हो सकता है। यद्यपि जिला जजका दर्जा इससे बड़ा है, तथापि उसकी अदालतमें १०,०००) से अधिकका मुकद्दमा नहीं दायर हो सकता। जिला जजके यहां मुन्सिफों और सबजजोंके फसल किये हुए छोटे मुकद्दमोंकी अपीलें हो सकती हैं। सब जजों और जिला जजोंके फैसल किये हुए १०,०००) से वडे मुकद्दमोंकी अपील हाईकोर्टमें होती है। थोड़े थोड़े रुपयोंके मुकद्दमोंके लिये प्रेसिडेन्सी शहरों और बडे शहरोंमें "कोर्ट आव स्माल कालेज" या छोटी अदालत या अदालत खफीफा है।

फौजदारी अदालतें।

जिस तरह दीवानी मुकद्दमे फैसल करनेके लिये जिलेमें सबसे वडा अफसर जिला जज है, उसी तरह फौजदारी मामलोंके लिये दौरा जज है। कहीं कहीं तो हर जिलेके लिये दौरा जज है और कहीं कहीं कई जिलोंके लिये एक ही दौरा जज होता है। जब जिला जज फौजदारी मामले सुनता है, तब वह दौरा जज कहाता है। कहीं कहीं उसके सहायतार्थ ऐडिशनल, ज्वायट या ऐसिस्टेंट सेशन्स जज भी नियुक्त हैं। दौरा जजोंके नीचे मैजिस्ट्रेट होते हैं। ये मैजिस्ट्रेट तीन तरहके हैं, प्रथम श्रेणीके, द्वितीय श्रेणीके और तृतीय श्रेणीके। जिला मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणीका मैजिस्ट्रेट होता है। प्रेसिडेन्सी शहरमें खास

दोनो प्रकारके न्यायालयोंके अधिकार और काम हाईकोर्टसे ही हैं, तथापि इनकी उतनी प्रतिष्ठा नहीं है और दोनोमें चीफ कोर्टकी मर्यादा अधिक है। पुराने हाईकोर्टोंके न्यायपर लोगोंकी श्रद्धा है और वे समझते हैं कि वहां दूधका दूध और पानीका पानी हो जाता है। यह उनके राजकीय न्यायालय होनेका प्रताप है। मध्य प्रदेशके लोगोंकी ओरसे बड़ी व्यवस्थापिका सभामें प्रस्ताव किया गया था कि वहा जुडीशल कमिशनरीके बदले चीफ कोर्ट स्थापित किया जाय। कलकत्ता हाईकोर्टको छोड सब हाईकोर्टों का प्रादेशिक सरकारोंसे सम्बन्ध है और इसी कारण ये उतने स्वतन्त्र नहीं समझे जाते। कुछ समयसे इस आशयका आन्दोलन होता है कि कलकत्ता हाईकोर्टके समान सब हाईकोर्टों का भारत सरकारसे साक्षात् सम्बन्ध रखा जाय। हाईकोर्ट और उनके समान न्यायालय सब प्रकारका दण्ड दे सकते हैं।

हाईकोर्टके नीचे कई दीवानी और फौजदारी अदालतें हैं।

दीवानी अदालतें।

हर जिलेमें एक डिस्ट्रिक्ट या जिला जज होता है, जो जिलेभरके न्यायालयोंका नियन्त्रण करता है। उसकी अदालत जिलेमें सबसे बड़ी दीवानी अदालत है, जिसमें नीचेकी अदालतोंके फैसलोंकी अपील हो सकती है। जिला जजके नीचे सबार्डिनेट जज या सब जज होते हैं। सब-जजको सदरआला भी कहते हैं। इनके नीचे मुन्सिफोंका

सप्तम अध्याय



पुलिस और जेल।

पुलिस और जेलका प्रयोजन।

पहले कहा जा चुका है कि मैजिस्ट्रेटका काम अपने जिलेमें शान्ति रखना और अपराधियोंका दमन करना है। यह काम जिस दलकी सहायतासे किया जाता है, उसे पुलिस कहते हैं। यदि पुलिस न हो, तो दुष्टोंका दमन और शिष्टोंका संरक्षण सम्भव नहीं है, क्योंकि यद्यपि अपराधियोंको दण्ड देनेके लिये न्यायालय हैं, तथापि जबतक कोई उन्हें पकड़कर न्यायालयोंमें नहीं ले जाता, तबतक कुछ नहीं करते। न्यायालयोंका काम अभियुक्तोंका विचार कर अपराधियोंको दण्ड देनामात्र है, अपराधियोंका पकड़ना नहीं। अपराधियोंको खोजना और उनपर अभियोग लगाकर उन्हें न्यायालयमें ले जाना पुलिसका काम है। यदि पुलिस अपना कर्तव्य पालन न करे, तो देशमें असंख्य न्यायालय स्थापित हो जानेसे भी शिष्टोंकी रक्षा नहीं हो सकती। पुलिसके साथ ही और एक संस्थाका प्रयोजन है। इसका ... समाजमें अशान्ति उत्पन्न करते हैं

कसका हक पहुचता है इसका फसला दीवानी अदालतें कर सकती हैं। इसके सिवा और सब तरहके माली मामले माल गुजारीके अफसर तय करते हैं।

सरकारके कानूनी सलाही।

भारत सरकारको कानूनी मामलोंमे सलाह देनेवाले सबसे बडे अफसर व्यवस्था सदस्य हैं। कानूनोंके जो मसविदे कौन्सिलमें पेश होते हैं, वे इनकी निरीक्षकतामें ही तैयार किये जाते हैं और सिलेक्ट कमिटियोंमें ये अध्यक्षका आसन ग्रहण करते हैं। परन्तु कौन्सिलके बाहर सरकारको इन विषयोंका परामर्श देनेवाले बंगालके ऐडवोकेट-जेनरल हैं। जजोंकी भांति इन्हें भी श्रीमान् सम्राट् ही नियुक्त करते हैं। कलकत्तेमें इनके सहायतार्थ एक "स्टैंडिंग कौन्सेल" और एक "गवर्नमेंट सालिसिटर" नियुक्त किया जाता है। बंगाल सरकार भी इन तीनोंसे सम्मति लेती है, पर इनके सिवा उसने एक लीगल रिमेम्ब्रैन्सर और एक डिपटी लीगल रिमेम्ब्रैन्सर भी नियुक्त कर रखा है। पहला सिविलियन और दूसरा बैरिस्टर है। मद्रास और बम्बईमें भी ऐडवोकेट-जेनरल और गवर्नमेंट सालिसिटर हैं, पर स्टैंडिंग कौन्सेल नहीं है। बम्बईमें बङ्गालकी तरह लीगल रिमेम्ब्रैन्सर हैं। ये दोनो सिविलियन हैं। युक्तप्रदेशमें एक सिविलियन लीगल रिमेम्ब्रैन्सरके सिवा गवर्नमेंट ऐडवोकेट और ऐसिस्टेंट ऐडवोकेट हैं। पञ्जाब और बर्मामें भी गवर्नमेंट ऐडवोकेट हैं।

मुर्शिदाबादसे कलकत्ते ले आये, तब जमीन्दारोंके बदले जिलोंमें यूरोपियन मैजिस्ट्रेट नियुक्त करके उनके नीचे कई दरोगा और चपरासी रख दिये। हर जिला थानोंमें बांट दिया गया और हर थाना एक दरोगाके अधीन हुआ, जिसे सरकारी खर्चसे कुछ कान्सटेबल रखनेका अधिकार मिला। प्रत्येक थानेमें २० वर्ग मील भूमि होती थी। शहरोंमें कोतवाल और शहरके हर थानेके लिये दरोगा नियुक्त होते थे। पश्चिमोत्तर प्रदेशमें भी बङ्गालकी पुलिस पद्धतिका अनुकरण किया गया। १८०८ में बङ्गालके डिवीजनोंमें एक पुलिस सुपरिंटेंडेंट नियुक्त हुआ। यह भेदियों और चरोंके द्वारा भेद लेकर डाकुओंका दमन करता था। दरोगों और चपरासियोंके अधिकार कम कर दिये गये। पर बङ्गालमें पुलिसकी इस व्यवस्थासे भी डाके, लूटपाट और खूनखराबी बन्द न हुई। इस लिये १८१३ में कोर्ट आव डाइरेक्टर्सने इस विफलताके कारणोंके अनुसन्धानके लिये कई डाइरेक्टरोंकी एक कमिटी बनाई। दूसरे वर्ष कोर्टने आज्ञापत्र प्रचारित किया, जिसमें दरोगों और उनके सहकारियोंकी नियुक्तिकी निन्दा की और इसपर बड़ा जोर दिया कि प्रत्येक गावमें गाव पुलिस रखी जाय, क्योंकि उसीसे आभ्यन्तरिक शान्ति हो सकती है। इसके समर्थनमें उसने यह भी कहा कि गाव पुलिसको शान्ति रखनेके कार्यमें गाववालोंसे सहायता मिलती है, क्योंकि यह इसके [illegible] होती है और जो

अथवा जिनके स्वतन्त्र रहनेसे शान्तिभङ्गकी सम्भावना है, उन्हें वन्दी करके जिस घरमें रखते हैं, वह जेल कहाता है। जेलको "बड़ा घर" या "विना किरायेका घर" भी कहते हैं। यदि जेल न हो, तो पुलिस और न्यायालय लाख चेष्टा करनेपर भी शिष्टोंकी रक्षा नहीं कर सकते। इस लिये लिये जैसे निरपेक्ष न्यायालयों और कार्यदक्ष आवश्यकता है, वैसे ही अपराधियोंको वन्दी जेलोंका प्रयोजन है।

अङ्गरेजी राज्यमें जितनी संस्थाएं हैं,

बंगाल पुलिसका पहला संघटन।

क्योंकि जो स्वरूप देख रहे हैं, वह हुआ है।

वस्त है। अङ्गरेजोंके इस देशका पहले ग्राम पञ्चायतोंका काम देशमें गावके मुखिया और चौकीदारसे यह दार थे, वहा यह काम चौकीदार ही कोतवाल नियुक्त थे रहते थे। ईस्ट लेने बाद, जमीन्दारोंको और उनपर कुछ लार्ड कार्नवालिस निजामत

मुर्शिदाबादसे कलकत्ते ले आये, तब जमीन्दारोंके बदले जिलोंमें यूरोपियन मैजिस्ट्रेट नियुक्त करके उनके नीचे कई दरोगा और चपरासी रख दिये। हर जिला थानोंमें बांट दिया गया और हर थाना एक दरोगाके अधीन हुआ, जिसे सरकारी खर्चसे कुछ कान्सटेबल रखनेका अधिकार मिला। प्रत्येक थानेमें २० वर्ग मील भूमि होती थी। शहरोंमें कोतवाल और शहरके हर थानेके लिये दरोगा नियुक्त होते थे। पश्चिमोत्तर प्रदेशमें भी बङ्गालकी पुलिस पद्धतिका अनुकरण किया गया। १८०८ में बङ्गालके डिवीजनोंमें एक पुलिस सुपरिंटेंडेंट नियुक्त हुआ। यह भेदियों और चरोंके द्वारा भेद लेकर डाकुओंका दमन करता था। दरोगों और चपरासियोंके अधिकार कम कर दिये गये। पर बङ्गालमें पुलिसकी इस व्यवस्थासे भी डाके, लूटपाट और खूनखराबी बन्द न हुई। इस लिये १८१३ में कोर्ट आव डाइरेक्टर्सने इस विफलताके कारणोंके अनुसन्धानके लिये कई डाइरेक्टरोंकी एक कमिटी बनायी। दूसरे वर्ष कोर्टने आज्ञापत्र प्रचारित किया, जिसमें दरोगों और उनके सहकारियोंकी नियुक्तिकी निन्दा की और इसपर बड़ा जोर दिया कि प्रत्येक गांवमें गाव पुलिस रखी जाय, क्योंकि उसीसे आभ्यन्तरिक शान्ति हो सकती है। इसके समर्थनमें उसने यह भी कहा कि गाव पुलिसको शान्ति रक्षाके कार्यमें गांववालोंसे सहायता मिलती है, क्योंकि उनके आचार व्यवहारके अनुसार संघटित होती है और

अथवा जिनके स्वतन्त्र रहनेसे शान्तिभङ्गकी सम्भावना है उन्हें बन्दी करके जिस घरमे रखते हैं, वह जेल कहाता है। जेलको "बडा घर" या "बिना किरायेका घर" भी कहते हैं। यदि जेल न हो, तो पुलिस और न्यायालय लाख चेष्टा करनेपर भी शिष्टोंकी रक्षा नहीं कर सकते। इस लिये शान्तिरक्षाके लिये जैसे निरपेक्ष न्यायालयों और कार्यदक्ष पुलिसकी आवश्यकता है, वैसे ही अपराधियोंको बन्दी रखनेके लिये जेलोंका प्रयोजन है।

बगाल पुलिसका पहला सघटन।

अङ्गरेजी राज्यमे जितनी सस्थाए हैं, सबका इतिहास है, क्योंकि जो स्वरूप उनका हम आज देख रहे हैं, वह एक शताब्दीके बाद हुआ है। पुलिसके विषयमें भी यही बात है। अङ्गरेजोंके इस देशका शासनदण्ड ग्रहण करनेके पहले ग्राम पञ्चायतोंका काम देशमे शान्ति रखना था और वे गांवके मुखिया और चौकीदारसे यह काम लेती थीं। जहां बडे जमीन्दार थे, वहा यह काम पट्टीदारोंके सुपुर्द था। इस प्रकार गावका चौकीदार ही पुलिसका काम करता था। बडे बडे शहरोंमें कोतवाल नियुक्त थे और इनके अधीन बहुतसे कान्सटेबल रहते थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनीने बगालकी दीवानी लेने बाद जमीन्दारोंको शान्तिरक्षाके उत्तरदायित्वसे मुक्त किया और उनपर कुछ मालगुजारी बढा ली। १७६० में जब लार्ड कार्नवालिस निजामत (फौजदारी) अदालत

कर तहसीलदारोंके पास भेज दिया करो। यूरोपियन मैजिस्ट्रेटोंके निरीक्षणमें ये अपने जिलेकी पुलिसके मुखिये नियुक्त होते थे। बम्बईने १८२७ में मद्रासका अनुकरण किया, पर शासकोंके अधीन न करके यहां पुलिस सदर फौजदारी अदालतके निरीक्षणमें रखी गयी। १८४२ के बाद जब सिन्धके शासनप्रबन्धका भार सर चार्ल्स नेपियरको दिया गया, तब उन्होंने नये ढङ्गसे वहां पुलिसका सघटन किया। उन्होंने सरकारका एक पुलिस विभाग बना डाला, और उससे न्यायालयोंका कोई सम्बन्ध न रखा। १८५७ में बम्बई सरकारने भी यही किया। इस पद्धतिमें पुलिसके कामोंके लिये जिला एक सुपरिटेंडेंटके अधीन किया गया, जो जिलेकी पुलिसका अफसर बनाया गया और साधारणत जिला मैजिस्ट्रेटके अधीन रहा। इसी प्रकार हर ताल्लुकेके लिये एक पुलिस अफसर नियुक्त हुआ और उसका मामलतदारसे वही सम्बन्ध रखा गया, जो सुपरिटेंडेंटसे मैजिस्ट्रेटका था। पुलिस विभाग फौजदारी अदालतकी अधीनतासे अलग कर सरकारका विभाग बनाया गया। बाद इसमें कुछ दोष देख पड़े, इससे पुलिसका प्रबन्ध पुलिस कमिशनरको सौंपा गया, जो जेलोंका इन्सपेक्टर भी था। मद्रासमें लोगोंपर पुलिसके बड़े अत्याचार होने लगे और उनकी जांचके लिये एक कमीशन बैठा, जो पीछे "टार्चर कमीशन" प्रसिद्ध हुआ। इस लिये ८५६ में बम्बईके अनुकरणपर मद्रासमें भी सुधार हुए। अन्य

पुलिस इस तत्वपर संघटित न होगी, उसमें त्रुटियां रहेंगी ही तथा बड़े भारी प्रान्तमें स्थित कुछ दरोगों और चपरासियों द्वारा सामाजिक शान्तिरक्षा असम्भव है, जिनका न लोगोंपर प्रभाव है और न उनसे सम्बन्ध ही है और जो मैजिस्ट्रेटकी दृष्टि और नियन्त्रणसे बहुत दूर रहते हैं, तथा उपयुक्त वेतन न पानेके कारण प्रतिष्ठित पुरुष यह कार्य नहीं करते और उक्त कर्मचारियोंके लिये बहुतसे प्रलोभन रहते हैं जिनसे वे कर्त्तव्य च्युत हो जाते हैं। बङ्गालमें इसके अनुसार कोई विशेष कार्य न हुआ। १८२६ में सुपरिंटेंडेंट हटाये गये और डिवीज़नोंके कमिशनर नियुक्त हुए और कलेक्टर-मैजिस्ट्रेट पुलिसका मुखिया बना दिया गया और डिविजनल कमिशनर सुपरिंटेंडेंटोका काम करने लगे, पर पुलिसमें सन्तोषजनक सुधार न हुए। कोर्ट आव डाइरेक्टर्सका ध्यान इस ओर फिर आकृष्ट हुआ। फिर कमिटिया बनीं। कमिटियोंकी सूचनाओंपर कई वर्ष कोई कारवाई न हुई। उस समय अवस्था यह थी कि पुलिसका सघटन अपूर्ण था और मैजिस्ट्रेटोंपर कार्यभार इतना अधिक था कि वे पुलिसके कामोंका निरीक्षण नहीं कर सकते थे। पहले पहल प्रेसिडेन्सी नगरोंमें पुलिस सुपरिंटेंडेंट और मैजिस्ट्रेटके कामोंका विभाग हुआ।

अन्य प्रदेशोंकी पुलिसका सघटन।

१८६१ तक बङ्गाल पुलिसके सघटनमें परिवर्त्तन न हुआ। परन्तु मद्रास प्रेसिडेन्सीने कोर्टकी बात मान ली, दरोगोंको अलग किया और ग्राम पञ्चायतें पुनर्जीवित कीं। गावके मुखियोको आज्ञा हुई कि अपराधियोंको पकड पकड-

कर तहसीलदारके पास भेज दिया करे। यूरोपियन मैजि-स्ट्रेटोंके निरीक्षणमें ये अपने जिलेकी पुलिसके मुखिये नियुक्त होते थे। बम्बईने १८२७ में मद्रासका अनुकरण किया, पर शासकोंके अधीन न करके यहां पुलिस सदर फौजदारी अदा-लतके निरीक्षणमें रखी गयी। १८४२ के बाद जब सिन्धके शासनप्रबन्धका भार सर चार्ल्स नेपियरको दिया गया, तब उन्होंने नये ढङ्गसे वहां पुलिसका सघटन किया। उन्होंने सरकारका एक पुलिस विभाग बना डाला, और उससे न्याया-लयोंका कोई सम्बन्ध न रखा। १८५० में बम्बई सरकारने भी यही किया। इस पद्धतिमें पुलिसके कामोंके लिये जिला एक सुपरिटेंडेंटके अधीन किया गया, जो जिलेकी पुलिसका अफसर बनाया गया और साधारणत जिला मैजिस्ट्रेटके अधीन रहा। इसी प्रकार हर ताल्लुकेके लिये एक पुलिस अफसर नियुक्त हुआ और उसका मामलतदारसे वही सम्बन्ध रखा गया, जो सुपरिटेंडेंटसे मैजिस्ट्रेटका था। पुलिस विभाग फौजदारी अदालतकी अधीनतासे अलग कर सर-कारका विभाग बनाया गया। बाद इसमें कुछ दोष देख पड़े, इससे पुलिसका प्रबन्ध पुलिस कमिशनरको सौंपा गया, जो जेलोंका इन्सपेक्टर भी था। मद्रासमें लोगोंपर अत्याचार होने लगे और उनकी जांचके लिये बैठा, जो पीछे "टार्चर कमीशन" प्रसिद्ध हुआ

पुलिस इस तत्वपर सघटित न होगी, उसमें त्रुटिया रहेंगी ही तथा बडे भारी प्रान्तमें स्थित कुछ दरोगों और चपरासियों द्वारा सामाजिक शान्तिरक्षा असम्भव है, जिनका न लोगोंपर प्रभाव है और न उनसे सम्बन्ध ही है और जो मैजिस्ट्रेटकी दृष्टि और नियन्त्रणसे बहुत दूर रहते हैं, तथा उपयुक्त वेतन न पानेके कारण प्रतिष्ठित पुरुप यह कार्य नहीं करते और उक्त कर्मचारियोंके लिये बहुतसे प्रलोभन रहते हैं जिनसे वे कर्त्तव्य च्युत हो जाते हैं। बङ्गालमें इसके अनुसार कोई विशेप कार्य न हुआ। १८२६ में सुपरिंटेंडेंट हटाये गये और डिवीजनोंके कमिशनर नियुक्त हुए और कलेक्टर मैजिस्ट्रेट पुलिसका मुखिया बना दिया गया और डिविजनल कमिशनर सुपरिंटेंडेंटोंका काम करने लगे, पर पुलिसमें सन्तोपजनक सुधार न हुए। कोर्ट आव डाइरेक्टर्सका ध्यान इस ओर फिर आकृष्ट हुआ। फिर कमिटिया बनीं। कमिटियोंकी सूच नाओंपर कई वर्ष कोई काररवाई न हुई। उस समय अवस्था यह थी कि पुलिसका सघटन अपूर्ण था और मैजिस्ट्रेटोंपर कार्यभार इतना अधिक था कि वे पुलिसके कामोंका निरीक्षण नहीं कर सकते थे। पहले पहल प्रेसिडेन्सी नगरोंमें पुलिस सुपरिंटेंडेंट और मैजिस्ट्रेटके कामोंका विभाग हुआ।

१८६१ तक बङ्गाल पुलिसके सघटनमें परिवर्त्तन न हुआ।

अन्य प्रदेशोंकी पुलिसका सघटन ।

परन्तु मद्रास प्रेसिडेन्सीने कोर्टकी बात मान ली, दरोगोंको अलग किया और ग्राम पञ्चायतें पुनर्जीवित कीं। गावके मुखियोंको आज्ञा हुई कि अपराधियोंको पकड पकड-

जिलोंका एक रेंज होता है। डिपटी इन्सपेक्टर जेनरल सुपरिंटेंडेंटोंसे चुना जाता है। उसका मासिक वेतन १,५००) से १,८००) तक है। हर जिलेमें जिला सुपरिंटेंडेंट होता है, जो पुलिसके भीतरी प्रबन्ध और नियमानुशासनका उत्तरदाता है तथा शान्तिरक्षा और अपराधियोंका पता लगाने तथा उनका दमन करनेमें जिला मैजिस्ट्रेटके अधीन है। इसे प्रतिमास ७००) से १,२००) तक वेतन मिलता है। इसके एक या अधिक सहायक होते हैं, जो ऐसिस्टेंट और डिपटी सुपरिंटेंडेंट कहाते हैं। १८९३ के पहले सुपरिंटेंडेंट और ऐसिस्टेंट पलटनिये अफसर होते थे, पर इस वर्षसे ऐसिस्टेंट सुपरिंटेंडेंटकी भी प्रतियोगी परीक्षा लण्डनमें होने लगी। हिन्दुस्थान आनेपर इन्हें देशभाषा, कानून, जीन सवारी और कवायदकी परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं और पास होनेपर ये स्थायी रूपसे नियुक्त होते हैं। इनका मासिक वेतन ३००) से ५००) तक है। १९०६ से पुलिस अफसरोंकी शिक्षाके लिये ट्रेनिंग स्कूल स्थापित हैं। डिपटी सुपरिंटेंडेंट हिन्दुस्थानी गैजेटेड अफसर होता है। यह पुलिस कमीशनके प्रस्तावसे नियुक्त हुआ है। यह यातो इन्सपेक्टरोंसे चुना जाता है या सेंट्रल पुलिस स्कूलमें शिक्षा प्राप्तकर मनोनीत होता है। इसका मासिक २५०) से ५००) तक है। सब जिले तीन तीन, चार चार चार हल्कोंमें और बड़े जिले दो होते हैं। एक सब डिवीजन ऐसिस्टेंट

उन्नत कर उनसे पुलिसका काम लेनेकी आवश्यकता और पुलिसको शीघ्र ऐसा उन्नत करनेका प्रयोजन बताया जिससे लोगोंको उसपर विश्वास हो। १९०५ में भारत सरकारने कमीशनकी सूचनाओंपर जो मन्तव्य प्रकाशित किया, उसमें उसकी बहुतसी बातें तो मान लीं, पर कहा कि पुलिसकी अयोग्यता और घूस लेनेकी बातें अतिरञ्जित हैं।

पुलिसका संघटन।

कमीशनकी जो सूचनाएं सरकारने स्वीकार कर लीं, उनसे पुलिसका खर्च १॥ करोड और बढ गया। इसके बादसे भी पुलिसका खर्च और बढा है। परन्तु प्रजाका विश्वास पुलिसपर अब भी नहीं है और इससे उसकी सहानुभूति भी नहीं है। इसका कारण यह है कि पुलिस अपनेको प्रजासेवक नहीं, प्रत्युत प्रजास्वामी समझती है और इस अधिकारमदमें बहुतसे अनुचित कार्य कर डालती है। कमीशनने इसकी जिन आदतोंकी शिकायत की थी, उनमें भी बहुतोंने इसका पीछा नहीं छोडा है। खर्चके देखते पुलिसकी योग्यता और कार्यदक्षतामें उन्नति नहीं हुई है। सब प्रदेशोंकी पुलिस प्रादेशिक सरकारोंके अधीन है। पुलिस विभागका मुखिया इन्सपेक्टर जेनरल कहाता है। इसे २,०००) से ३,०००) मासिक वेतन मिलता है। यह या तो पुलिस अफसर या सिविलियन होता है। समस्त प्रदेश "रेंजोंमें" बटा होता है, जो डिपटी इन्सपेक्टर-जेनरलके अधीन होते हैं। ८।१२

जिलोंका एक रेंज होता है। डिपटी इन्सपेक्टर जेनरल-सुपरिंटेंडेंटोंसे चुना जाता है। उसका मासिक वेतन १,५००) से १,८००) तक है। हर जिलेमें जिला सुपरिंटेंडेंट होता है, जो पुलिसके भीतरी प्रबन्ध और विनयानुशासनका उत्तरदाता है तथा शान्तिरक्षा और अपराधियोंका पता लगाने तथा उनका दमन करनेमें जिला मैजिस्ट्रेटके अधीन है। इसे प्रतिमास ७००) से १,२००) तक वेतन मिलता है। इनके एक या अधिक सहायक होते हैं, जो ऐसिस्टेंट और डिपटी सुपरिंटेंडेंट कहाते हैं। १८९३ के पहले सुपरिंटेंडेंट और ऐसिस्टेंट पलटनिये अफसर होते थे, पर इस वर्षसे ऐसिस्टेंट सुपरिंटेंडेंटकी भी प्रतियोगी परीक्षा लण्डनमें होने लगी। हिन्दुस्थान आनेपर इन्हें देशभाषा, कानून, जीन सवारी और कवायदकी परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं और पास होनेपर ये स्थायी रूपसे नियुक्त होते हैं। इनका मासिक वेतन ३००) से ५००) तक है। १९०६ से पुलिस अफसरोंकी शिक्षाके लिये ट्रेनिंग स्कूल स्थापित हैं। डिपटी सुपरिंटेंडेंट हिन्दुस्थानी गैजेटेड अफसर होता है। यह पुलिस कमीशनके प्रस्तावसे नियुक्त हुआ है। यह यातो इन्सपेक्टरोंसे चुना जाता है या सेंट्रल पुलिस स्कूलमें शिक्षा प्राप्तकर मनोनीत होता है। इसका मासिक २५०) से ५००) तक है। सब जिले तीन तीन चार चार चार हल्कोंमें और बड़े जिले दो सब डिवीजनोंमें बटे होते हैं। एक सब डिवीजन ऐसिस्टेंट

सुपरिंटेंडेंटको सौंपा जाता है। हर हल्केमें ४।५ थाने होते हैं। यह इन्सपेकृरके और थाना सब इन्सपेकृरके अधीन होता है। इन्सपेकृरका मासिक वेतन १५०) से २१०) तक और सब इन्स पेकृरका ५०)से १००)तक है। सब इन्सपेकृर पुलिस स्टेशन या थानेका अफसर कहाता है। जिन अपराधोंके अपराधियोंको पकड़नेके लिये मेजिस्ट्रेटके वारंटका प्रयोजन नहीं होता, उनकी जाच करना, शान्ति रखना और अपराध रोकना सब इन्सपेक्टर काम है। १९०६ तक सब इन्सपेक्टर हेड कान्सटेबलोंसे चुना जाता था, पर कमीशनकी सूचनाके अनुसार अब अच्छे घरानेके भारतवासी सब-इन्सपेक्टरोंमें भर्ती किये जाते हैं। फी सैकडे ८० सब इन्सपेक्टर मनोनीत होते हैं। ये साल डेढ़ साल ट्रेनिंग स्कूलमें काम सीखते हैं और फिर थानेका काम सीखने भेजे जाते हैं। इन्सपेक्टर सब इन्सपेक्टरोंसे चुना जाता है। सब इन्सपेक्टरके नीचे एक हेड कान्सटेबल और कई कान्सटेबल होते हैं। कान्सटेबलोंसे ही हेड कान्स टेबल चुना जाता है। कान्सटेबल और हेड कान्सटेबलका मासिक वेतन क्रमश १०) से १२) और १५) से २०) है। कई जातियोंके लोगोंको कान्सटेबलोंमें भर्ती करनेका नियम नहीं है और जाति विशेष अपनी ही जातिके आदमी पुलिसमें नहीं भर सकती। सी० आई० डी० के जवान भी इसी तरह भर्ती होते हैं। यह विभाग डिपटी इन्सपेक्टर जेनरलके दर्जेके यूरोपियन अफसरके अधीन होता है। यह राजनीतिक

मामलों और राजद्रोहके मुकद्दमोंकी जाच करता और ऐसे अपराधोंपर दृष्टि रखता है जिनका दो तीन जिलोसे सरोकार होता है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास शहरोंमें खास पुलिस है और उसका प्रादेशिक इन्सपेक्टर-जेनरलसे कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रेसिडेन्सी नगरोंकी यह पुलिस एक कमिशनरके अधीन होती है, जो 'पुलिस कमिशनर कहाता है। इसके अधीन कई डिपटी कमिशनर होते हैं। ये अनुभवी सुपरिंटेंडेंटोंसे चुने जाते हैं। सारा शहर डिवीजनोंमें बटा रहता है। और हर डिवीजन एक सुपरिंटेंडेंटके, पर कलकत्तेमें ऐसिस्टैंट या डिपटी कमिशनरके अधीन होता है और उसमें कई थाने होते हैं। इन थानोंका प्रबन्ध इन्सपेक्टर या सब इन्सपेक्टरोंको सौंपा जाता है। सडकोंकी भीडका प्रबन्ध करनेके लिये गोरी पलटनोंके जवान नियुक्त हैं। ये सर्जेण्ट कहाते हैं। इन्हें मामलोंकी जाच करनेका अधिकार नहीं है। रंगूनमें भी पुलिस कमिशनर है। भारत सरकारने पुलिस विभागसे सम्बन्ध रखनेके लिये क्रिमिनल इंटेलिजेन्सका एक डाइरेक्टर नियुक्त कर रखा है। डाइरेक्टर अपने अधीन कर्मचारियों समेत प्रादेशिक पुलिससे सम्बन्ध रखता है। यह प्रादेशिक पुलिसके कार्यमें हस्तक्षेप नहीं करता, पर अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों, अन्तरप्रादेशिक अपराधों और राजनीतिक अनुसन्धानोंके समाचार प्रकाशनसे ही सम्बन्ध है।

जिला पुलिस दो भागोंमें विभक्त है, एक आर्म्ड वा सशस्त्र, दूसरा अन-आर्म्ड अशस्त्र। सशस्त्र पुलिसका काम खजानोंकी खबरदारी रखना, खजानों और कैदियोंके साथ जाना और डाकुओंके दलपर चढाई करना है। इसलिये उसे अस्त्र दिये जाते हैं और फौजी ढगपर कवायद करना और गोली चलाना सिखाया जाता है। अशस्त्र पुलिसका काम जुर्माना वसूल करना, सम्मन या वारंट तामील कराना, सडकोंकी भीडका बन्दोबस्त करना, आवारा कुत्तोंको मार डालना, आग बुझाना और जिन अपराधोंके अपराधियोंको बिना वारंट वह गिरफ्तार नहीं कर सकती, उनकी जाच करना। निम्न श्रेणीकी पुलिसको वर्दी और रहनेकी जगह मुफ्त मिलती है। छुट्टीकी व्यवस्था ठीक है, पर पेनशन बिना बीमारीका सार्टिफिकेट दिये ३० वर्षसे पहले नहीं मिलती। कहीं कहीं घुडसवार पुलिस भी होती है। बगाल, आसाम, बर्माकी सीमा और पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेशमें फौजी पुलिस भी रखी जाती है। सब प्रदेशोंके गावोंमें चौकीदार रहते हैं। बगालको छोड ये सर्वत्र मुखियोंके और युक्त प्रदेशमें लम्बरदारोंके अधीन रहते हैं। भिन्न भिन्न प्रदेशोंमें गावके चौकीदारोंको भिन्न भिन्न प्रकारसे वेतन मिलता है। कहीं इन्हें जमीन माफीमें मिली है और कहीं सेसोंसे (करोंसे), इनका वेतन दिया जाता है। इनका निरीक्षण और नियन्त्रण निय

(Margin note: सशस्त्र और अशस्त्र पुलिस।)

मित पुलिस नहीं करती, बल्कि यह काम जिलेके कलेक्टर या डिपटी कमिशनरका है। रेलवे पुलिसका भी जिला पुलिससे कोई सम्बन्ध नहीं है, पर दोनोको परस्परकी सहायता मिलती है। रेलवे पुलिसका व्यय रेलवे देती है और उसका काम स्टेशनोंपर शान्ति रखना तथा रेलवेकी सम्पत्तिकी रक्षा करना मात्र है।

पुलिसके अधिकार और व्यय।

अपराध दो प्रकारके कहे गये हैं, एक कागनिजेबल और दूसरा नान कागनिजेबल। कागनिजेबल अपराधमें पुलिस अभियुक्तको बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकती है, पर नानकागनिजेबल अपराधोंमें अभियुक्तको पकडनेके लिये उसे मैजिस्ट्रेटसे वारट लेना पड़ता है। कागनिजेबल अपराधमें जाच करनेवाले अफसरका कर्त्तव्य है कि वह अभियुक्तको मैजिस्ट्रेटके पास ले जाय और यदि अभियुक्त अपराध स्वीकार करे, तो मैजिस्ट्रेट उसे लिख ले। पर मैजिस्ट्रेटको उचित है कि वह भली भाति इसे निश्चय कर ले कि अभियुक्त अपनी इच्छासे अपराध स्वीकार करता है। किसी अभियुक्तको बिना मैजिस्ट्रेटकी विशेष आज्ञा २४ घण्टेसे अधिक पुलिस नहीं रोके रख सकती। मामूली मामलोंमें इन्सपेक्टर या सब इन्सपेक्टर मामला चलाता है, पर बडे मामलेमें वकील किया जाता है। जो मामले दौरा सुपुर्द होते हैं, वे सरकारी वकील चलाते हैं। अपराधियोंको पकडनेके सिवा पुलिसका

काम अपराध रोकना भी है, इस लिये उसे पुराने अपराधियों और सन्देहजनक पुरुषोपर सदा दृष्टि रखनी पड़ती है। डाका डालना या चोरी करना जिनकी आजीविका है, उनपर विशेष दृष्टि रखकर उन्हें दण्ड दिलाना पुलिसका कर्त्तव्य है। बदमाशों या डाकुओंके दलको गिरफ्तार कर सज़ा दिलाना पहले ठगी और डकैती विभागका काम था, पर १९०४ में उक्त विभाग उठ जानेसे अब यह काम सी० आई० डी० को सौंपा गया है। सन् १९२१-२२में २०३००० आदमी मुल्की पुलिसमें थे। इनके सिवा फौजी पुलिसमें ३०,००० जवान थे, इनमें आधेसे अधिक बर्मामें थे। १९०५ से पुलिसका खर्च बहुत बढ़ गया है। १९०१-२ में ४,०३,७०,१९०) पुलिसका व्यय था, पर १९११-१२ में ६,९०,४४,६५५) हो गया और तबसे बढ़ ही रहा है।

जेलोंकी व्यवस्था। प्राचीन समयमें संसारभरमें अपराधियोंको बड़ा कठोर दण्ड दिया जाता था। भारतवर्षमें भी दण्ड देनेमें कम कठोरता नहीं होती थी। अब भी अनेक स्थानोंमें काठमें पांव दे देनेकी चाल है। अफगानिस्तानमें कैदियोंको गुफाओंमें बन्द कर देनेका नियम कई वर्ष पहलेतक था। इन गुफाओंके ऊपर खिड़कीसे उन्हें भोजन दिया जाता था। परन्तु अब ब्रिटिश राजमें इस तत्वपर दण्ड दिया जाता है, कि जिसे दण्ड दिया जाय, वह फिर वैसा काम न करे और और

लोग उसकी दुर्दशा देख डरकर वैसा करनेका साहस न न कर। इसी तत्वपर जेलके नियमोंमें सुधार भी हुए हैं। पहले मद्रास, बम्बई और बङ्गालमें जेलोंके कानून बने थे। इनके अनुसार उक्त प्रदेशोंमें और १८७० में भारत सरकारके बनाये कानूनके अनुसार अवशिष्ट ब्रिटिश भारतमें जेलोंकी व्यवस्था थी। पर सब प्रदेशोंके नियमोंमें विभिन्नता बहुत थी, इस लिये १८९४ में भारत सरकारने एक कानून बनाया जिसके अनुसार आजकल जेलोंका प्रबन्ध होता है और इससे विभिन्नता सर्वथा दूर हो गयी है। अब समस्त भारतमें जेलके नियम समान हो गये हैं और जेलके कैदी जो अपराध करते हैं, उनके लिये समस्त भारतकी जेलोंमें दण्डकी एकसी व्यवस्था भी है। १८९६ में भारत सरकारने जेलोंके नियन्त्रणके लिये कुछ नियम जारी किये जिनमें जेलके अपराधोंकी परिभाषा, दण्डके भेदों, मार्क देने और दण्ड घटाने आदिकी बातें थीं। इण्डियन पीनल कोडके अनुसार अप राधियोंको काले पानी, बड़ा गुलामी, सख्त कैद (जिसमें कालकोठरीमें रहनेका दण्ड भी है) और सादी कैदकी सजा मिलती है। दीवानी मामलोंके कैदियों और जिनपर मामला चल रहा है, ऐसे लोगोंको भी जेलमें रखनेकी व्यवस्था है।

तीन प्रकारकी जेलें।

जेलोंके तीन भेद हैं, एक सेंट्रल जेल, दूसरा डिस्ट्रिक्ट जेल और तीसरा सबसिडियरी जेल या लाक-अप। सेंट्रल जेलमें वे कैदी रखे जाते हैं जिन्हें एक वर्षसे अधिक कारावासका दण्ड दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट या जिलेकी जेलमें

१५ दिनसे एक वर्षतकके कैदी रखे जाते हैं और सबसिडियरी जेलों या हवालातोंमें १५ दिनसे कमकी सजा पाये कैदियोंके रखनेकी व्यवस्था है। प्रत्येक प्रदेशका जेल विभाग एक इन्सपेक्टर जेनरलके अधीन होता है। यह इण्डियन मेडिकल सर्विसका डाक्टर होता और जेलकी व्यवस्थासे परिचित रहता है। जेलमें चार अफसर होते हैं, एक सुपरिंटेंडेंट एक मेडिकल अफसर (डाक्टर), एक उसका सहकारी और एक जेलर। जेल सुपरिंटेंडेंट भी प्राय डाक्टर ही होता है। इस लिये बहुधा पहले दो पदोंके लिये एक ही व्यक्ति नियुक्त होता है। बहुतेरी डिस्ट्रिक्ट जेलें सिविल सर्जनके अधीन होती हैं और जबतब जिला मैजिस्ट्रेट उनका निरीक्षण करता है। सेंट्रल जेलोंमें एक डिपटी सुपरिंटेंडेंट रहता है, जो जेलमें बनी हुई सब चीजोंकी देखभाल करता है। जेलरोंके सिवा वार्डर और कैदी अफसर भी पहले दो प्रकारकी जेलोंमें होते हैं। जिन कैदियोंका अच्छा चालचलन होता है, वे कैदी अफसर बनाये जाते हैं। हर कैदीके लिये अलग कोठरी होनी चाहिये यह सिद्धान्त १८६४ के ऐक्टमें स्वीकार किया गया था, पर धनाभावके कारण सब प्रदेशोंमें अबतक पूर्ण रूपसे यह आवश्यक सुधार नहीं हुआ है। केवल मद्रासमें यह सुधार हो चुका है। स्त्रियों और लडकोंको कैद रखनेकी व्यवस्था अलग है। लडकों और युवकोंमें भी भेद माना गया है और दोनो प्रकारके कैदियोंके लिये स्वतन्त्र व्यवस्था है। कैदियोंके

स्कूलमें रखना भी है, पर ये १८ वर्षसे बडे न हो जायं इसका भी ध्यान रखना पडता है। इसके सिवा अन्य व्यवस्थाएं भी हैं, यथा डाट डपटकर छोड़ देना, बेंत मारना और माता पितासे यह प्रतिज्ञापत्र लिखाकर उनके सुपुर्द कर देना कि लडकेको नेकचलनीके लिये हम जिम्मेदार हैं। १८६६ से ये रिफार्मेटरी स्कूल शिक्षा विभागके अधीन हैं। इनमें लडके कैदियोंको औद्योगिक शिक्षा दी जाती है, जिसमें यहासे निकलकर वे चार पैसे पैदा कर सकें और भलेमानस बनकर रहें। १९११ में सात प्रदेशोंमें एक एक रिफार्मेटरी स्कूल था और सातों स्कूलोंमें १,३१२ लडके थे। दस वर्ष पहले १९०१ में सात स्कूलोंमें १,२२७ थे। लडकियोंकी सख्या बहुत कम है और मैजिस्ट्रेटोंको आज्ञा दी गयी है कि जहातक हो सके, लडकियोंको डाट डपटकर छोड दिया करो या उनके पितामाताको सौंप दिया करो। परन्तु अब १५ वर्षसे बडे और १८ वर्षसे छोटे लडके कैदियोंके लिये भी व्यवस्था हुई है। प्रिजन्स ऐक्टमें यह तो कहा गया था कि १८ वर्षसे कम उम्रके लडके पुराने कैदियोंके साथ न रखे जाय, परन्तु जब प्रादेशिक सरकारोंने देखा कि ये तो रिफार्मेटरीमें भी नहीं रह सकते, तब इनके लिये बोर्स्टलकीसी जेल बनानेका विचार किया गया। १९०५ में बम्बई प्रदेशके धारवाड जिलेमें चुने हुए लडकों और युवकोंकी अलग श्रेणी बनायी गयी, १९०८ में कलकत्तेके पास अलीपुरमें स्पेशल जुविनाइल जेल

दो वर्षतक उन्हें हलका काम करना पड़ता है। पांच वर्ष बीत जानेपर वे क्षमा पा या ब्याह कर सकते हैं। कैदियोंसे जेलकी मरम्मत करायी या इमारत बनवायी जाती कमिस रियट, अस्पताल, जलसेना, जङ्गलविभाग, चाय बगीचों या खेतीबाड़ीका काम लिया जाता है। मामूली मर्द कैदीका, जिसे जन्मभरके कालेपानीकी सजा मिलती है, चालचलन अच्छा होता है, तो वह २० वर्ष बाद छोड़ दिया जाता है, पर जो डाका डालने या दल बांधकर अपराध करनेके दोषी होते हैं, वे २५ वर्ष बाद छोड़े जाते हैं। ठग और जरायमपेशे लोग कभी नहीं छोड़े जाते। नेकचलन औरतें १५ वर्ष बाद छोड़ दी जाती हैं। कभी तो बिना शर्त्तके कैदी छोड़े जाते हैं और कभी विशेषकर डाकुओंसे उनके रहनेकी जगह आदिके ऐसे शर्त्तें करा ली जाती हैं। कभी कभी कैदी स्वतन्त्र

भारत सरकारने १८९१ में ऐसी आज्ञा दे भी दी। पर पीछे भारत सरकारने यह आज्ञा रद्द कर दी, क्योंकि यहां काल कोठरीका बडा कडा पहरा रखना पडता है। ऐसे जिन कैदियोंको डाक्टर पास कर देता है, वे पोर्ट ब्लेयर भेज जाते हैं। स्त्रियोंको वहा भेजनेकी भी कुछ शर्त है। कालेपानीके कैदीकी पाच अवस्थाए होती हैं। पहली अवस्था छ महीने कालकोठरीमें बीतती है। दूसरी अवस्थामें हिन्दुस्तानके समान ही जेलमें १८ महीने और कैदियोंके साथ काटने पडते हैं। तीसरी अवस्थामें तीन वर्षतक दिनको बडी कडी मिहनत कैदासे ली जाती है और रातको वह बारकोंमें बन्द किया जाता है। इस समय वह तीसरे दर्जेका कैदी कहाता है। इस प्रकार पाच वर्ष बीतनेपर वह दूसरे दर्जेका कैदी माना जा सकता है। इस अवस्थामें वह सरकारी नौकरी पा सकता है या किसी रईसका नौकर हो सकता है। जब इस प्रकार ५ वर्ष बीत चुकते हैं, तब जिस कैदीका चालचलन अच्छा होता है, वह अव्वल दर्जेका कैदी समझा जाने लगता है। इस अवस्थामें या तो उसकी मजूरीके नियम कडे नहीं होते या उसे एक टिकट मिलता है, जिससे वह कुछ जमीन लेकर उसमें खेती करता और अपना जीविकानिर्वाह करता है। इस अवस्थामें वह अपने जोरू बच्चे बुला सकता या किसी औरत कैदीसे ब्याह कर सकता है। स्त्रियोंसे तीन वर्षतक जेलके नियमोंके अनुसार काम लिया जाता है। बाद

दो वर्षतक उन्हें हलका काम करना पड़ता है। पांच वर्ष बीत जानेपर वे कमा खा या ब्याह कर सकते हैं। कैदियोंसे जेलकी मरम्मत करायी या इमारत बनवायी जाती कमिसरियट, अस्पताल, जलसेना, जङ्गलविभाग, चाय बगीचों या खेतीबाड़ीका काम लिया जाता है। मामूली मर्द कैदीका, जिसे जन्मभरके कालेपानीकी सजा मिलती है, चालचलन अच्छा होता है, तो वह २० वर्ष बाद छोड़ दिया जाता है, पर जो डाका डालने या दल बांधकर अपराध करनेके दोषी होते हैं, वे २५ वर्ष बाद छोड़े जाते हैं। ठग और जरायमपेशे लोग कभी नहीं छोड़े जाते। नेकचलन औरतें १५ वर्ष बाद छोड़ दी जाती हैं। कभी तो बिना शर्त्तके कैदी छोड़े जाते हैं और कभी विशेषकर डाकुओंसे उनके रहनेकी जगह आदिके बारेमें शर्त्त करा ली जाती है। कभी कभी कैदी स्वतन्त्र होकर वहीं रहना पसन्द करते हैं। १९१० में पोर्टब्लेयरमें ११,२३० कैदी थे, जिनमें १०,६३२ पुरुष और ६०२ स्त्रियां थीं। इनमें १,०६६ पुरुष और २७० स्त्रियां खेती करके अपना गुजर करती थीं। कुल जनसंख्या १५,६१३ थी। पोर्टब्लेयर एक युरोपियन सुपरिंटेंडेंटके अधीन है जिसके नीचे कई यूरोपियन और भारतवासी काम करते हैं। १९२१ में जेल कमिटीने कालापानी बन्द कर देनेकी सम्मति दी थी और सरकारने इसे स्वीकार भी कर लिया था। परन्तु अबतक वहां कैदी भेजे

भारत सरकारने १८९१ में ऐसी आज्ञा दे भी दी। पर पीछे भारत सरकारने यह आज्ञा रद्द कर दी, क्योंकि यहा काल कोठरीका वडा कडा पहरा रखना पडता है। ऐसे जिन कैदियोंको डाक्टर पास कर देता है, वे पोर्ट ब्लेयर भेजे जाते हैं। स्त्रियोंको वहा भेजनेकी भी कुछ शर्त्तें हैं। कालेपानीके कैदीकी पाच अवस्थाए होती हैं। पहली अवस्था छ महीने कालकोठरीमें वीतती है। दूसरी अवस्थामें हिन्दुस्थानके समान ही जेलमें १८ महीने और कैदियोंके साथ काटने पडते हैं। तीसरी अवस्थामें तीन वर्षतक दिनको वडी कडी मिहनत कैदासे ली जाती है और रातको वह बारकोंमें बन्द किया जाता है। इस समय वह तीसरे दर्जेका कैदी कहाता है। इस प्रकार पाच वर्ष वीतनेपर वह दूसरे दर्जेका कैदी माना जा सकता है। इस अवस्थामें वह सरकारी नौकरी पा सकता है या किसी रईसका नौकर हो सकता है। जब इस प्रकार ५ वर्ष वीत चुकते हैं, तब जिस कैदीका चालचलन अच्छा होता है, वह अव्वल दर्जेका कैदी समझा जाने लगता है। इस अवस्थामें या तो उसकी मजूरीके नियम कडे नहीं होते या उसे एक टिकट मिलता है, जिससे वह कुछ जमीन लेकर उसमें खेती करना और अपना जीविकानिर्वाह करता है। इस अवस्थामें वह अपने जोरू बच्चे बुला सकता या किसी औरत कैदीसे ब्याह कर सकता है। स्त्रियोंसे तीन वर्षतक जेलके नियमोंके अनुसार काम लिया जाता है। बाद